www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

अक्टूबर, 2025 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा
अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

Gist of

THE HINDU | PIB PRESS INFORMATION BUREAU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

सिविल सेवा परीक्षा हेतु उत्तर भारत का प्रतिष्ठित संस्थान

RACE IAS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group
Expert in Governance & Public Ad.

BATCHES FOR
IAS / PCS

Mrs Lori Shukla
Managing Director, RACE IAS

ADMISSION OPEN

Comprehensive Study Material

& many more ....

Optional Subjects

Public Administration
Political Science
History / Geography

Enriched Library

All India Test Series

12वीं के विद्यार्थी अभी से शुरू करें IAS/PCS की तैयारी

आरम्भ जितना शीघ्र सफलता उतनी दीर्घ

उत्कर्ष
12वीं के बाद 3 वर्ष का कोर्स

हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं उपलब्ध

प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की सम्पूर्ण तैयारी

संकल्प
स्नातक के बाद 1 वर्ष का कोर्स

Call for information :

Lucknow : ALIGANJ 7388114444 | INDIRA NAGAR 9044137462 | ALAMBAGH 8917851448

Kanpur : Coca Cola Crossing, G.T. Road

@RACEIASCIVILSERVICE

Scan the QR CODE & Join now Telegram Channel

YouTube/raceiaslko | www.raceias.com | /raceiaslucknow

अनुक्रमणिका

आदिवाणी ऐप ---------- 1
यूडीआईएसई+ रिपोर्ट ---------- 2
वाणिज्यिक मुक्त भाषण को विनियमित करना ---------- 2
तेलंगाना आरक्षण ----------4
भारत में स्वास्थ्य बीमा ---------- 4
सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश ---------- 5
प्रवाल भित्तियाँ ---------- 6
अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए शिक्षा छूट ---------- 7
हरित ऊर्जा विरोधाभास ---------- 8
गिद्ध संरक्षण ---------- 9
जीएसटी सुधार 2025 ---------- 10
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ---------- 12
मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) ---------- 12
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) ---------- 13
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ---------- 14
भारत के उपराष्ट्रपति ---------- 15
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना ---------- 16
भारत, ईरान और वैश्विक व्यवस्था ---------- 17
130वां संशोधन विधेयक ---------- 18
हिमालय की नाजुकता और असंवहनीय विकास ---------- 19
ईरान-आईएईए परमाणु निगरानी समझौता, 2025 ---------- 20
एस्परगिलस सेक्शन निगरी ---------- 21
भारत-मॉरीशस विशेष आर्थिक पैकेज ---------- 21
दो-राज्य समाधान ---------- 22
स्वदेशी सौर सेल---------- 23
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ---------- 23
खुदरा मुद्रास्फीति ---------- 25
भारत-नेपाल संबंध ---------- 26
भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति 2025 ---------- 27
16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) 2025---------- 28
फेंटेनाइल संकट और भारत की भूमिका ---------- 29
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) निरीक्षण और सुधार---------- 29
एच-1बी वीज़ा विवाद ---------- 30
यूरेनियम ---------- 31

RACE IAS

घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापार ---------- 33
स्वास्थ्य और कल्याण ---------- 34
राज्य वित्त प्रकाशन 2025 ---------- 35
विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2025 ---------- 36
कुर्मी ---------- 37
भारत के ऊर्जा दक्षता लक्ष्य और COP 30 ---------- 39
भारतीय चाय क्षेत्र ---------- 40
प्रदूषित नदी स्थलों पर सीपीसीबी रिपोर्ट (2023) ---------- 41
लद्दाख विरोध प्रदर्शन ---------- 42
वैश्विक दक्षिण सहयोग ---------- 43
गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का नमक और बोझ ---------- 44
विकासशील भारत बिल्डथॉन 2025 ---------- 45
व्यायाम कोल्ड स्टार्ट ---------- 46
भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा ---------- 46
केरल तेल रिसाव मामला ---------- 47
तेजस हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) ---------- 49
पीली मटर (पीज़) ---------- 50
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ---------- 50
मृदाकरण प्रौद्योगिकी ---------- 52
सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) ---------- 53
MoSPI व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025 ---------- 55
एक सींग वाला गैंडा ---------- 56
भारतीय युवाओं में बढ़ती हृदय रोग (सीवीडी) ---------- 57
एस्ट्रोसैट मिशन: भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला ---------- 58
भारत में मातृत्व पुनः एकीकरण ---------- 59
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ---------- 60
दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (एसएसटीसी) ---------- 61
भारत में भगदड़ ---------- 62
शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व ---------- 64
बिहार में दो नए रामसर स्थल ---------- 65

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

आदिवाणी ऐप

प्रसंग

सितंबर 2025 में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने, समावेशिता, पहुंच को बढ़ावा देने और संचार अंतराल को पाटने के लिए **आदिवाणी ऐप लॉन्च किया।**

आदिवाणी ऐप के बारे में

इस ऐप को इस उद्देश्य से बनाया गया है:

- जनजातीय आबादी और सरकार या सामाजिक सेवाओं के बीच
  संचार को सुविधाजनक बनाना
- **जनजातीय भाषाओं और संस्कृति का** संरक्षण और संवर्धन
- **शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी योजनाओं** तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना

यह प्रारंभिक कवरेज के लिए सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देने के लिए **2011 की जनगणना से भाषा संबंधी आंकड़ों का लाभ उठाता है।**

चरण 1 भाषाएँ

ऐप के पहले चरण में **छह प्रमुख जनजातीय भाषाएं शामिल हैं** :

1. **भेली** - राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोली जाती है
2. **संथाली** - झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रमुख
3. **गोंडी** - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में बोली जाती है
4. **मुंडारी** - झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है
5. **कुई** - पूर्व में यूपीएससी से संबंधित चर्चाओं में शामिल
6. **गारो** - पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाती है

भविष्य के चरणों में अतिरिक्त भाषाओं को शामिल किये जाने की उम्मीद है ।

ऐप का महत्व

- **उन्नत संचार:** सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक बातचीत के लिए भाषा संबंधी बाधाओं को कम करता है
- **भाषाओं का संरक्षण:** जनजातीय भाषाओं की रक्षा और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में मदद करता है
- **सरकारी योजनाओं तक पहुँच:** समुदायों को हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध योजनाओं को समझने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाता है
- **शैक्षिक सहायता:** मातृभाषा-आधारित शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है
- **स्वास्थ्य सेवा सुविधा:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और जनजातीय आबादी के बीच संचार में सुधार
- **सांस्कृतिक सशक्तिकरण:** जनजातीय समुदायों में गौरव और समावेश की भावना को मजबूत करता है

राष्ट्रीय नीतियों के साथ जुड़ाव

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020):** मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करती है
- **डिजिटल इंडिया मिशन:** डिजिटल पहुंच और साक्षरता का विस्तार
- **यूनेस्को स्वदेशी भाषाओं का दशक:** भाषाई विविधता के संरक्षण के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **मौखिक परंपराएँ:** कई जनजातीय भाषाएँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं, जिससे डिजिटलीकरण जटिल हो जाता है
- **गलत व्याख्या का जोखिम:** गलत या आंशिक अनुवाद की संभावना
- **सीमित विशेषज्ञता:** भाषाविदों और स्थानीय योगदानकर्ताओं की कमी विकास में बाधा डालती है
- **डिजिटल डिवाइड:** आदिवासी क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी और सीमित डिवाइस पहुंच के कारण ऐप की पहुंच कम हो जाती है

निष्कर्ष

आदिवाणी **ऐप भारत के आदिवासी समुदायों के समावेशी विकास , भाषाई संरक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण की** दिशा में एक बड़ा कदम है । संचार संबंधी बाधाओं को तोड़कर और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देकर, यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं तक पहुँच को मज़बूत करता है और साथ ही भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत के संरक्षण में भी योगदान देता है।

RACE IAS

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट

प्रसंग

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईएसई+ 2024-25 रिपोर्ट, भारत **भर में स्कूल के बुनियादी ढांचे, डिजिटल पहुंच, शिक्षक उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं** में लगातार अंतराल को उजागर करती है , और समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चुनौतियों पर जोर देती है।

UDISE+ 2024–25 के बारे में

शिक्षा के लिए एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली (UDISE+) एक वार्षिक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो **कक्षा I से XII तक की स्कूली शिक्षा को कवर करता है** । यह निम्नलिखित पर डेटा एकत्र करता है:

- बुनियादी ढांचे और सुविधाएं
- नामांकन और छात्र जनसांख्यिकी
- शिक्षक शक्ति और प्रशिक्षण
- डिजिटल तत्परता और आईसीटी पहुंच
- स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं
- **सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों** में शिक्षण वातावरण

प्रमुख रुझान (2024–25)

डिजिटल विभाजन

- **65% स्कूलों में** कंप्यूटर हैं; केवल **58% ही कार्यात्मक हैं**
- **इंटरनेट का उपयोग** : कुल मिलाकर 63%; सरकारी स्कूल **58.6%** , निजी स्कूल **77.1%**

आधारभूत संरचना

- शौचालय: 98.6%
- हाथ धोने के स्टेशन: 95.9%
- पीने का पानी: 99%
- **25,000** से अधिक स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं

नामांकन संबंधी चिंताएँ

- **5.1% स्कूलों में** 10 से कम छात्र हैं
- शून्य नामांकन वाले प्रमुख विद्यालय:
    - लद्दाख: 32.2%
    - अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड: 22%

शिक्षकों की कमी

- प्राथमिक स्तर पर **PTR** स्वीकार्य 20:1
- उच्च कक्षाओं में कमी दिखती है:
    - झारखंड: 47:1
    - महाराष्ट्र और ओडिशा: 37:1
- **आरटीई मानदंड** : 30:1; **एनईपी अनुशंसा** : 20–25:1

शिक्षक प्रशिक्षण

- राष्ट्रीय औसत: ~91% प्रशिक्षित
- सबसे कम कवरेज: मेघालय (प्राथमिक 72%, उच्च प्राथमिक 80%)

क्षेत्रीय भिन्नता

- दक्षिण (केरल, तमिलनाडु): शौचालय और इंटरनेट की लगभग सार्वभौमिक कवरेज
- पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य पीछे: पश्चिम बंगाल (18.6% इंटरनेट), मेघालय (26.4%)

स्वास्थ्य सहायता

- 75.5% स्कूलों में मेडिकल जांच
- निम्न कवरेज: बिहार (32.7%), नागालैंड (44.9%)

निष्कर्ष

यूडीआईएसई **+ 2024-25 रिपोर्ट** इस बात पर ज़ोर देती है कि भारत ने स्कूली बुनियादी ढाँचे और नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी गंभीर **क्षेत्रीय असमानताएँ, डिजिटल कमियाँ और शिक्षकों की कमी अभी भी बनी हुई है।** सभी बच्चों के लिए **समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप आवश्यक हैं ।

वाणिज्यिक मुक्त भाषण को विनियमित करना

प्रसंग

अगस्त, 2025 में , **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने केंद्र सरकार को **सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें व्यक्तिगत सम्मान और अधिकारों** की रक्षा करते हुए **प्रभावशाली लोगों द्वारा मुक्त भाषण के व्यावसायीकरण** पर ध्यान केंद्रित किया गया ।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगियों का समर्थन करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन ने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर हास्य कलाकारों (समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर सहित) ने **एसएमए रोगियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं** ।

न्यायालय की टिप्पणियां:

- भाषण के व्यावसायीकरण से **कमजोर समूहों को नुकसान या अपमान नहीं होना चाहिए**
- **राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता और डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) के परामर्श से**
  दिशानिर्देश विकसित किए जाने चाहिए
- **तकनीकी और संचार विकास को** संबोधित करना चाहिए , न कि केवल अलग-थलग घटनाओं को
- तत्काल कार्रवाई: हास्य कलाकारों को यूट्यूब और अन्य प्लेटफार्मों पर
  सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया गया

मुक्त भाषण पर संवैधानिक ढांचा

अनुच्छेद 19(1)(ए): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार
की गारंटी देता है । **अनुच्छेद 19(2):** केवल विशिष्ट आधारों पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है:

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
4. सार्वजनिक व्यवस्था
5. शालीनता या नैतिकता
6. न्यायालय की अवमानना
7. मानहानि
8. अपराधों के लिए उकसाना

न्यायिक मिसालें:

- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):** धारा 66ए रद्द; केवल झुंझलाहट या अपमान भाषण को आपराधिक नहीं बना सकता
- **कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023):** अनुच्छेद 19(2) के आधार संपूर्ण हैं
- **इमरान प्रतापगढ़ी केस (2025):** यदि अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन नहीं किया जाता है तो असुविधा पैदा करने वाले भाषण को संरक्षण प्राप्त है

वाणिज्यिक भाषण: कानूनी विकास

- **हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (1959):** विशुद्ध रूप से व्यावसायिक विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित नहीं हैं
- **टाटा प्रेस बनाम एमटीएनएल (1995): जनहित में** काम करने वाले वाणिज्यिक भाषण को संवैधानिक संरक्षण मिल सकता है
- **सुरेश बनाम तमिलनाडु राज्य (1997):** वाणिज्यिक अभिव्यक्ति में **निजी हितों और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन होना चाहिए**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य:

- **सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने वाले भाषण** और **केवल निजी लाभ के लिए भाषण**
  के बीच अंतर करना

चुनौतियां

- **वर्तमान रूपरेखा:** आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
- **दायित्व:** प्लेटफ़ॉर्म को अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक या हानिकारक सामग्री को रोकना होगा; प्रभावशाली व्यक्ति आपराधिक कानूनों के अधीन हैं
- **सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी:** नियमों से **मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए** और उन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए
- **बहुवचनीयता का मुद्दा:** परस्पर विरोधी न्यायिक व्याख्याएं **"पैचवर्क न्यायशास्त्र" का निर्माण करती हैं** , जिससे विवेकाधीन शक्ति न्यायाधीशों के पास रह जाती है (गौतम भाटिया)

आगे बढ़ने का रास्ता

दिशानिर्देश प्रारूपण:

- **हितधारकों** , डिजिटल मीडिया विशेषज्ञों, नागरिक समाज और प्रसारकों को
  शामिल करें
- वास्तविक अभिव्यक्ति की रक्षा करते हुए
  भाषण के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकें

जागरूकता और नैतिकता:

- **कमजोर समूहों** और जिम्मेदार संचार के बारे में प्रभावशाली लोगों को
  संवेदनशील बनाना

प्रौद्योगिकी उपाय:

- प्लेटफ़ॉर्म **एआई-आधारित सामग्री मॉडरेशन** , पारदर्शी शिकायत निवारण और उपयोगकर्ता रिपोर्टिंग तंत्र अपना सकते हैं

न्यायिक निगरानी:

- **अनुच्छेद 19(2) के तहत** नियम उचित हों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमाने प्रतिबंधों से बचा जाए

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप **कमज़ोर समूहों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन पर ज़ोर देता है। मज़बूत और परामर्शी दिशानिर्देश** विकसित करने से संवैधानिक अधिकारों पर कोई असर डाले बिना ज़िम्मेदार सोशल मीडिया का इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।

तेलंगाना आरक्षण

प्रसंग

तेलंगाना **विधानसभा ने** स्थानीय निकाय चुनावों में **पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42% आरक्षण** प्रदान करने वाला विधेयक पारित कर दिया है । संबंधित विधेयक और समान प्रावधानों वाला एक अध्यादेश वर्तमान में **राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है** ।

विधायी विकास

- **पारित विधेयक:**
  - **तेलंगाना नगरपालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2025**
  - **तेलंगाना पंचायत राज (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2025**
- **उद्देश्य:** स्थानीय निकाय चुनावों में **पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण** लागू करना
- **लंबित स्वीकृति:** समान प्रावधानों वाले पूर्व विधेयक और अध्यादेश **राष्ट्रपति के विचाराधीन हैं**

संवैधानिक और न्यायिक संदर्भ

- **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):**
  - **वैज्ञानिक आंकड़ों** द्वारा समर्थित असाधारण मामलों को छोड़कर, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुल आरक्षण **50% तक सीमित**
  - ओबीसी के लिए **क्रीमी लेयर सिद्धांत** लागू किया गया
- **तेलंगाना के लिए निहितार्थ:**
  - **50%** से अधिक आरक्षण की **न्यायिक जांच** हो सकती है

आरक्षण का आधार

- तेलंगाना सरकार सभी घरों को कवर करने वाले **सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (एसईईईपीसी) सर्वेक्षण पर निर्भर करती है**
- बी.सी. आरक्षण बढ़ाने के लिए **वैज्ञानिक औचित्य** प्रदान करना है

प्रक्रियात्मक पहलू

- **अनुच्छेद 200:** राज्यपाल राज्य विधेयक को **राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है**
- तेलंगाना से संबंधित कुछ विधेयक और एक अध्यादेश **राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित हैं**
- सभी राज्य कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है - केवल उन्हें ही मंजूरी की आवश्यकता होती है जो **राज्यपाल द्वारा आरक्षित होते हैं**

निष्कर्ष

तेलंगाना के कानून का उद्देश्य स्थानीय निकायों में **पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है , जिसका समर्थन वैज्ञानिक सर्वेक्षणों द्वारा किया गया है। हालाँकि, यह कदम 50% आरक्षण की सीमा को पार कर जाता है** , जिससे यह **न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है** ।

भारत में स्वास्थ्य बीमा

प्रसंग

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पर बहस तेज हो गई है; प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों ने कवरेज का विस्तार किया है, लेकिन आलोचकों ने लाभ-संचालित देखभाल के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की उपेक्षा की चेतावनी दी है।

पृष्ठभूमि

1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (यूएचसी) की सिफारिश 1946 में भोरे समिति द्वारा की गई थी, लेकिन भारत में यह अभी भी काफी हद तक अप्राप्त है।
2. पीएमजेएवाई और एसएचआईपी ने 80% से अधिक आबादी को कवरेज प्रदान किया है।
3. इन कार्यक्रमों की स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में प्रश्न बने हुए हैं।
4. भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की समता और मजबूती प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

भारत में स्वास्थ्य बीमा का विकास

- **पीएमजेएवाई (2018):** प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक इनपेशेंट कवरेज प्रदान करता है, जो 2023-24 में लगभग 59 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचेगा।
- **राज्य योजनाएं (SHIP):** अधिकांश राज्यों में समानांतर कार्यक्रम लगभग 16,000 करोड़ रुपये के संयुक्त बजट के साथ समान जनसंख्या को कवर करते हैं।
- **कुल व्यय:** लगभग ₹28,000 करोड़ प्रतिवर्ष, 2018-2024 के बीच वास्तविक रूप से 8-25% की दर से वृद्धि।

- **कवरेज बनाम उपयोग:** केवल लगभग 35% बीमित अस्पताल रोगियों ने वास्तव में इन योजनाओं का उपयोग किया (HCES 2022–23)।

स्वास्थ्य बीमा में प्रमुख चुनौतियाँ

स्वास्थ्य बीमा में चुनौतियाँ

- **लाभ के लिए पक्षपात:** पीएमजेएवाई निधि का लगभग 2/3 हिस्सा निजी अस्पतालों को जाता है; कमजोर विनियमन के कारण अधिक शुल्क लिया जाता है और अनावश्यक प्रक्रियाएं की जाती हैं।
- **प्राथमिक देखभाल की उपेक्षा:** योजनाएं अस्पताल में भर्ती पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ग्रामीण क्लीनिकों और निवारक सेवाओं से संसाधनों को हटाती हैं।
- **उपयोग में बाधाएं:** लाभार्थियों को अक्सर कवरेज के बारे में पता नहीं होता; कम प्रतिपूर्ति के कारण निजी अस्पताल हतोत्साहित होते हैं; हाशिए पर रहने वाले समूहों को अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **देखभाल में भेदभाव:** सार्वजनिक अस्पताल बीमाकृत मरीजों को प्राथमिकता देते हैं; निजी अस्पताल गैर-बीमित मरीजों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे असमानताएं पैदा होती हैं।
- **वित्तीय तनाव और प्रदाता का बाहर निकलना:** लंबित प्रतिपूर्ति 12,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है; भुगतान में देरी के कारण 600 से अधिक अस्पताल बाहर निकल गए हैं।

यूएचसी के लिए संरचनात्मक जोखिम

- **अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य:** सरकारी स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1.3% (2022) है, जबकि वैश्विक औसत 6.1% है।
- **लाभ-संचालित प्रणाली:** बीमा कार्यक्रम गुणवत्ता अंतराल को संबोधित किए बिना निजी क्षेत्र के प्रभुत्व को मजबूत करते हैं।
- **बहिष्करण प्रवृत्तियाँ:** उच्च कवरेज के बावजूद, जेब से किया जाने वाला व्यय विश्व स्तर पर सबसे अधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना

- **थाईलैंड और कनाडा:** सामाजिक स्वास्थ्य बीमा UHC का हिस्सा है, लेकिन यह गैर-लाभकारी प्रदाताओं, सार्वभौमिक पहुंच और मजबूत विनियमन पर निर्भर करता है।
- **भारत का दृष्टिकोण:** सफल अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों के विपरीत, बीमा मुख्यतः लक्षित, लाभ-उन्मुख तथा खराब विनियमित है।

नीतिगत आगे का रास्ता

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना:** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, निदान, बाह्य रोगी सेवाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल का विस्तार करना; निवारक देखभाल को प्राथमिकता देना।
- **निजी क्षेत्र को विनियमित करें:** मानक उपचार प्रोटोकॉल, मूल्य सीमा और पैनलबद्ध अस्पतालों की सख्त निगरानी लागू करें।
- **उपयोग और जागरूकता में सुधार:** सामुदायिक पहुंच, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना, तथा दावों और शिकायत निवारण को सरल बनाना।
- **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करें:** समय पर प्रतिपूर्ति की गारंटी दें और केवल बीमा मध्यस्थों पर निर्भर रहने के बजाय प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तपोषण पर विचार करें।

सच्चे UHC की ओर बढ़ें

- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य)।
- बीमा-संचालित पैचवर्क से सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तन।

निष्कर्ष

पीएमजेएवाई और एसएचआईपी लाखों लोगों को तत्काल राहत प्रदान करते हैं, लेकिन इनसे लाभ-केंद्रित, अस्पताल-भारी व्यवस्था के संस्थागत होने का जोखिम है। वास्तविक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में पर्याप्त निवेश, निजी प्रदाताओं पर सख्त नियंत्रण और समानता-केंद्रित सुधारों की आवश्यकता है। इनके बिना, स्वास्थ्य बीमा भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का दीर्घकालिक समाधान नहीं, बल्कि एक अस्थायी समाधान ही साबित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश

प्रसंग

अगस्त 2025 तक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 में से केवल एक महिला न्यायाधीश होगी; ऐतिहासिक रूप से 11 महिलाओं की नियुक्ति हुई है, कोई दीर्घकालिक मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तथा जाति और धार्मिक विविधता भी सीमित है।

मुद्दे के बारे में

सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कई आयाम हैं:

- **लैंगिक असंतुलन और विविधता का अभाव:** न्यायिक निर्णय लेने में दृष्टिकोण और समावेशिता को सीमित करता है।
- **अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली:**

- न्यायिक नियुक्तियां कॉलेजियम (मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश) द्वारा की जाती हैं।
- इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, तथा मानदंडों का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया जाता, जिसके कारण पक्षपात के आरोप लगते हैं।

- **अल्प नियुक्तियाँ:** महिलाओं को बार से सीधे तौर पर शायद ही कभी नियुक्त किया जाता है, तथा पुरुष अधिवक्ताओं को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है।
- **देर से नियुक्तियां:** महिलाओं को अक्सर अधिक उम्र में पदोन्नत किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका कार्यकाल छोटा हो जाता है और मुख्य न्यायाधीश बनने के अवसर कम हो जाते हैं।

अधिक महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों है?

- **निष्पक्षता और विविधता:** समावेशिता को बढ़ाती है और न्याय की गुणवत्ता को बढ़ाती है।
- **सार्वजनिक विश्वास:** विविधतापूर्ण न्यायपालिका, न्यायालय प्रणाली में सामाजिक विश्वास को बढ़ाती है।
- **लिंग-संवेदनशील निर्णय:** महिला न्यायाधीश ऐसे दृष्टिकोण लेकर आती हैं जो लिंग, परिवार और श्रम कानूनों से जुड़े मामलों में निर्णयों को बेहतर बनाते हैं।
- **प्रेरणा:** महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति अन्य महिलाओं को कानूनी करियर अपनाने के लिए प्रेरित करती है।

प्रस्तावित समाधान

- **लिंग कोटा:** न्यायिक नियुक्तियों में लिंग प्रतिनिधित्व के लिए औपचारिक मानदंड लागू करें।
- **पारदर्शी कॉलेजियम प्रक्रिया:** नियुक्ति प्रक्रियाओं को सार्वजनिक रूप से सुलभ और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **प्रत्यक्ष पदोन्नति:** योग्य महिला वकीलों को बार से सीधे उच्च न्यायिक पदों पर पदोन्नत किया जाएगा।
- **प्रतिधारण नीति:** न्यायपालिका में महिलाओं को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति विकसित करना।
- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी): इसमें** सरकार और विपक्ष का प्रतिनिधित्व शामिल करने के पिछले प्रयासों को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन संतुलित सुझाव की आवश्यकता बनी हुई है।

महत्व

सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना:

- निर्णय लेने और न्यायिक गुणवत्ता में सुधार होता है।
- कानूनी प्रणाली में निष्पक्षता और समानता को बढ़ाता है।
- न्यायपालिका में जनता का विश्वास मजबूत होता है।
- लिंग-संवेदनशील और समावेशी निर्णय को प्रोत्साहित करता है।
- महत्वाकांक्षी महिला वकीलों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।

चुनौतियां

- **कॉलेजियम प्रणाली:** अपारदर्शी और पक्षपात के लिए आलोचना की गई।
- **कम नियुक्ति दर:** महिलाओं को धीमी कैरियर प्रगति और कम कार्यकाल का सामना करना पड़ता है।
- **विविधता का अभाव:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक महिलाओं का न्यूनतम प्रतिनिधित्व।

निष्कर्ष

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना निष्पक्षता, समावेशिता और जनविश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाएँ, लक्षित नीतियाँ और बार से महिलाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने से विविधता को बल मिल सकता है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि न्यायपालिका समाज को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे।

प्रवाल भित्तियाँ

प्रसंग

मालदीव में हाल ही में किए गए एक अध्ययन में, प्रवाल सूक्ष्म-परतों का उपयोग करके, पिछले 90 वर्षों में समुद्र-स्तर में हुए परिवर्तनों का पता लगाया गया है। इस शोध से पता चलता है कि हिंद महासागर में समुद्र का स्तर 1950 के दशक के अंत में बढ़ना शुरू हुआ था, जो पहले दर्ज किए गए समय से बहुत पहले था।

मुद्दे के मुख्य पहलू

हिंद महासागर में समुद्र-स्तर में वृद्धि

- **वर्तमान प्रवृत्ति:** प्रति वर्ष लगभग 3.3 मिमी की औसत वृद्धि, वैश्विक औसत से अधिक।
- **आधी सदी की वृद्धि:** पिछले 50 वर्षों में समुद्र का स्तर 30-40 सेमी तक बढ़ गया है।
- **दर त्वरण:**
  - 1930–1959: 1–1.84 मिमी/वर्ष
  - 1960–1992: 2.76–4.12 मिमी/वर्ष
  - 1990–2019: 3.91–4.87 मिमी/वर्ष

प्रवाल भित्तियाँ और उनकी भेद्यता

- **प्रकाश पर निर्भरता:** समुद्र का जलस्तर बढ़ने से प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे प्रवालों पर दबाव पड़ता है और विरंजन की घटनाएं शुरू हो जाती हैं।
- **पर्यावरणीय दबाव:** महासागर का गर्म होना, अम्लीकरण, तटीय क्षरण, और ज्वारीय पैटर्न में परिवर्तन।
- **जलवायु सम्बन्ध:** प्रवाल विरंजन अक्सर अल नीनो घटनाओं और हिंद महासागर द्विध्रुव के नकारात्मक चरणों के साथ मेल खाता है।

अनुसंधान में प्रवाल सूक्ष्म एटोल

- **परिभाषा:** चपटे, डिस्क के आकार के प्रवाल जो ज्वार-भाटे द्वारा ऊर्ध्वाधर विस्तार सीमित होने पर पार्श्व दिशा में बढ़ते हैं।
- **कार्य:** ऐतिहासिक समुद्र-स्तर परिवर्तनों के प्राकृतिक अभिलेखक के रूप में कार्य करना।
- **कार्यप्रणाली:** यूरेनियम-थोरियम डेटिंग को ग्रोथ बैंड विश्लेषण (वृक्ष के छल्लों के समान) के साथ संयोजित करने से सटीक, दीर्घकालिक रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं।
- **लाभ:** भूगर्भीय रूप से स्थिर क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन समुद्र-स्तर डेटा प्रदान करना।

अध्ययन के निष्कर्ष

- समुद्र-स्तर में वृद्धि ज्वार-मापी अभिलेखों के संकेत से दशकों पहले शुरू हो गई थी।
- **क्षेत्रीय भिन्नता:**
  - मध्य हिंद महासागर: तीव्र गति के साथ वृद्धि पहले ही शुरू हो गई थी।
  - तटीय हिंद महासागर: हाल ही में त्वरण देखा गया।
- **चालक:** महासागरीय और वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन, जिसमें दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पछुआ हवाएं, महासागरीय ताप अवशोषण में वृद्धि, तथा अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (आईटीसीजेड) में बदलाव शामिल हैं।

द्वीपीय राष्ट्रों पर प्रभाव

- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्र:** मालदीव, लक्षद्वीप और चागोस द्वीपसमूह।
- **खतरे:** भूमि जलमग्नता, जैव विविधता की हानि, बुनियादी ढांचे की क्षति, और आबादी का संभावित विस्थापन।
- **ऐतिहासिक आंकड़ों का मूल्य:** सरकारों को प्रभावी जलवायु अनुकूलन उपायों की योजना बनाने में मदद करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- दीर्घकालिक समुद्र-स्तर की समझ में सुधार के लिए हिंद महासागर में प्रवाल सूक्ष्म एटोल निगरानी का विस्तार करना।
- तटीय संरक्षण और रणनीतिक पुनर्वास योजना सहित द्वीप राष्ट्रों के लिए अनुकूलन रणनीतियों को मजबूत करना।
- जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लचीलापन निर्माण पहलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
- सटीकता में सुधार के लिए क्षेत्रीय समुद्र-स्तर के इतिहास को वैश्विक जलवायु मॉडल, जैसे आईपीसीसी अनुमानों में शामिल करें।

निष्कर्ष:

बढ़ते समुद्र स्तर से प्रवाल भित्तियों और द्वीपीय राष्ट्रों को खतरा है। प्रवाल सूक्ष्म एटोल के माध्यम से ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को समझना प्रभावी अनुकूलन, लचीलापन नियोजन और पारिस्थितिक तंत्रों तथा असुरक्षित तटीय समुदायों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए शिक्षा छूट

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय 2014 के प्रमति निर्णय पर पुनर्विचार कर रहा है, जिसने अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई प्रावधानों से छूट दी थी, जो अल्पसंख्यक स्वायत्तता और बच्चों के समावेशी, समान शिक्षा के अधिकार के बीच तनाव को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):** अनुच्छेद 21ए को लागू करता है, जिससे 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित होती है।
- **सरकारी स्कूल** : सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा।
- **सहायता प्राप्त स्कूल:** सरकारी सहायता के अनुपात में निःशुल्क सीटें उपलब्ध करानी होंगी।
- **निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल:** वंचित बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की 25% सीटें आरक्षित करना आवश्यक है (धारा 12(1)(सी))।
- छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी ढांचे, शिक्षक पात्रता के लिए मानदंड निर्धारित करता है, तथा शारीरिक दंड और कैपिटेशन फीस पर प्रतिबंध लगाता है।
- समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **2014 प्रमति निर्णय:** संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30(1) का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के

अधिकार (RTE) के प्रावधानों से छूट दे दी। इससे सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को पूर्ण छूट मिल गई, जिससे शिक्षा के अधिकार (RTE) का समावेशन संबंधी अधिदेश कमज़ोर हो गया।

छूट से चुनौतियाँ

1. **आरटीई नियमों को दरकिनार करने के लिए निजी स्कूलों द्वारा अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग**

- *उदाहरण:* महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने अल्पसंख्यक दर्जा मुख्यतः इसलिए प्राप्त किया ताकि वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित न की जा सकें, जिससे समावेशिता सीमित हो गई।

2. **वंचित बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में कमी**

- *उदाहरण:* बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतिष्ठित अल्पसंख्यक-संचालित स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के नियमों के कारण उन्हें बेहतर संसाधनों तक पहुंच नहीं मिल पाती।

3. **नियामक खामियां अनुच्छेद 21ए के सार्वभौमिक चरित्र को कमजोर कर रही हैं**

- *उदाहरण:* अल्पसंख्यक दर्जा का दावा करने वाले स्कूल अक्सर निरीक्षण और आरटीई मानदंडों के प्रवर्तन से बच निकलते हैं, जैसा कि दिल्ली और हैदराबाद के कुछ स्कूलों में देखा गया है, जिससे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कमजोर हो रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के बारे में

- न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि प्रमति ने व्यापक प्रतिरक्षा प्रदान करने में "बहुत आगे बढ़ गई"।
- इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 21ए और 30 का **सह-अस्तित्व होना चाहिए** तथा बच्चों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।
- अल्पसंख्यक स्कूलों में 25% कोटा के लिए **मामला-दर-मामला दृष्टिकोण का** सुझाव दिया गया ।
- चेतावनी दी गई कि व्यापक छूट से समावेशिता खत्म हो जाएगी और आरटीई का उद्देश्य कमजोर हो जाएगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **न्यायिक पुनर्संतुलन:** अनुच्छेद 21ए और 30 को सुसंगत बनाने के लिए बड़ी पीठ; स्पष्ट करें कि स्वायत्तता का अर्थ छूट नहीं है।
- **नीतिगत उपाय:** सभी संस्थानों में न्यूनतम शिक्षक योग्यता और बुनियादी ढांचे के मानदंडों को सुनिश्चित करना; वंचित बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए कोटा को अनुकूलित करना।
- **सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ करें:** अल्पसंख्यक/निजी संस्थानों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्कूलों में निवेश करें।
- **विविधता को बढ़ावा देना:** सामाजिक-आर्थिक मिश्रण, लोकतांत्रिक कक्षा संस्कृति और जन जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

अल्पसंख्यक स्कूलों को शिक्षा के अधिकार (RTE) से छूट देना भारत की संवैधानिक नैतिकता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। **समावेशी और समतामूलक शिक्षा सुनिश्चित करना** संस्थागत विशेषाधिकारों से ऊपर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह पुनः पुष्टि करने का अवसर है कि शिक्षा एक **सार्वभौमिक अधिकार है** , और अल्पसंख्यक स्वायत्तता को बच्चे के सीखने के अधिकार के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।

हरित ऊर्जा विरोधाभास

संदर्भ

भारत को "हरित ऊर्जा विरोधाभास" का सामना करना पड़ रहा है: 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की उपलब्धता के बावजूद, कमजोर मांग, बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) की कमी और प्रणालीगत बाधाओं के कारण इसका उपयोग कम हो रहा है।

विरोधाभास के बारे में

विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मौजूद होती है, लेकिन वित्तीय, नीतिगत या ग्रिड-संबंधी बाधाओं के कारण उसे अवशोषित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान स्थिति:

- **कोयला निर्भरता:** कोयला और लिग्नाइट अभी भी लगभग 79% ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं (वित्त वर्ष 23)।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का कम हिस्सा:** बड़े जलविद्युत को छोड़कर, नवीकरणीय ऊर्जा का घरेलू उत्पादन में योगदान केवल 3.8% है।
- **आयात निर्भरता:** भारत 85% से अधिक तेल और 50% से अधिक गैस का आयात करता है।
- **निष्क्रिय नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:** 44 गीगावाट नवीकरणीय परियोजनाएं तैयार हैं, लेकिन पीपीए के बिना अटकी हुई हैं।
- **विश्वसनीयता की कमी:** SAIDI ~600 मिनट/वर्ष बनाम थाईलैंड (35) और मलेशिया (46)।

विरोधाभास के आयाम

1. आपूर्ति पक्ष की तत्परता

- 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्मित की गईं, लेकिन पीपीए न होने के कारण उनका कम उपयोग हुआ।
- वैश्विक सौर/पवन ऊर्जा लागत में कमी आ रही है, लेकिन नीतिगत और वित्तीय बाधाओं के कारण भारत में टैरिफ अभी भी ऊंचे बने हुए हैं।
- सरकारी प्रोत्साहन: पीएलआई (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) और वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण)।
- भंडारण समर्थित आरई (बैटरी/पंप हाइड्रो) महंगा: ₹6.6–₹9/यूनिट।

2. मांग-पक्ष की कमज़ोरियाँ

- डिस्कॉम लागत पूर्वानुमान के लिए कोयला पीपीए को प्राथमिकता देते हैं।
- परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रिड एकीकरण लागत अधिक है।
- स्मार्ट मीटर और मांग-प्रतिक्रिया प्रणालियां बड़े पैमाने पर अनुपस्थित हैं।
- ई.वी., खाना पकाने और औद्योगिक प्रक्रियाओं का धीमा विद्युतीकरण नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को सीमित करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में बाधाएं

- **संरचनात्मक:** कमजोर डिस्कॉम वित्त, कोई राष्ट्रव्यापी स्मार्ट ग्रिड नहीं।
- **पर्यावरण:** कोयला लॉक-इन, निष्क्रिय नवीकरणीय ऊर्जा उत्सर्जन में कमी लाने में विलम्ब करती है।
- **आर्थिक:** उच्च पूंजीगत लागत, महंगा भंडारण, आयात पर निर्भरता।

उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय सौर मिशन एवं हाइब्रिड नीति:** सौर एवं पवन-सौर सम्मिश्रण का विस्तार करना।
- **बैटरियों एवं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के लिए पीएलआई:** घरेलू भंडारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देना।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022:** नवीकरणीय खरीद को अनिवार्य करें, प्रत्यक्ष औद्योगिक पहुंच की अनुमति दें।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** स्वच्छ ईंधन और दीर्घकालिक भंडारण के रूप में हाइड्रोजन।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करें:** वीजीएफ का स्तर बढ़ाएं, पंपयुक्त हाइड्रो और घरेलू बैटरियों को प्रोत्साहित करें।
- **मांग विद्युतीकरण में तेजी लाना:** ई.वी., इलेक्ट्रिक कुकिंग और औद्योगिक विद्युतीकरण को बढ़ावा देना।
- **स्मार्ट ग्रिड एवं बाजार सुधार:** स्मार्ट मीटर लगाना, बाजार आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रेषण अपनाना।
- **डिस्कॉम सुधार:** वित्तीय पुनर्गठन, लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना।
- **विभेदित आरपीओ प्रक्षेप पथ:** ग्रिड और संसाधन क्षमता के साथ संरेखित राज्य-विशिष्ट लक्ष्य।

निष्कर्ष:

भारत का हरित ऊर्जा विरोधाभास दर्शाता है कि केवल उत्पादन ही अपर्याप्त है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए भंडारण, लचीले ग्रिड, मांग-पक्ष अनुकूलन और वितरण कंपनियों में सुधार आवश्यक हैं। टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए हरित विकास को सामर्थ्य, विश्वसनीयता और जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गिद्ध संरक्षण

प्रसंग

भारत में कभी बहुतायत में पाए जाने वाले गिद्ध तेज़ी से घट रहे हैं। प्रमुख मैला ढोने वाले जीव होने के नाते, ये मृत शरीरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, लेकिन संरक्षण प्रयासों के बावजूद, इन्हें पशु चिकित्सा दवाओं, आवास के नुकसान और भोजन की कमी जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

गिद्धों का पारिस्थितिक महत्व

- *गिद्ध* कहे जाने वाले ये पक्षी मृत पशुओं के अवशेषों को शीघ्रता से हटाकर प्रकृति के सफाई दल के रूप में कार्य करते हैं।
- यह सेवा एंथ्रेक्स, रेबीज और प्लेग जैसी बीमारियों के खतरे को कम करती है, जो शवों के खुले में सड़ने से फैल सकती हैं।
- गिद्धों की संख्या में कमी से शवों के सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, तथा मनुष्यों और आवारा कुत्तों जैसे अन्य मृतजीवी जीवों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है।

IUCN लाल सूची स्थिति

- **गंभीर रूप से संकटग्रस्त:** सफेद पूंछ वाला गिद्ध, भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध।

- **लुप्तप्राय:** मिस्री गिद्ध।
- **निकट संकटग्रस्त:** हिमालयन ग्रिफ़ॉन।
- **सबसे कम चिंताजनक** : भारतीय ग्रिफ़ॉन.

भारत का एकमात्र गिद्ध अभयारण्य

- **रामदेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य, कर्नाटक** - गिद्ध संरक्षण के लिए देश का पहला और एकमात्र समर्पित अभयारण्य।

भारत में जनसंख्या में गिरावट

- भारत गिद्धों की नौ प्रजातियों का घर है।
- जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई है: 1990 के दशक में लगभग 40 मिलियन से घटकर 2000 के दशक के प्रारंभ तक लगभग 99% की कमी आ गई।
- 2015 तक जनसंख्या 20,000 से नीचे गिर गई थी, तथा राजस्थान जैसे राज्यों में भारी नुकसान दर्ज किया गया था।
- वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि गिरावट अभी भी जारी है।

गिरावट के कारण

1. पशु चिकित्सा दवाएं
    - पशुओं के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं जैसे डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, निमेसुलाइड और कीटोप्रोफेन सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं।
    - उपचारित शवों पर भोजन करने वाले गिद्ध इन अवशेषों को निगल जाते हैं। विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक के कारण गुर्दे फेल हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाती है।
2. अन्य खतरे
    - वनों की कटाई और आवास परिवर्तन के कारण घोंसले बनाने के स्थानों का नुकसान।
    - बिजली का झटका लगना और उच्च-तनाव वाली बिजली लाइनों से टकराना।
    - सुरक्षित खाद्य स्रोतों की उपलब्धता में गिरावट।

जागरूकता पहल

- अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस - गिद्ध संरक्षण के महत्व पर जोर देने के लिए हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है।

भारत में संरक्षण प्रयास

- गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र: हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम में स्थापित किए गए।
- डिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध (2006): *मेलोक्सिकैम जैसी वैकल्पिक दवाओं को* सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किया गया।
- गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (वीएसजेड): असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थापित, नशीली दवाओं के उपयोग को कम करने और सुरक्षित आवास बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- गिद्ध संरक्षण पोर्टल (असम): शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों के बीच सहयोग के लिए गिद्ध फाउंडेशन इंडिया द्वारा विकसित मंच।
- राष्ट्रीय कार्य योजना (2025 तक): सुरक्षित क्षेत्रों के निर्माण, बंदी प्रजनन और जागरूकता अभियान पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष

सुरक्षित औषधि विकल्पों, आवास संरक्षण, जागरूकता और प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण को मजबूत करना गिद्ध आबादी को पुनर्जीवित करने, पारिस्थितिक संतुलन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और भारत के प्राकृतिक सफाईकर्मियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

जीएसटी सुधार 2025

प्रसंग

भारत ने "एक राष्ट्र, एक कर" के अंतर्गत कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने के लिए 2017 में जीएसटी लागू किया था। सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए सुधार जीएसटी को और अधिक सुव्यवस्थित करेंगे, जिससे कर प्रणाली में सरलता, दक्षता और निष्पक्षता बढ़ेगी।

जीएसटी विकास और संरचना

- **जीएसटी-पूर्व परिदृश्य:**
    - भारत की कर व्यवस्था विखंडित थी, जिसमें विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के कारण व्यवसायों और ग्राहकों के लिए अनुपालन जटिल हो गया था।
- **जीएसटी का शुभारंभ (2017):**
    - जीएसटी ने राष्ट्रीय स्तर पर करों को एकीकृत किया, जिसमें प्रारंभ में पांच प्रमुख स्लैब का उपयोग किया गया: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%।
    - आवश्यक वस्तुएं (जैसे, दूध, नमक) 0% श्रेणी में आ गईं; विलासिता उत्पादों (कार, एयर कंडीशनर) पर सबसे अधिक दर (28%) रही।
- **नई दरें (सितंबर 2025 से):**
    - 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अनुमोदित।

- संशोधित जीएसटी संरचना दो प्रमुख दरों - 5% और 18% पर केन्द्रित है।
- 12% और 28% स्लैब बंद कर दिए गए हैं।
- कर-मुक्त वस्तुओं के लिए 0% रखा गया है।
- उच्च स्तरीय लक्जरी उत्पादों (जैसे उच्च श्रेणी के वाहन, हेलीकॉप्टर) के लिए 40% की नई दर लागू की गई है; तम्बाकू और पान मसाला को इसमें शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

जीएसटी परिषद का कामकाज

- जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279ए के तहत काम करती है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में निर्मला सीतारमण) करती हैं।
- राज्य के वित्त मंत्री भी इसमें भाग लेते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदान प्रणाली के माध्यम से लिए गए निर्णय सर्वसम्मति को प्रतिबिंबित करें।
- केन्द्र सरकार के पास एक तिहाई मतदान शक्ति है; राज्यों के पास कुल मिलाकर दो तिहाई मतदान शक्ति है।
- यह जीएसटी परिषद में भारित मतदान प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें निर्णय पारित करने के लिए कम से कम 75% भारित मतों की आवश्यकता होती है।

दर समायोजन की मुख्य विशेषताएं

- **आवश्यक वस्तुएँ:**
  - व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों (बालों का तेल, टूथपेस्ट, शैम्पू, आदि) पर अब 18% से घटाकर 5% कर लगाया गया है।
  - मक्खन, पनीर और घी जैसे डेयरी उत्पादों पर कर की दर 12% से बढ़कर 5% हो गई।
- **कृषि:**
  - ट्रैक्टरों के लिए आवश्यक इनपुट और पुर्जों तथा सिंचाई उपकरणों पर अब 5% कर लगेगा।
- **स्वास्थ्य देखभाल:**
  - स्वास्थ्य बीमा, अध्ययन सामग्री (पुस्तकें, नक्शे, पेंसिल, आदि) अब कर-मुक्त (0%) हैं।
  - थर्मामीटर और मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतें 5% तक गिर गईं।
- **वाहन एवं उपकरण:**
  - हाइब्रिड और पेट्रोल/डीजल वाहनों का प्रतिशत 28% से बढ़कर 18% हो गया।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत 5% पर बना रहेगा।
  - सीमेंट, टीवी, एसी और एलसीडी/एलईडी स्क्रीन पर अब 18% कर लगेगा।
- **आधारभूत संरचना:**
  - सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया।

राजस्व निहितार्थ

- सरकार का अनुमान है कि कर दरों में कटौती के कारण कर संग्रह में 48,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी।
- कम कीमतों (उत्प्लावन प्रभाव) से उत्पन्न उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, संभावित राजस्व अंतराल की भरपाई कर सकती है।

सुधार के चालक

- **सरलीकरण:** कम स्लैब होने से जीएसटी को लागू करना और समझना आसान हो जाता है।
- उपभोक्ताओं के लिए आसानी: वस्तुएं और आवश्यक वस्तुएं अधिक सस्ती या पूरी तरह से कर-मुक्त हो जाती हैं।
- **क्षेत्रवार वृद्धि:** कृषि, बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में इनपुट लागत कम होने के कारण गतिविधि में वृद्धि देखी जा सकती है।
- **विलासिता कराधान** : नया 40% स्लैब अतिरिक्त राजस्व के लिए उच्च-स्तरीय वस्तुओं को लक्षित करता है।

संभावित मुद्दे

- **राजकोषीय दबाव:** कम जीएसटी संग्रह से राजकोषीय घाटे पर दबाव पड़ सकता है।
- **राज्य राजस्व:** क्षतिपूर्ति उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से राज्य के बजट पर असर पड़ सकता है।
- **व्यावसायिक अनुकूलन:** उद्यमों को प्रणालियों को अद्यतन करने और नई दरों के अनुकूल ढलने के लिए समय की आवश्यकता होती है।
- **शून्य-रेटिंग संबंधी चिंताएं:** व्यापक शून्य-रेटिंग (कई वस्तुओं पर 0% कर लगाना) से राजस्व संग्रहण में और अधिक चुनौती आ सकती है।
- **अवैध व्यापार का जोखिम:** चुनिंदा विलासिता वस्तुओं पर उच्च दरें काला बाजारी गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- **प्रशासन:** 40% प्रीमियम स्लैब को परिभाषित करना और विनियमित करना जटिल हो सकता है।

निष्कर्ष

2025 के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य कराधान को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करना और उद्योगों को बढ़ावा देना है, लेकिन राजस्व चुनौतियों का समाधान करने और संतुलित विकास के लिए सभी क्षेत्रों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई)

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान पहचान प्रमाण के लिए आधार को 12वें "सांकेतिक" दस्तावेज के रूप में अनुमति दे, जो चल रहे चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालता है।

संवैधानिक स्थिति और प्राधिकार

- **भारत का निर्वाचन आयोग (ईसीआई)** एक स्थायी **एवं स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है** ।
- यह **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के तहत स्थापित है** ।

ईसीआई निम्नलिखित के लिए **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है** :

- **संसद** (लोकसभा और राज्यसभा)
- **राज्य विधानमंडलों**
- **भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति**

नोट: स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव अलग-अलग राज्य चुनाव आयोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर चुनावी समावेशन में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार स्थापित करता है।
- अनुच्छेद 327 और 328 क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों को चुनावी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देते हैं।
- अनुच्छेद 329 न्यायालयों को चुनावी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिससे चुनाव का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है।

ईसीआई के कार्य

ईसीआई की सलाहकार, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक भूमिकाएँ हैं:

- सलाहकार की भूमिका में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति या राज्यपालों को मार्गदर्शन देना शामिल है।
- अर्ध-न्यायिक शक्तियों में व्यय रिपोर्ट दाखिल न करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना, पार्टियों को मान्यता देना और उनकी मान्यता रद्द करना, तथा आदर्श आचार संहिता लागू करना शामिल है।
- प्रशासनिक जिम्मेदारियों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को अद्यतन करना, चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करना, नामांकनों की जांच करना, मतदान का प्रबंधन करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना शामिल है।

संघटन

प्रारम्भ में 1 सदस्य, अब **3 सदस्य** (सीईसी + 2 चुनाव आयुक्त)।

- **राष्ट्रपति** द्वारा **नियुक्तियां , सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के** समान कार्यकाल , **बहुमत से निर्णय** ।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह **संसदीय प्रक्रिया** का पालन करती है ।

निष्कर्ष

भारत का निर्वाचन आयोग, चुनावी शुचिता के प्रहरी के रूप में, यह सुनिश्चित करके लोकतंत्र के पोषण में एक अपरिहार्य भूमिका निभाता है कि चुनाव निष्पक्ष, निष्पक्ष और समावेशी रूप से आयोजित किए जाएं, इस प्रकार संवैधानिक जनादेश को कायम रखा जाए और भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की सच्ची भावना को बनाए रखा जाए।

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर)

2021-2023 के दौरान प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 18 से 30 मौतों की चिंताजनक वृद्धि देखी गई है।

परिभाषा:

एमएमआर गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के कारण प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को मापता है।

हाल की प्रवृत्ति

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 2019-21 में घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 93 हो गया, जो 2018-20 में 97 और 2017-2019 में 103 था।

वर्तमान रुझान और क्षेत्रीय असमानताएँ

भारत में मातृ मृत्यु दर में समग्र गिरावट के बावजूद, कुछ राज्यों में मातृ मृत्यु दर चिंताजनक रूप से ऊँची बनी हुई है। सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर के आँकड़े निम्नलिखित राज्यों में दर्ज किए गए:

- मध्य प्रदेश: 175
- असम: 167
- उत्तर प्रदेश: 151
- ओडिशा: 135
- छत्तीसगढ़: 132
- पश्चिम बंगाल: 109
- हरियाणा: 106

मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण

- **वैश्विक मातृ मृत्यु** : रोकथाम योग्य गर्भावस्था और प्रसव के कारणों से
  प्रतिदिन 700 से अधिक महिलाओं की मृत्यु (डब्ल्यूएचओ, 2023)।
- **आवृत्ति** : विश्व भर में लगभग **हर 2 मिनट में** एक मातृ मृत्यु होती है।

भारत में प्रमुख कारक :

- गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जटिलताएँ
- असुरक्षित गर्भपात
- चिकित्सा देखभाल में देरी या उसका अभाव
- कुशल स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों तक सीमित पहुंच

उच्च जोखिम वाले क्षेत्र : **निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में** , जिनमें भारत के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, **90% से अधिक** मातृ मृत्यु होती हैं।

सरकारी पहल

- एमएमआर को कम करने में भारत की प्रगति का श्रेय विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और स्वास्थ्य देखभाल पहलों को दिया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए): हर महीने एक निश्चित दिन पर गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना।
- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- पोषण अभियान: गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार पर केंद्रित।

निष्कर्ष:
मातृ मृत्यु दर को कम करना सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पहुँच, सामुदायिक सहभागिता और समन्वित सार्वजनिक नीतियाँ सुरक्षित मातृत्व का मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ बनाने और सतत राष्ट्रीय विकास में योगदान मिलेगा।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

संदर्भ
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है, जिसने 2025 की शुरुआत में 7.4% और 7.8% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, विदेशी पूंजी प्रवाह, विशेष रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से, इस आर्थिक गति को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर पाया है।

परिभाषा और विशेषताएं
एफपीआई विदेशी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक, बांड, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश है, जिसमें निवेश की गई कंपनियों पर नियंत्रण प्राप्त किए बिना निवेश किया जाता है। वे अल्पावधि से मध्यम अवधि के पूंजीगत लाभ और रिटर्न की तलाश करते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से अंतर

- एफपीआई निष्क्रिय निवेशक होते हैं जो वित्तीय रिटर्न से चिंतित होते हैं, उनमें प्रबंधन नियंत्रण का अभाव होता है, तथा वे अधिक अस्थिर होते हैं, जिन्हें अक्सर "हॉट मनी" कहा जाता है।
- एफडीआई में स्थायी व्यावसायिक हित प्राप्त करना, परिचालन स्थापित करना, या प्रबंधकीय नियंत्रण स्थापित करना शामिल है, जिससे वे स्थिर और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं बन जाती हैं।

विनियमन

नियामक : भारत सेबी और **आरबीआई** के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को नियंत्रित करता है ।

- **सेबी की भूमिका** : **एफपीआई विनियम, 2019** के तहत **पंजीकरण, निवेश सीमा, रिपोर्टिंग और अनुपालन को नियंत्रित करना** ।
- **आरबीआई की भूमिका** : एफपीआई से संबंधित **विदेशी मुद्रा** और **पूंजी आंदोलन की निगरानी करना।**

महत्व

- **बाजार प्रभाव** : एफपीआई **तरलता बढ़ाते हैं** और **पूंजी बाजार को मजबूत बनाते हैं** , जिससे घरेलू कंपनियों और सरकारों को धन जुटाने में सहायता मिलती है।

- **विदेशी मुद्रा** : वे **विदेशी पूंजी प्रवाह लाते हैं** , जो भारत की अर्थव्यवस्था में
  वैश्विक विश्वास का संकेत देता है।
- **जोखिम** : एफपीआई के **अस्थिर निवेश से शेयर बाजार और मुद्रा में अचानक उतार-चढ़ाव** हो सकता है
- **दीर्घकालिक निवेश क्षमता:** एफपीआई स्थायी रिटर्न और वैश्विक निवेश मानकों के पालन पर अपने ध्यान के कारण भारतीय कंपनियों में संरचनात्मक सुधारों और बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एक महत्वपूर्ण लेकिन अस्थिर पूंजी स्रोत है जो बाजार की दक्षता और वैश्विक एकीकरण को बढ़ाता है। लाभ को अधिकतम करने और पूंजी प्रवाह में अचानक बदलाव से होने वाले जोखिमों को कम करने तथा सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ विनियमन और व्यापक आर्थिक स्थिरता आवश्यक है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)

संदर्भ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाल ही में इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से दो शिशुओं की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें मानवाधिकारों की सुरक्षा में अपनी भूमिका को रेखांकित किया गया।

स्थापना और कानूनी स्थिति

- **उद्देश्य : वियना घोषणा की** प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए गठित ।
- एनएचआरसी की स्थापना **1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के तहत की गई थी ।
- **प्रकृति** : यह एक **वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है** ।
- **कार्य** : पूरे भारत में **मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करना।**
- **अधिकार क्षेत्र** : **केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संचालित होता है** ।

संघटन

- अध्यक्ष (आमतौर पर **भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश** या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) और अधिकतम **चार सदस्य** ।
- **सदस्य** : **सेवानिवृत्त न्यायाधीश** और **मानवाधिकार विशेषज्ञ शामिल होंगे** ।
- **नियुक्ति** : विश्वसनीयता, विशेषज्ञता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए
  भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्ति प्रक्रिया

- **चयन समिति** : **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में** ।
- **सदस्य** : इसमें **लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं** ।
- **उद्देश्य** : **द्विदलीय प्रतिनिधित्व** और **पारदर्शी नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना** ।

कार्यकाल और शर्तें

- कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
- पुनर्नियुक्ति: कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र।
- कार्यकाल के बाद प्रतिबंध: केंद्र या राज्य सरकारों के साथ आगे रोजगार नहीं ले सकते।

एनएचआरसी का प्रदर्शन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत भर में मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके प्रयासों का उद्देश्य विभिन्न हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना तथा मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। आयोग द्वारा उठाए गए कुछ उल्लेखनीय मुद्दे इस प्रकार हैं:

- बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन
- बाल श्रम उन्मूलन
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
- एचआईवी/एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकार
- हिरासत में मृत्यु, बलात्कार और यातना आदि की रोकथाम के लिए कदम।

एनएचआरसी की चुनौतियाँ :

- **विलंबित नियुक्तियां** : अध्यक्ष और सदस्यों की विलंबित नियुक्ति से समय पर कार्रवाई में बाधा आती है।
- **मान्यता संबंधी मुद्दे** : पारदर्शिता की कमी तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खराब प्रतिनिधित्व के कारण GANHRI ने NHRC की मान्यता स्थगित कर दी।
- **गैर-बाध्यकारी सिफारिशें** : एनएचआरसी केवल कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है; वह उन्हें लागू नहीं कर सकता।
- **दंडात्मक शक्ति नहीं** : उल्लंघनकर्ताओं को दंडित नहीं किया जा सकता या पीड़ितों को सीधे राहत नहीं दी जा सकती।

- **सीमित जांच प्राधिकार** : राज्य और केंद्रीय एजेंसियों पर निर्भर रहना, जिससे सरकारी अधिकारियों से जुड़े मामलों में पक्षपात का खतरा रहता है।

आगे बढ़ने का रास्ता :

- **प्रवर्तन शक्तियां प्रदान करना** : बेहतर अनुपालन के लिए एनएचआरसी को अपनी सिफारिशों को लागू करने का अधिकार देना।
- **जांच प्राधिकरण का विस्तार** : सशस्त्र बलों और गैर-राज्य अभिनेताओं से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच की अनुमति देना।
- **समयबद्ध जांच** : त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच के लिए समय सीमा निर्धारित करें।
- **वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाएँ** : सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र एक समर्पित बजट प्रदान करें।
- **विविध संरचना** : विश्वसनीयता में सुधार के लिए नागरिक समाज के सदस्यों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों को शामिल करें।

निष्कर्ष:
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों के एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में खड़ा है, जो सीमाओं के बावजूद जाँच शक्तियों और वकालत में संतुलन बनाए रखता है। सभी नागरिकों के लिए न्याय, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक ताने-बाने को मज़बूत करने के लिए इसकी क्षमताओं और जन-जन तक पहुँच को मज़बूत करना आवश्यक है।

भारत के उपराष्ट्रपति

संदर्भ:
महाराष्ट्र के राज्यपाल **सी.पी. राधाकृष्णन 152 मतों** के अंतर से भारत के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए । संसद के दोनों सदनों के सदस्यों सहित **कुल मतदाताओं में से** लगभग 98.2% ने चुनाव में भाग लिया। विपक्ष अपेक्षित संख्या से कम मत प्राप्त कर सका।

भारत के उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति के बाद **दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी है। यह पद विधायी कार्यप्रणाली और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है** ।

प्रमुख भूमिकाओं:

- **राज्य सभा (राज्य परिषद) के अध्यक्ष** के रूप में कार्य करते हैं तथा इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं।
- सदन में व्यवस्था, शिष्टाचार बनाए रखना **तथा अनुशासन के मुद्दों पर निर्णय लेना।**
- के त्यागपत्र, मृत्यु, पद से हटाये जाने या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थता की स्थिति में **राष्ट्रपति** के रूप में कार्य करता है ।

चुनाव प्रक्रिया:

- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने **निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत** द्वारा निर्वाचित ।
- इस चुनाव में **भाग नहीं लेते हैं ।**

पात्रता मापदंड:

- **भारत का नागरिक** होना चाहिए ।
- **35 वर्ष या उससे अधिक** होना चाहिए .
- **राज्यसभा की सदस्यता के लिए पात्र** होना चाहिए ।
- केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों के अधीन **कोई लाभ का पद** नहीं धारण कर सकता ।

उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया

- उपराष्ट्रपति की शक्तियां **संविधान के अनुच्छेद 63 से प्राप्त होती हैं** , जबकि **अनुच्छेद 64** राज्य सभा के सभापति के रूप में उनकी पदेन भूमिका स्थापित करता है।
- **अनुच्छेद 67 में निष्कासन प्रक्रिया की** रूपरेखा दी गई है :
  - राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं।
  - **राज्य सभा में बहुमत** से पारित प्रस्ताव द्वारा तथा तत्पश्चात् **लोक सभा** में अनुमोदन द्वारा हटाया जा सकता है ।
  - ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है ।

अविश्वास प्रस्ताव संदर्भ:

- छोटे संसदीय सत्रों (जैसे, 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला शीतकालीन सत्र) के दौरान यह असंभव है।
- ऐतिहासिक मिसाल: 2020 में, उपसभापति के खिलाफ एक प्रस्ताव अपर्याप्त नोटिस के कारण **खारिज कर दिया गया था।**
- यदि प्रस्ताव पेश भी किया जाता है तो विपक्ष के पास ऐसे प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होती।
- संवैधानिक संकल्प सत्रावसान के साथ **समाप्त नहीं होता** ; इसे अगले सत्र में उठाया जा सकता है।

प्रस्ताव की कार्यवाही में उपराष्ट्रपति की भूमिका

- उपराष्ट्रपति स्वयं को हटाने से संबंधित **प्रस्ताव की अध्यक्षता नहीं कर सकते ।**
- ऐसे मामलों में **उपसभापति** अध्यक्षता करते हैं।
- यदि उपसभापति उपलब्ध न हों तो **राज्य सभा के नियमों के अंतर्गत नामित कोई अन्य सदस्य** अध्यक्षता कर सकता है।
- प्रक्रिया में **निष्पक्षता और न्यायसंगतता** सुनिश्चित करता है ।

उपराष्ट्रपति के संवैधानिक प्रावधान

लेख	प्रावधान	विवरण
63	उपराष्ट्रपति का कार्यालय	उपराष्ट्रपति का पद स्थापित करता है
64	राज्य सभा के पदेन सभापति	राज्यसभा की अध्यक्षता करता है; केवल बराबरी की स्थिति में ही मतदान करता है
65	राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना	अस्थायी रूप से अध्यक्ष के कर्तव्यों को संभालता है; इस अवधि के दौरान अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता
66	उपराष्ट्रपति का चुनाव	गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित
67	अवधि और निष्कासन	**पांच वर्ष का कार्यकाल** पूरा करता है ; इस्तीफा दे सकता है या दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है

पात्रता पुनर्कथन:

- भारत का नागरिक
- न्यूनतम 35 वर्ष
- राज्यसभा सदस्यता के लिए पात्र
- सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार प्रशासन से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जब जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया कि 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए 13,000 हेक्टेयर भूमि को वन अधिकारों के निर्धारण के बिना ही हस्तांतरित कर दिया गया।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक **प्रमुख अवसंरचना विकास पहल है** जिसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को हिंद महासागर में एक **रणनीतिक और आर्थिक केंद्र में बदलना है।**

ज़रूरी भाग:

- वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने के लिए गैलेथिया खाड़ी में **डीप-ड्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल।**
- पर्यटन और रणनीतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए चौड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम **अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ।**
- **गैस और सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र** बढ़ती बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए टिकाऊ और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- कार्यबल और जनसंख्या प्रवाह को समायोजित करने के लिए आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजक सुविधाओं के साथ **आधुनिक टाउनशिप ।**

सामरिक और आर्थिक महत्व:

- यह दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों में से एक, **मलक्का जलडमरूमध्य के** निकट स्थित है , जो हिंद महासागर में भारत की **रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाता है।**
- **इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने** , रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ।
- बंदरगाह और हवाई अड्डे के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी ग्रेट निकोबार को **क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार नेटवर्क में एकीकृत करेगी** ।

पर्यावरणीय और सामाजिक विचार:

- **जैव विविधता** पर प्रभाव को लेकर चिंता , जिसमें द्वीप की विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं।
- **स्वदेशी समुदायों** , मुख्य रूप से **निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों** पर संभावित प्रभाव , जिनके

अधिकारों और आजीविका को संरक्षण की आवश्यकता है।

- **नवीकरणीय ऊर्जा** और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर ।

ग्रेट निकोबार के बारे में

ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह का **सबसे बड़ा द्वीप है, जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास स्थित है** , जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर स्थित, **मुख्य भूमि भारत से लगभग 1,280 किमी** .
- विविध परिदृश्य: **घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पहाड़ी इलाके और तटीय क्षेत्र** , जिनमें माउंट थुलियर सबसे ऊंचा बिंदु (642 मीटर) है।
- **ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व** के अंतर्गत समृद्ध **जैव विविधता है, जिसमें निकोबार मेगापोड, निकोबार ट्री श्रू और खारे पानी के मगरमच्छ** जैसी स्थानिक और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं ।
- स्वदेशी जनजातियों (निकोबारी और शोम्पेन) और प्रवासियों द्वारा **विरल आबादी ।**
- रणनीतिक स्थान **भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है** , भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करते हैं।

सामरिक महत्व

- खाड़ी **और हिंद महासागर** भारत की सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से **चीनी नौसैनिक विस्तार के बीच** ।
- **प्रमुख हिंद-प्रशांत क्षेत्रों** (मलक्का, सुंडा, लोम्बोक) में चीनी गतिविधियों और **कोको द्वीप, म्यांमार पर निर्माण पर चिंता** ।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पर सैन्य उन्नयन में **आधुनिक हवाई अड्डे, जेटी, रसद सुविधाएं और निगरानी प्रणालियां शामिल हैं** ।
- **युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों** की तैनाती की तत्परता सुनिश्चित करना , क्षेत्र पर निगरानी और रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखना।

पर्यावरणीय चिंता

- **पारिस्थितिक खतरों** के कारण विरोध मौजूद है , जिसमें लगभग **1 मिलियन पेड़ों की** कटाई , प्रवाल भित्तियों को नुकसान, तथा **निकोबार मेगापोड और लेदरबैक कछुओं** जैसी प्रजातियों के लिए खतरा शामिल है ।
- **शोम्पेन जनजाति** पर प्रभाव , जो कुछ सौ लोगों की आबादी वाला एक कमजोर जनजातीय समूह है।
- **भूकंपीय जोखिम पर प्रकाश डाला गया: 2004 की सुनामी के दौरान** इस क्षेत्र में 15 फीट की गिरावट देखी गई थी ।
- जनजातीय परिषद ने अपर्याप्त परामर्श का हवाला देते हुए 160 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र परिवर्तन के लिए **अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया।**
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंजूरी की समीक्षा के लिए** एक **उच्चस्तरीय समिति गठित की** ; रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

निष्कर्ष:
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना, रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के साथ विकास को संतुलित करना चाहिए, जिससे सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण और स्वदेशी समुदायों की भलाई सुनिश्चित हो सके।

भारत, ईरान और वैश्विक व्यवस्था

प्रसंग

पश्चिमी नेतृत्व वाले प्रभुत्व के कमजोर होने के बीच, बहुध्रुवीयता पर चर्चा, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए, न्यायसंगत और समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत और ईरान की सभ्यतागत भूमिकाओं पर जोर देती है।

वैश्विक व्यवस्था में संकट

- **पश्चिमी प्रभुत्व में गिरावट:** वित्तीय प्रणालियों, तकनीकी एकाधिकार और वैश्विक संस्थाओं पर नियंत्रण पर आधारित दीर्घकालिक प्रभुत्व अपनी प्रभावशीलता खो रहा है।
- **संकट के संकेतक:** अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, लगातार व्यापार युद्ध, कमजोर होता बहुपक्षवाद और पारिस्थितिक क्षरण प्रणालीगत अस्थिरता को दर्शाते हैं।
- **उभरती शक्तियों की भूमिका:** वैश्विक दक्षिण के देश स्वदेशी मॉडल विकसित करके, विज्ञान और रक्षा में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाकर, तथा बाहरी प्रभुत्व का विरोध करके स्वतंत्रता का दावा कर रहे हैं।

भारत और ईरान की सभ्यतागत भूमिका

- **साझी विरासत:** विश्व की सबसे पुरानी सतत सभ्यता भारत और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ ईरान ने ऐतिहासिक रूप से शांति, विविधता और आक्रामकता के विरुद्ध लचीलेपन को बढ़ावा दिया है।

- **आधुनिक योगदान:** गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का नेतृत्व और ईरान का तेल राष्ट्रीयकरण एवं क्रांति, बाह्य नियंत्रण के प्रतिरोध और संप्रभुता की रक्षा का उदाहरण है।
- **सामान्य मूल्य:** शांति, आध्यात्मिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान समकालीन संरचनात्मक हिंसा, सामाजिक पतन और पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं।

सहयोग के मार्ग

- **रणनीतिक परियोजनाएं:** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) यूरेशिया, भारत, अफ्रीका और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाले सभ्यतागत सेतु के रूप में कार्य करता है, जिससे संपर्क और स्थिरता बढ़ती है।
- **बहुपक्षीय मंच:** ब्रिक्स जैसे ढांचे डी-डॉलरीकरण, न्यायसंगत व्यापार और प्रतिबंधों के विकल्प के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग मजबूत होता है।
- **न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर:** अंतर्राष्ट्रीय कानून की वकालत करके, एकतरफा हस्तक्षेप का विरोध करके, तथा फिलिस्तीन जैसे संप्रभुता आंदोलनों का समर्थन करके, भारत और ईरान एक सहभागी और मानवीय वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत और ईरान अपनी सभ्यतागत विरासत और रणनीतिक सहयोग का लाभ उठाते हुए, वैश्विक दक्षिण को एक बहुध्रुवीय, न्यायसंगत और लचीली विश्व व्यवस्था की ओर ले जा सकते हैं, जिसमें संप्रभुता, विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन में संतुलन स्थापित किया जा सके।

130वां संशोधन विधेयक

संदर्भ

130वां संशोधन विधेयक गंभीर अपराधों के लिए 30 दिनों की हिरासत के बाद प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को स्वचालित रूप से हटाने का आदेश देता है, जिससे जवाबदेही, संवैधानिक अतिक्रमण, उचित प्रक्रिया और राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिम पर बहस बढ़ जाती है।

130वें संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय/राज्य मंत्रियों सहित केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियों को लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा।
- ये प्रावधान केंद्र, राज्य, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर पर समान रूप से लागू होते हैं।
- **हटाने की प्रक्रिया** :
  - प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों को हटाया जा सकता है।
  - राज्य के मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है।
  - दिल्ली के मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को लगातार हिरासत में रहने के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उन्हें पद से हटा हुआ माना जाएगा।
- इससे स्थायी अयोग्यता नहीं होती; हिरासत से रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होती है।

निष्कासन के आधार

- यह केवल उन गंभीर अपराधों पर लागू होता है जिनमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है।
- 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रखने पर निष्कासन हो सकता है।

संवैधानिक और कानूनी चिंताएँ

- मूल संरचना सिद्धांत: यह संशोधन संसदीय प्रणाली और विधि के शासन के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि केशवानंद भारती (1973) में प्रतिपादित किया गया है।
- मौजूदा कानूनों के साथ टकराव: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 निर्वाचित पदाधिकारियों को केवल दोषसिद्धि के बाद ही अयोग्य घोषित करता है, हिरासत या गिरफ्तारी के दौरान नहीं।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21): केवल हिरासत को अपराध के बराबर मानना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करता है, जैसा कि मेनका गांधी (1978) और एआर अंतुले (1988) में व्याख्या की गई है।
- कैबिनेट की जिम्मेदारी: प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री पर हटाने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति को केन्द्रित करने से सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत कमजोर होता है (एसआर बोम्मई, 1994)।
- राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सख्त जमानत कानूनों के तहत हिरासत अक्सर 30 दिनों से अधिक समय तक चलती है।

प्रभाव डालता है

- मंत्रियों को बार-बार हटाए जाने के कारण शासन में अस्थिरता का खतरा।
- राजनीतिक विरोधियों को रणनीतिक रूप से जेल में डाला जा सकता है, ताकि अदालती फैसले तक पहुंचे बिना ही उन्हें जबरन हटाया जा सके।
- जनता के चुनावी विकल्प कमजोर हो सकते हैं।
- निष्कासनों को चुनौती देने के कारण न्यायालयों पर बोझ बढ़ गया।
- यदि स्वैच्छिक राजनीतिक जवाबदेही को स्वचालित कानूनी बाध्यता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसमें कमी आ सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- मंत्री पद से हटाए जाने को मात्र हिरासत में लेने के बजाय औपचारिक रूप से आरोप तय करने से जोड़ा जाना चाहिए।
- एक सख्त समय सीमा के भीतर निष्कासन आदेशों की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करें।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि निष्कासन का निर्णय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा एकतरफा न होकर मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाए।
- राजनीतिक प्रतिशोध को रोकने के लिए लोकपाल या आचार आयोग जैसी स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था लागू की जाए।
- 1956 में लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे जैसे उदाहरणों से प्रेरणा लेकर नैतिक राजनीति को कायम रखने के लिए स्वैच्छिक इस्तीफे की परंपरा को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष:

130वां संशोधन विधेयक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को सत्ता में बने रहने से रोककर राजनीतिक जवाबदेही को मज़बूत करने का प्रयास करता है। हालाँकि, हिरासत को अपराध के बराबर मानने से कार्यपालिका का दुरुपयोग हो सकता है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और शासन अस्थिर हो सकता है। न्यायिक सुरक्षा उपायों और उचित प्रक्रिया के सम्मान के साथ संतुलित सुधार जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों, दोनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हिमालय की नाजुकता और असंवहनीय विकास

संदर्भ:

उत्तरी हिमालयी राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन ने वनों की कटाई और अनियंत्रित निर्माण के खतरों को उजागर किया है। विशेषज्ञों और सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अनियंत्रित विकास से नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र को ख़तरा है, जिससे अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक पतन का ख़तरा है।

हिमालय के बारे में:

- हिमालय विश्व की सबसे युवा और सबसे ऊंची वलित पर्वत श्रृंखला है।
- यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में लगभग 2,400 किमी तक फैला हुआ है।
- वे भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तरी सीमा बनाते हैं तथा जलवायु, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विभाजन का कार्य करते हैं।
- माउंट एवरेस्ट (8,849 मीटर) और कंचनजंगा (8,586 मीटर) सहित सबसे ऊंची चोटियों का घर।

गठन:

- लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया, लॉरेशिया (उत्तर) और गोंडवाना (दक्षिण) में विभाजित हो गया।
- इन भू-भागों के बीच उथला टेथिस सागर स्थित है, जहां लाखों वर्षों से तलछट जमा हो रही है।
- लगभग 140 मिलियन वर्ष पूर्व, भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर बह गई, तथा अंततः लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट से टकरा गई।
- इस टकराव के कारण तलछट ऊपर उठी और हिमालय का निर्माण हुआ, जो लगभग 5 मिमी प्रति वर्ष की दर से बढ़ता जा रहा है।

हिमालय की नाजुकता:

- भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवा होने के कारण हिमालय अस्थिर है तथा भूकंपीय गतिविधियों और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है।
- इस क्षेत्र में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से अधिक है, जिसके कारण ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और वर्षा अनियमित हो रही है।
- खड़ी ढलानें और तेज बहाव वाली नदियाँ बाढ़ और मृदा अपरदन के खतरे को बढ़ाती हैं।
- 25,000 से अधिक हिमनद झीलें अचानक हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) का खतरा पैदा करती हैं।
- यह क्षेत्र जैव विविधता का केंद्र है, जहां अनोखी प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं, जो सभी क्षरण के कारण खतरे में हैं।

अवनति के कारक:

- राजमार्ग, सुरंग और जल विद्युत बांध जैसी अनियमित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विस्फोट और उत्खनन के माध्यम से ढलानों को अस्थिर कर देती हैं।

- बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से मिट्टी को बांधने वाले देवदार जैसे पेड़ों को हटाया जाता है, विशेष रूप से पर्यटन और शहरी विस्तार के लिए।
- कमजोर या नजरअंदाज किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) से पारिस्थितिक जोखिम बढ़ जाता है।
- बढ़ती पर्यटन मांग भूमि संसाधनों पर दबाव डालती है और कटाव को तेज करती है।

नतीजे:

- केदारनाथ (2013) और चमोली (2021) जैसी आपदाओं के कारण मानवीय क्षति।
- मृदा अपरदन, जैव विविधता की हानि, तथा वन क्षरण से क्षेत्र की लचीलापन कम हो रहा है।
- खराब योजनाबद्ध विकास भारी वर्षा की घटनाओं को विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में बदल देता है।
- बुनियादी ढांचे की क्षति, बाधित कृषि और पर्यटन राजस्व की हानि से आर्थिक नुकसान होता है।
- जब लोगों से परामर्श नहीं किया जाता तथा उनकी सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो शासन में सामाजिक विश्वास कम हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- क्षेत्रीय वहन क्षमता के आधार पर विशिष्ट, पर्वत-विशिष्ट विकास मॉडल विकसित करना।
- परियोजना अनुमोदन से पहले सख्त और स्वतंत्र पारिस्थितिक और आपदा प्रभाव आकलन सुनिश्चित करें।
- वनरोपण, ढलान स्थिरीकरण और जलग्रहण प्रबंधन जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना।
- जलवायु साक्षरता को मजबूत करना, पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना, तथा लचीलेपन के लिए स्थानीय शासन को सशक्त बनाना।
- सौर, पवन और विकेन्द्रित ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करके जल विद्युत पर निर्भरता कम करें।

निष्कर्ष:

हिमालय उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ अनियंत्रित विकास और जलवायु परिवर्तन मिलकर इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता को खतरे में डाल रहे हैं। सतत विकास के ऐसे मॉडल जो पारिस्थितिक संतुलन का सम्मान करते हैं, स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं और विकास को संतुलित करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए इन "जीवित पहाड़ों" को संरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।

ईरान-आईएईए परमाणु निगरानी समझौता, 2025

संदर्भ:

IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसके तहत निरीक्षकों को परमाणु प्रतिष्ठानों की निगरानी पुनः शुरू करने की अनुमति दी गई है, जिनमें हाल ही में इजरायल और अमेरिका के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जो पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- आईएईए निरीक्षकों को ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं और प्रतिष्ठानों तक पुनः पहुंच प्राप्त हो जाएगी।
- निरीक्षण में पहले के हमलों में लक्षित स्थलों को भी शामिल किया जाएगा, तथा इन स्थानों पर परमाणु सामग्रियों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
- यह समझौता परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) व्यापक सुरक्षा समझौते के तहत ईरान की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करता है।
- इस समझौते में मध्यस्थ के रूप में मिस्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसका कार्यान्वयन ईरान के विरुद्ध नई शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों या प्रतिबंधों की अनुपस्थिति पर निर्भर है।

IAEA के बारे में

1. आइजनहावर के "शांति के लिए परमाणु" भाषण के बाद 1957 में स्थापित।
2. इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है, तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय विश्व भर में हैं।
3. निरीक्षण और सुरक्षा उपायों के माध्यम से परमाणु अप्रसार संधि के अनुपालन को लागू करना।
4. चिकित्सा, ऊर्जा और कृषि में शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग का समर्थन करता है।
5. संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आईएईए की संस्थागत संरचना

1. **सामान्य सम्मेलन:**
   सभी सदस्य देश मिलकर सामान्य सम्मेलन बनाते हैं, जो बजट को मंजूरी देने और समग्र नीतियां निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करते हैं।
2. **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:**
   इसमें 35 सदस्य होते हैं; सुरक्षा उपायों को मंजूरी देने और महानिदेशक की नियुक्ति के लिए इसकी बैठक प्रतिवर्ष लगभग पांच बार होती है।
3. **सचिवालय:**

महानिदेशक के नेतृत्व में, सचिवालय IAEA के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है।

IAEA के कार्य

4. **शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा:**
   IAEA यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, तथा सैन्य अनुप्रयोगों से बचा जाए।
5. **परमाणु सुरक्षा उपाय:**
   अनुपालन की पुष्टि के लिए निगरानी, साइट पर निरीक्षण, सूचना विश्लेषण और अन्य तरीकों के माध्यम से सुरक्षा उपायों को लागू करना।

महत्व:

- यह समझौता ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तत्काल पुनः लागू होने से रोकता है।
- यह वर्तमान क्षेत्रीय तनाव के बीच परमाणु अप्रसार के उद्देश्य से राजनयिक प्रयासों को पुनर्जीवित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्वस्त किया कि ईरान एनपीटी ढांचे का हिस्सा बना हुआ है और उसने अपने दायित्वों का परित्याग नहीं किया है।

निष्कर्ष:

इस समझौते को बढ़ते क्षेत्रीय संघर्ष के समय परमाणु कूटनीति को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है और यह राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए परमाणु अप्रसार उद्देश्यों को बनाए रखने के बहुपक्षीय प्रयासों का एक उदाहरण है।

एस्परगिलस सेक्शन निगरी

संदर्भ

भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत पुणे स्थित एमएसीएस-अघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट की मिट्टी के नमूनों से एस्परगिलस सेक्शन निगरी की दो नई प्रजातियों की खोज की।

मुख्य विवरण

- नई प्रजातियों का नाम *एस्परगिलस ढाकेफाल्करी* और *एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायर रखा गया*।
- *ए. ढाकेफाल्करी* तेजी से बढ़ता है, चिकने अंडाकार बीजाणु और नारंगी रंग के स्क्लेरोशिया उत्पन्न करता है।
- *ए. पेट्रीसियाविल्टशायरी* भी कांटेदार बीजाणुओं और प्रचुर मात्रा में स्क्लेरोशिया के साथ तेजी से बढ़ता है।
- दो और प्रजातियां, *ए. एक्यूलेटिनस* और *ए. ब्रुनेओवियोलेसस*, भारत में पहली बार दर्ज की गईं।

महत्व

- काली एस्परगिलाई साइट्रिक एसिड उत्पादन, किण्वन और कृषि के लिए औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- इस खोज से पश्चिमी घाट क्षेत्र में विशाल, छिपी हुई कवक विविधता पर प्रकाश पड़ा है।
- कवक वर्गीकरण, पारिस्थितिकी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में भारत के योगदान को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

यह सफलता पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाटों में कवक जैव विविधता की समझ का विस्तार करती है, तथा भविष्य में औद्योगिक और कृषि जैव प्रौद्योगिकी को समर्थन प्रदान करती है।

भारत-मॉरीशस विशेष आर्थिक पैकेज

प्रसंग

मॉरीशस के प्रधानमंत्री **नवीनचंद्र रामगुलाम की** वाराणसी यात्रा के दौरान, भारत ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से **680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की।**

पैकेज के बारे में

विकास और आर्थिक सहयोग

- **वित्तीय सहायता:** विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान और ऋण के माध्यम से 680 मिलियन अमरीकी डॉलर।
- **स्वास्थ्य सेवा:** एक नए राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण, भारत के बाहर पहला *जन औषधि केंद्र स्थापित करना*, तथा एक आयुष उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
- **शिक्षा एवं अनुसंधान:** अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्थानों (आईआईटी-मद्रास, आईआईपीएम-बेंगलुरु) और मॉरीशस विश्वविद्यालय के बीच समझौते।
- **बुनियादी ढांचा:** सड़क नेटवर्क का विस्तार (मोटरवे एम4, रिंग रोड चरण II), हवाई यातायात नियंत्रण का आधुनिकीकरण, और बंदरगाह उपकरणों की खरीद।

समुद्री एवं सामरिक सहयोग

- **बंदरगाह विकास:** क्षेत्रीय समुद्री केंद्र के रूप में मॉरीशस की भूमिका को बढ़ाने के लिए पोर्ट लुईस का संयुक्त पुनर्विकास।
- **नीली अर्थव्यवस्था:** महासागर मानचित्रण और समुद्री संरक्षण पर सहयोग।

- **रक्षा सहायता:** हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, प्रशिक्षण और सुरक्षा सहयोग।

सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध

- से अधिक **आबादी** भारत से आती है, जिससे वहां के लोगों के बीच मजबूत संबंध बने हैं।
- वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी और गंगा आरती में भागीदारी सहित प्रतीकात्मक संकेतों ने सांस्कृतिक आत्मीयता को मजबूत किया।

सामरिक महत्व

भू-राजनीतिक मूल्य

- **संचार के** प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट मॉरीशस का स्थान भारत की समुद्री रणनीति और हिंद महासागर में बाहरी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **यह अफ्रीका के लिए** एक सेतु के रूप में कार्य करता है तथा आईओआरए, राष्ट्रमंडल और हिंद महासागर आयोग जैसे मंचों पर भारत का समर्थन करता है।

आर्थिक महत्व

- कराधान समझौतों के कारण यह **भारत के लिए** एक प्रमुख एफडीआई मार्ग के रूप में कार्य करता है ।
- **सागरमाला दृष्टिकोण** और क्षेत्रीय संपर्क लक्ष्यों के अनुरूप है ।

सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी

- भारतीय प्रवासी समुदाय विश्वास का निर्माण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मॉरीशस इस क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी साझेदार बना रहे।
- **आयुष और सिविल सेवा प्रशिक्षण** में सहयोग से भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर प्रोफाइल को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियां

- **सामरिक प्रतिस्पर्धा:** हिंद महासागर में बढ़ती चीनी उपस्थिति।
- **जलवायु जोखिम:** चक्रवातों, समुद्र-स्तर में वृद्धि और कटाव के प्रति संवेदनशीलता।
- **आर्थिक निर्भरता:** पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर भारी निर्भरता।
- **कार्यान्वयन में देरी:** भारत द्वारा वित्तपोषित पिछली परियोजनाओं को नौकरशाही और संभारतंत्र संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा।
- **समुद्री खतरे:** समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ना और ईईजेड का दुरुपयोग जैसे मुद्दे।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **समुद्री सहयोग को मजबूत करना:** सागर के अंतर्गत निगरानी, महासागर मानचित्रण और तट रक्षक प्रशिक्षण का विस्तार करना।
- **जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करें:** नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रवात-रोधी प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन का उपयोग करें।
- **समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें:** डिजिटल निगरानी, एकल खिड़की मंजूरी और निजी क्षेत्र का समर्थन अपनाएं।
- **अर्थव्यवस्था में विविधता लाना:** फिनटेक, डिजिटल बुनियादी ढांचे (यूपीआई, रुपे) और हरित हाइड्रोजन में सहयोग करना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना:** छात्रवृत्ति, आदान-प्रदान और विरासत पर्यटन लिंक (वाराणसी-मॉरीशस सर्किट) को बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत-मॉरीशस साझेदारी एक **व्यापक रणनीतिक गठबंधन में तब्दील हो रही है** । स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके, यह साझेदारी भारत की **पड़ोसी प्रथम नीति को दर्शाती है** और हिंद महासागर में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करती है।

दो-राज्य समाधान

प्रसंग

हाल ही में, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी, जिससे द्वि-राज्य समाधान पर बहस तेज़ हो गई। फ्रांस ने "उचित समय" पर फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की इच्छा व्यक्त की। यह इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष में बढ़ते वैश्विक राजनीतिक और नैतिक दबावों को उजागर करता है।

दो-राज्य समाधान क्या है?

द्वि **-राज्य समाधान में दो स्वतंत्र राष्ट्रों - इजरायल और फिलिस्तीन** - के निर्माण का प्रस्ताव है , जो परस्पर सहमत सीमाओं के साथ एक-दूसरे के साथ रहेंगे।

मुख्य घटक:

- **सीमाएँ:** बातचीत से तय सीमाएँ, जो प्रायः *1967 से पूर्व की रेखाओं पर आधारित होती हैं*, जिनमें भूमि का आदान-प्रदान भी संभव है।
- **यरूशलम:** साझा राजधानी, **पूर्वी यरूशलम को** फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में देखा गया।
- **सुरक्षा:** विसैन्यीकरण व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद-रोधी सहयोग।

- **शरणार्थी:** पुनर्वास, मुआवजा या वापसी विकल्पों के माध्यम से फिलिस्तीनी शरणार्थी अधिकारों को संबोधित करना।
- **बस्तियाँ:** कब्जे वाले फिलिस्तीनी भूमि पर इजरायली बस्तियों के भाग्य का फैसला करना।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **1936-37:** ब्रिटेन ने *पील आयोग का गठन किया*, जिसमें फिलिस्तीन को अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने की सिफारिश की गई। अरबों ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- **1947:** संयुक्त *राष्ट्र विभाजन योजना* (प्रस्ताव 181) में यहूदी, अरब और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया। इसे यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसका विरोध किया।
- **1948:** इजरायल की स्थापना के कारण प्रथम अरब-इजरायल युद्ध हुआ; इजरायल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आवंटित भूमि से अधिक भूमि प्राप्त हुई।
- **1967:** *छह दिवसीय युद्ध* के बाद , इज़राइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरुशलम, सिनाई और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया।
- **1993-95:** ओस्लो *समझौते के तहत* फिलिस्तीनी प्राधिकरण का गठन हुआ और पीएलओ को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिससे दो-राज्य ढांचे की नींव रखी गई।

अंतर्राष्ट्रीय वैधता

- **संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 242 (1967):** कब्जे वाले क्षेत्रों से इजरायल की वापसी का आह्वान किया गया।
- **कैम्प डेविड समझौता (1978):** इजरायल ने फिलिस्तीनी स्वायत्तता को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की।
- **ओस्लो प्रक्रिया (1990 का दशक):** इसमें पीएलओ को फ़िलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई और दो संप्रभु राज्यों की परिकल्पना की गई।
  इन ढाँचों के बावजूद, कार्यान्वयन रुका रहा, जिससे यह परिकल्पना अधूरी रह गई।

द्वि-राज्य समाधान की चुनौतियाँ

- **अनिर्धारित सीमाएँ:** इज़रायली बस्तियों के विस्तार से सीमाएँ खींचना कठिन हो गया है।
- **यरूशलम विवाद:** दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी बताते हैं।
- **शरणार्थी मुद्दा:** 1948 से विस्थापित लाखों फिलिस्तीनी लोग अपने वापसी के अधिकार की मान्यता की मांग कर रहे हैं, जिसका इजराइल विरोध कर रहा है।
- **राजनीतिक विभाजन:** इजरायल और फिलिस्तीन दोनों में कट्टरपंथी समूहों के उदय ने शांति प्रयासों को कमजोर कर दिया है।
- **सुरक्षा चिंताएं:** विश्वास की कमी और बार-बार होने वाली हिंसा वार्ता को कमजोर करती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता** द्वारा समर्थित वास्तविक वार्ता ।
- समझौतों पर रोक लगाना तथा उन्हें धीरे-धीरे वापस लेना।
- यरूशलेम पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य फार्मूला।
- मुआवजे और सीमित वापसी के साथ शरणार्थी प्रश्न का उचित समाधान।
- आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान के माध्यम से विश्वास निर्माण।

निष्कर्ष

इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने के लिए द्वि-राज्य समाधान अब भी सबसे व्यापक रूप से समर्थित दृष्टिकोण है। हालाँकि, सीमाओं, शरणार्थियों और यरुशलम पर राजनीतिक गतिरोध और नेतृत्व के अड़ियल रुख ने इसकी प्रगति को रोक दिया है। बिना समझौते के, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व दूर की कौड़ी लगता है।

स्वदेशी सौर सेल

प्रसंग

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने **2028 तक पूर्णतः स्वदेशी सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने की भारत की योजना की घोषणा की** , जिसमें मॉड्यूल, सेल, वेफर और सिल्लियां शामिल होंगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

यह पहल क्या है?

यह एक **राष्ट्रीय रणनीति है** जिसका उद्देश्य संपूर्ण घरेलू सौर मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।

- **एमएनआरई योजनाओं, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई), जीएसटी कटौती** और नीति सुधारों द्वारा समर्थित ।
- **आत्मनिर्भर सौर विनिर्माण केंद्र** में बदलने का प्रयास ।

उद्देश्य

- **आयात निर्भरता कम करना:** ऊर्जा सुरक्षा के लिए चीनी सौर घटकों पर निर्भरता कम करना।
- **मेक इन इंडिया:** वैश्विक सौर ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति का निर्माण करना।

- **रोजगार सृजन:** बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना।
- **निवेश को बढ़ावा देना:** पीएलआई समर्थन के माध्यम से निजी निवेश और एफडीआई को प्रोत्साहित करना।

प्रमुख विशेषताऐं

- **100 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता:** पहले ही प्राप्त कर ली गई है; वेफर्स और सिल्लियों के लिए विस्तार लक्षित है।
- **पीएलआई योजना का प्रभाव:** 50,000 करोड़ रुपये का निवेश; 12,600 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित।
- **सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:** 2 मिलियन परिवार लाभान्वित; लगभग 50% परिवारों ने शून्य बिजली बिल की सूचना दी।
- **पीएम-कुसुम योजना:** 1.6 मिलियन सौर पंप स्थापित/सौरीकृत किए गए, जिससे प्रतिवर्ष 1.3 बिलियन लीटर डीजल की बचत हुई।
- **नीतिगत समर्थन:** जीएसटी में कटौती (12% → 5%), त्वरित अनुमोदन, तथा परियोजना निष्पादन में आसानी के लिए भूमि मंजूरी।

महत्व

- बाहरी निर्भरता को कम करके **ऊर्जा सुरक्षा को** मजबूत करता है ।
- भारत के **नेट-जीरो 2070 लक्ष्य में योगदान देता है** ।
- विकेन्द्रीकृत सौर उपयोग के माध्यम से **हरित रोजगार और ग्रामीण आय वृद्धि को** बढ़ावा देना ।
- **वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला** में भारत की भूमिका को बढ़ाता है ।

चुनौतियां

- **प्रौद्योगिकी अंतराल:** भारत में अभी भी उच्च दक्षता वाले वेफर्स और सिल्लियों के लिए उन्नत जानकारी का अभाव है।
- **आयात पर निर्भरता:** प्रगति के बावजूद, 70% से अधिक सेल और वेफर्स चीन से आयात किए जाते हैं।
- **उच्च प्रारंभिक लागत:** सस्ते चीनी आयात की तुलना में घरेलू उत्पादन महंगा है।
- **भूमि एवं अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** भूमि आवंटन, रसद और बिजली निकासी नेटवर्क में देरी।
- **आपूर्ति श्रृंखला जोखिम:** पॉलीसिलिकॉन जैसे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** उन्नत सौर विनिर्माण में प्रशिक्षित जनशक्ति सीमित है।

निष्कर्ष

2028 तक स्वदेशी सौर सेल के लिए भारत का प्रयास, **नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । हालाँकि लागत प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की आपूर्ति और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन समय पर नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत को सौर ऊर्जा निर्माण में वैश्विक अग्रणी बना सकती है। यह मिशन न केवल भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं और आर्थिक लचीलेपन को भी मज़बूत करेगा।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)

प्रसंग

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कई आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि हिंसा एक "पूर्व-नियोजित साज़िश" थी। आरोपियों पर **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 16** सहित, आतंकवादी कृत्य करने पर मृत्युदंड का प्रावधान करने वाले प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

यूएपीए के बारे में

1967 में अधिनियमित यूएपीए भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है जिसका उद्देश्य गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एजेंसियों को सशक्त बनाना।
- **गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा:** इसमें अलगाव, क्षेत्रीय विघटन या भारत की संप्रभुता को कमजोर करने वाली गतिविधियां शामिल हैं।
- **पदनाम शक्तियां:** सरकार संगठनों और व्यक्तियों को *आतंकवादी घोषित कर सकती है*।
- **गिरफ्तारी एवं हिरासत:** संभावित खतरों को रोकने के लिए निवारक हिरासत की अनुमति देता है।

यूएपीए और मानवाधिकार

अधिनियम की कठोरता ने **मानवाधिकार संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं**:

- **निवारक निरोध:** स्वतंत्रता और निर्दोषता की धारणा से समझौता हो सकता है।
- **पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति:** जबरदस्ती का जोखिम निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

- **संगठन बनाने की स्वतंत्रता:** पारदर्शी प्रक्रिया के बिना संगठनों पर प्रतिबंध।
- **अभिव्यक्ति एवं असहमति:** आलोचकों और कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए संभावित दुरुपयोग।
- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** निगरानी शक्तियों के अतिक्रमण का खतरा है।
- **आनुपातिकता:** आलोचकों का तर्क है कि यूएपीए का व्यापक दायरा अधिकारों को असमान रूप से प्रतिबंधित कर सकता है।

यूएपीए और संविधान

अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जो अक्सर यूएपीए प्रावधानों के साथ तनाव में आ जाते हैं:

- **सूचना पाने का अधिकार (अनुच्छेद 22(1)):** गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी होनी चाहिए।
- **वकील का अधिकार (अनुच्छेद 22(1)):** कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित की गई।
- **निवारक निरोध (अनुच्छेद 22(4)):** केवल सख्त शर्तों के तहत अनुमत, 3 महीने के भीतर सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के साथ।
- **मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी (अनुच्छेद 22(2)):** गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर।
- **नजरबंदी के विरुद्ध प्रतिनिधित्व:** बंदियों को नजरबंदी को चुनौती देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

चुनौतियां

- **कठोर जमानत प्रावधान:** न्यायालयों ने यूएपीए के तहत जमानत को लगभग असंभव करार दिया है, जिसके कारण लंबे समय तक कारावास की सजा हो सकती है।
- **दुरुपयोग की गुंजाइश:** आलोचक असहमत लोगों, छात्रों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की ओर इशारा करते हैं।
- **न्यायिक लंबित मामला:** धीमी सुनवाई के कारण न्याय में देरी होती है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** विस्तृत तर्क या समय पर समीक्षा के बिना ही आतंकवादियों की घोषणा कर दी जाती है।
- **नागरिक स्वतंत्रता:** राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच तनाव।

निष्कर्ष

यूएपीए भारत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक **महत्वपूर्ण कानूनी साधन बना हुआ है, लेकिन इसने स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा** पर बहस भी छेड़ दी है । एक संतुलन की आवश्यकता है— **संवैधानिक अधिकारों, न्यायिक निगरानी और उचित प्रक्रिया को कायम रखते** हुए प्रभावी आतंकवाद-रोधी तंत्र सुनिश्चित करना । सुरक्षा उपायों में सुधार, आनुपातिकता सुनिश्चित करना और दुरुपयोग के जोखिमों को कम करना, यूएपीए को राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों, दोनों के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक हैं।

खुदरा मुद्रास्फीति

प्रसंग

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति **अगस्त 2025** में अपने नौ महीने के गिरावट के रुझान को उलट देगी और जुलाई 2025 के 1.55% से बढ़कर **2.1% हो जाएगी। हालाँकि यह अभी भी आरबीआई के 2-6% के सहनशीलता बैंड के भीतर है** , फिर भी यह वृद्धि घरेलू बजट और नीति प्रबंधन पर दबाव का संकेत देती है।

मुद्रास्फीति क्या है?

मुद्रास्फीति **वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि है** , जो मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है। भारत में, इस पर **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा नज़र रखी जाती है** ।

- **इसके कारणों में शामिल हैं:** मांग-आपूर्ति असंतुलन, बढ़ती इनपुट लागत, वेतन वृद्धि, अत्यधिक मुद्रा परिसंचरण, मुद्रा अवमूल्यन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।

खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई-आधारित)

- खुदरा मुद्रास्फीति को **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के माध्यम से मापा जाता है** , जो उपभोक्ता स्तर पर मूल्य वृद्धि को दर्शाता है।
- WPI के विपरीत, CPI में **वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है** , जिससे यह जीवन-यापन की लागत का बेहतर संकेतक बन जाता है।
- इसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए **महंगाई भत्ते (डीए) की गणना करने के लिए भी किया जाता है।**

मुद्रास्फीति मापना

- **सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक):** प्रत्यक्ष रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं (खाद्य, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आदि) की कीमतों को दर्शाता है।
- **WPI (थोक मूल्य सूचकांक):** थोक स्तर पर कीमतों को ट्रैक करता है, यानी विभिन्न व्यवसायों के बीच बेची जाने वाली वस्तुओं को।
  दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था में मूल्य प्रवृत्तियों को समझने में मदद करते हैं।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

- **आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेडए** के तहत केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से **पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है** ।
- वर्तमान लक्ष्य (2021-2026): **2-6%** की सहनशीलता बैंड के साथ **4% सीपीआई मुद्रास्फीति** ।
- **धारा 45जेडबी** के तहत गठित मौद्रिक **नीति समिति (एमपीसी)** इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरें तय करती है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

- पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए **2016** में स्थापित ।
- **संरचना:** 6 सदस्य (आरबीआई से 3, अध्यक्ष के रूप में गवर्नर सहित + 3 सरकार द्वारा नामित)।
- अधिदेश: विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

हाल के मुद्रास्फीति रुझानों के पीछे के कारक

- **खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि:** सब्जियां, दालें और खाद्य तेल अक्सर अपने उच्च भार (~ 46%) के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं।
- **वैश्विक कमोडिटी कीमतें:** कच्चे तेल और धातुओं के दाम में गिरावट से थोक मुद्रास्फीति में कमी आई।
- **व्यापार एवं टैरिफ नीतियां:** खाद्य तेलों/दालों पर आयात शुल्क में समायोजन, चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध।
- **आधार प्रभाव:** पिछले वर्ष की उच्च/निम्न मुद्रास्फीति संख्याएं वर्तमान प्रतिशत परिवर्तन को प्रभावित करती हैं।

सरकारी उपाय

- खाद्य तेलों और दालों पर टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना।
- जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक सीमा का रखरखाव।
- घरेलू आपूर्ति को स्थिर करने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं (जैसे चावल, गेहूं) पर निर्यात नियंत्रण।

खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में चुनौतियाँ

- मानसून पर निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के कारण **खाद्य पदार्थों की कीमतों में उच्च अस्थिरता ।**
- वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से **आयातित मुद्रास्फीति ।**
- आपूर्ति श्रृंखला की अकुशलता और भंडारण हानि जैसे **संरचनात्मक मुद्दे ।**
- **नीतिगत समझौता** : मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए अत्यधिक सख्ती से आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं** : विभिन्न राज्य स्थानीय उत्पादन और उपभोग के आधार पर भिन्न-भिन्न मुद्रास्फीति दबावों का अनुभव करते हैं।

निष्कर्ष

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति एक **गंभीर व्यापक आर्थिक चुनौती बनी हुई है** , जो सीधे तौर पर परिवारों को प्रभावित करती है और मौद्रिक नीति निर्णयों को प्रभावित करती है। हालाँकि वर्तमान स्तर आरबीआई के दायरे में हैं, वैश्विक कमोडिटी बाजारों, खाद्य आपूर्ति झटकों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिमों के कारण निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। कृषि और रसद में संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच प्रभावी समन्वय, **समावेशी विकास के साथ मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा** ।

भारत-नेपाल संबंध

प्रसंग

नेपाल के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दक्षिण एशिया में आंतरिक सामाजिक-आर्थिक उथल-पुथल अक्सर क्षेत्रीय स्थिरता पर बाहरी प्रभावों से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालती है। भारत के लिए, नेपाल सामरिक, सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक महत्व वाला एक प्रमुख पड़ोसी बना हुआ है।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंध

- **ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध:** हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, व्यापार और लोगों के बीच आदान-प्रदान के माध्यम से प्राचीन संबंध।
- **सुगौली की संधि (1816):** एंग्लो-नेपाली युद्ध के बाद सीमाओं का सीमांकन करते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर किये गये।
- **शांति एवं मैत्री संधि (1950):** आधुनिक द्विपक्षीय संबंधों का आधार; लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही तथा घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग को सक्षम बनाया।
- **आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग:** भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और विकासात्मक सहायता प्रदाता है।
- **रक्षा सहयोग:** संयुक्त अभ्यास (जैसे, *सूर्य किरण*), प्रशिक्षण सहायता, आपदा राहत और मानद सैन्य उपाधियाँ।

- **सांस्कृतिक संबंध:** *पशुपतिनाथ* और *लुम्बिनी* जैसे साझा धार्मिक स्थल लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करते हैं।

भारत-नेपाल सीमा विवाद

- **उत्पत्ति:** सुगौली की संधि की अस्पष्टताएं।
- **विवादित क्षेत्र:**
  - *कालापानी घाटी* - दोनों का दावा है कि यह काली नदी के किनारे स्थित है।
  - *लिपुलेख दर्रा* - 2020 में भारत के सड़क निर्माण से तनाव बढ़ गया।
  - *सुस्ता क्षेत्र* - गंडक नदी के मार्ग में बदलाव के कारण अतिव्यापी दावे उत्पन्न हुए।
- **प्रभाव:** तनावपूर्ण संबंध, सुरक्षा जोखिम, रुकी हुई परियोजनाएं और स्थानीय आजीविका में व्यवधान।
- **समाधान के प्रयास:** 1980 के दशक से संयुक्त सीमा कार्य समूह; कूटनीतिक वार्ता जारी है, लेकिन अनिर्णायक है।

नेपाल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- **सामरिक भूगोल:** भारत और चीन के बीच बफर राज्य।
- **सांस्कृतिक एवं धार्मिक जुड़ाव:** हिंदू और बौद्ध विरासत स्थल।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध:** खुली सीमाएं व्यापार और श्रम प्रवास को सुगम बनाती हैं।
- **जल संसाधन:** नेपाल की नदियाँ भारत में सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय गतिशीलता

- **संतुलनकारी कार्य:** नेपाल भारत और चीन के बीच संबंधों को संतुलित कर रहा है।
- **चीन की भूमिका:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से निवेश में वृद्धि, भारत में चिंताएं बढ़ाना।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा:** नेपाल में स्थिरता हिमालय क्षेत्र में भारतीय और चीनी दोनों के हितों को प्रभावित करती है।

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और नेपाल

- **उद्देश्य:** व्यापार, संपर्क, संस्कृति और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना।
- **नेपाल के साथ जुड़ाव:**
  - विकास परियोजनाएं, ऊर्जा सहयोग और सीमा पार बुनियादी ढांचा।
  - सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क।
  - आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और सीमा प्रबंधन पर सुरक्षा सहयोग।

चुनौतियां

- **सीमा विवाद:** अनसुलझा कालापानी-लिपुलेख-सुस्ता तनाव।
- **विश्वास की कमी:** नेपाल में घरेलू मामलों में भारतीय हस्तक्षेप की धारणा।
- **चीनी प्रभाव:** बुनियादी ढांचे और निवेश में बढ़ती चीनी उपस्थिति।
- **व्यापार असंतुलन:** आयात के लिए नेपाल की भारत पर भारी निर्भरता।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **राजनयिक जुड़ाव:** सीमा विवादों को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता को पुनर्जीवित करना।
- **संतुलित विकास सहायता:** नेपाल की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी, पारदर्शी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** संबंधों को मजबूत करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना।
- **आर्थिक विविधीकरण:** जल विद्युत, कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग का विस्तार करना।

निष्कर्ष

भारत-नेपाल संबंध इतिहास, संस्कृति और भूगोल में गहराई से निहित हैं। सीमा विवाद और बाहरी प्रभाव जैसी चुनौतियाँ इन संबंधों को जटिल तो बनाती हैं, लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता यह सुनिश्चित करती है कि सहयोग वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। **आपसी विश्वास, सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित एक संतुलित दृष्टिकोण** ही भारत-नेपाल साझेदारी की भावी दिशा तय करेगा।

भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति 2025

प्रसंग

सितंबर 2025 में, भारत सरकार ने **भूतापीय ऊर्जा पर अपनी पहली राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की** , जो नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इस नीति का उद्देश्य अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना, **2070 के नेट ज़ीरो लक्ष्य का समर्थन करना** और हमेशा उपलब्ध, स्वच्छ बेसलोड ऊर्जा स्रोत की शुरुआत करके **ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना है।**

नीति के बारे में

- **अन्वेषण एवं विकास** : एमएनआरई-नेतृत्व वाली रूपरेखा; 5 पायलट (बाड़मेर तेल क्षेत्र, तवांग हीटिंग, उथले डेमो, शीतलन, सौर-भूतापीय संकर)।
- **अनुप्रयोग** : बिजली, तापन/शीतलन, खेती, जलीय कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, विलवणीकरण, भंडारण, पर्यटन।
- **प्रौद्योगिकी एवं नवाचार** : हाइब्रिड मॉडल, कुओं का पुनः उपयोग, ईजीएस/एजीएस प्रणालियां।
- **विनियामक एवं राजकोषीय सहायता** : वीजीएफ, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, कर छूट, 100% एफडीआई, जीएसटी/शुल्क छूट, कार्बन क्रेडिट; वैश्विक सहयोग (अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे)।

महत्व

1. **ऊर्जा सुरक्षा**

- **यह स्थिर, वर्ष भर चलने वाली बेसलोड बिजली** उपलब्ध कराता है , जो परिवर्तनशील सौर और पवन ऊर्जा का पूरक है।
- आयातित हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम होती है, तथा अर्थव्यवस्था को मूल्य झटकों से बचाया जाता है।

2. **ग्रामीण एवं औद्योगिक लाभ**

- भूतापीय तापन/शीतलन कृषि, जलीय कृषि, शीत भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण में सहायक होता है।
- ग्रामीण आजीविका को समर्थन देता है और **जलवायु लचीलापन बढ़ाता है** ।

भू-राजनीतिक और तकनीकी निहितार्थ

- भारत को अग्रणी भूतापीय राष्ट्रों में स्थान दिलाया, **ऊर्जा संप्रभुता को आगे बढ़ाया** ।
- **एसडीजी 7 (स्वच्छ ऊर्जा)** और **एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई)** के साथ संरेखित ।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास साझेदारी को बढ़ावा देता है।
- राज्य ऊर्जा बोर्ड, तेल कंपनियां और वैश्विक एजेंसियां घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगी।

चुनौतियां

- भूतापीय क्षमता में सीमित घरेलू विशेषज्ञता और **डेटा अंतराल ।**
- उच्च प्रारंभिक अन्वेषण और ड्रिलिंग लागत.
- पर्यावरणीय जोखिम (सूक्ष्म भूकंपीयता, जल उपयोग, भूमि अवतलन)।
- कुशल जनशक्ति और अनुकूली विनियमन की आवश्यकता।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **मापनीयता और व्यवहार्यता** के लिए पायलट परियोजनाओं की निरंतर निगरानी ।
- मजबूत **डेटा भंडार** और ज्ञान-साझाकरण नेटवर्क स्थापित करें।
- मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करना और **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करना** ।
- अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करना।
- निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी राजकोषीय और विनियामक सहायता।

निष्कर्ष

भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति 2025 एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है, जो स्वच्छ आधारभूत ऊर्जा को भारत की मुख्यधारा की ऊर्जा योजना में एकीकृत करती है। नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्रामीण विकास के अवसरों को मिलाकर, यह नीति ऊर्जा लचीलापन, ग्रामीण समृद्धि और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी सुदृढ़ करेगी।

16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) 2025

प्रसंग

16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन (15-17 सितंबर, 2025, कोलकाता) में "सुधारों के वर्ष" पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें उभरती सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य आधुनिकीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकियों और तीनों सेवाओं के एकीकरण पर जोर दिया गया।

मुख्य विशेषताएं और सुधार

- अंतर-संचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शहरों में **संयुक्त युद्ध कक्ष और स्टेशन ।**
- एकीकृत प्रशिक्षण और सिद्धांत के लिए **त्रि-सेवा शिक्षा कोर ।**
- **प्रथम संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत ने** अंतरिक्ष को रक्षा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी।
- **उन्नत प्रौद्योगिकियों** पर ध्यान केंद्रित करें : वायु रक्षा, ड्रोन-रोधी, साइबर और स्वदेशी उत्पादन।
- **खरीद सुधार** : सरलीकृत अधिग्रहण, अधिक वित्तीय शक्तियां, पारदर्शिता।
- तैयारियों को बढ़ाने के लिए **ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा की गई ।**

- चपलता और आत्मनिर्भरता के लिए **निरंतर, अनुकूलनीय सुधारों** के प्रति प्रतिबद्धता

महत्व

- सुधारों का उद्देश्य एक **उत्तरदायी, अंतर-संचालनीय और तकनीक-प्रेमी बल का निर्माण करना है** ।
- **घरेलू रक्षा विनिर्माण** पर अधिक ध्यान देने से आयात पर निर्भरता कम होती है और **आत्मनिर्भर भारत को समर्थन मिलता है** ।
- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में **क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता** के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ाता है ।

भू-राजनीतिक और संस्थागत प्रभाव

- **पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों का** मुकाबला करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है ।
- एकीकृत कमान और संयुक्त स्टेशन भारत की सेना को **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाते हैं** ।
- एकीकृत शिक्षा और सिद्धांत एक **सुसंगत, आधुनिक सशस्त्र बल संरचना में योगदान करते हैं** ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **समय पर कार्यान्वयन** और संयुक्त परिचालन संरचनाओं का विस्तार।
- नियमित **सैद्धांतिक अद्यतन** और वैश्विक नवाचारों को अपनाना।
- **कुशल कार्मिकों, डिजिटल अवसंरचना और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास** में अधिक निवेश ।
- प्रभावी रक्षा तैयारियों के लिए **नागरिक-सैन्य तालमेल को** मजबूत करना ।

निष्कर्ष

16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन (2025) भारत की सैन्य परिवर्तन यात्रा में एक मील का पत्थर है। एकीकरण, तकनीकी अपनाने और सुधार-संचालित आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाकर, यह भविष्य के लिए तैयार, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा बल बनाने के भारत के संकल्प की पुष्टि करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

फेंटेनाइल संकट और भारत की भूमिका

प्रसंग

संयुक्त राज्य अमेरिका ओपिओइड ओवरडोज़ के गंभीर संकट से जूझ रहा है, जिसका प्रमुख कारण फेंटेनाइल है। भारत फेंटेनाइल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर रसायनों की कथित आपूर्ति को लेकर जांच का सामना कर रहा है, जो अवैध रूप से अमेरिका पहुँच रहे हैं।

मुख्य विवरण

- **फेंटेनाइल** : एक सिंथेटिक ओपिओइड, चिकित्सकीय रूप से उपयोगी लेकिन व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाने वाला पदार्थ, जिससे अमेरिका में **प्रतिवर्ष हजारों लोगों की मृत्यु होती है ।**
- **वीज़ा निरस्तीकरण** : अवैध रासायनिक शिपमेंट में संलिप्त कई भारतीय अधिकारियों के अमेरिकी वीज़ा निरस्त कर दिए गए।
- **तस्करी के रास्ते** : मुख्य रूप से **चीन और मैक्सिको से**, भारत एक बढ़ते स्रोत के रूप में उभर रहा है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती** : अमेरिका में ओपिओइड महामारी एक महत्वपूर्ण और सतत संकट बनी हुई है।

भारत के लिए निहितार्थ

- **नियामक दबाव** : रासायनिक निर्यात विनियमों को कड़ा करने और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- **प्रतिष्ठा जोखिम : "विश्व की फार्मेसी"** के रूप में भारत की छवि को खतरा ।
- **वैश्विक सहयोग :** सिंथेटिक ओपिओइड तस्करी को रोकने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** की आवश्यकता ।

निष्कर्ष

फेंटेनाइल संकट के साथ भारत का जुड़ाव, "विश्व की फार्मेसी" के रूप में अपनी भूमिका के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य जिम्मेदारी को संतुलित करने के लिए मजबूत विनियमन, वैश्विक सहयोग और प्रतिष्ठा संबंधी सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) निरीक्षण और सुधार

प्रसंग

2003 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को भारत में अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा और संवर्धन हेतु अधिकृत किया गया है। हालाँकि, 2025 में आयोग की प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गईं। इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार ने एनसीएसटी के कामकाज की निगरानी और सुधार तथा इसके वैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन आंतरिक पैनल गठित किए।

मुख्य विवरण

- एनसीएसटी भूमि, खनिज, जल, वनोपज, आजीविका रणनीतियों और विस्थापन से सुरक्षा से संबंधित जनजातीय अधिकारों की रक्षा करता है। यह जनजातीय आबादी को लाभ पहुँचाने वाले कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।
- अधिदेश के बावजूद, एनसीएसटी को गंभीर स्टाफ की कमी, वित्त पोषण संबंधी बाधाओं और सीमित परिचालन क्षमता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे पिछले दो दशकों में अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की इसकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- 2025 में, मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों की देखरेख के लिए तीन उप-समितियों का गठन किया गया - जिनके नाम उनके अध्यक्षों के नाम पर रखे गए (जतोत हुसैन पैनल, आशा लाकड़ा पैनल और निरुपम चकमकमा पैनल)
  - जतोत हुसैन पैनल: आदिवासियों की आजीविका और खनिज अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है
  - आशा लाकड़ा पैनल: भूमि हस्तांतरण, विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दों पर चर्चा
  - निरुपम चकमकमा पैनल: जनजातीय समुदायों के लिए पंचायती राज पहुंच और वन संरक्षण लाभों की निगरानी करता है।

इन पैनलों का महत्व

- इन पैनलों का उद्देश्य एनसीएसटी के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही बढ़ाना है।
- उनके कार्य से प्रवर्तन और नीति कार्यान्वयन में अंतराल को पाटने, आवाज को बुलंद करने और जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद है।
- पुनर्गठन से प्रणालीगत कमियों को दूर किया जाएगा ताकि आयोग हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा में अधिक प्रभावी हो सके।

चुनौतियां

- एनसीएसटी के सफल संचालन के लिए धन और संसाधनों की कमी अभी भी बाधाएं बनी हुई हैं, जिनका तत्काल समाधान आवश्यक है।
- प्रशासनिक सुधार अभी प्रारंभिक चरण में है, तथा ठोस सुधार लाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ-साथ सतत राजनीतिक इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण होगी।
- निगरानी तंत्र और आवधिक रिपोर्टिंग मानकों को और मजबूत किया जाना है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 2025 की सुधार पहल इस प्रमुख संवैधानिक निकाय को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जवाबदेही और लक्षित निगरानी को संस्थागत बनाकर अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने का वादा करता है। यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

एच-1बी वीज़ा विवाद

प्रसंग

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम ने अमेरिका और भारत में बार-बार बहस छेड़ी है, जनवरी और जून में इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थों पर प्रमुख चर्चाएँ हुईं। हाल ही में, शुल्क में भारी वृद्धि और प्रतिबंधात्मक नीतियों ने विवाद को फिर से जन्म दिया है, जिससे विदेशी कामगारों के अवसरों, अमेरिकी श्रम बाजार की गतिशीलता और इस कार्यक्रम पर भारत की निर्भरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

परिभाषा और उद्देश्य

एच-1बी वीज़ा अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक **गैर-आप्रवासी कार्य वीज़ा है, जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।** मुख्य विशेषताएँ:

- विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, वित्त, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, चिकित्सा और अनुसंधान में **अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान की** आवश्यकता वाली भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया ।
- इसका उद्देश्य अमेरिकी श्रम बाजार में कौशल की कमी को पूरा करना है, हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इससे कंपनियों को सस्ते विदेशी श्रम को काम पर रखकर लागत कम करने में मदद मिलती है।
- नियोक्ता कभी-कभी दावा करते हैं कि योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण विदेशी भर्ती आवश्यक हो जाती है।

पात्रता, सीमाएँ और चयन

एच-1बी वीज़ा सख्त पात्रता मानदंडों और संख्यात्मक सीमाओं के अंतर्गत संचालित होता है।
मुख्य पहलू:

- **पात्रता: आवेदकों के पास** किसी विशेष क्षेत्र में कम से कम **स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।**
- **वार्षिक सीमा:** प्रत्येक वर्ष लगभग **85,000 वीज़ा जारी किए जाते हैं।**
  - नियमित कोटे के तहत **65,000 रु .**
  - **20,000 रुपये** उन्नत अमेरिकी डिग्री (मास्टर या पीएचडी) वाले आवेदकों के लिए आरक्षित हैं।

- **चयन प्रक्रिया:** ओवरसब्सक्रिप्शन को देखते हुए, सिस्टम एक **यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ पर निर्भर करता है**।
- **वैधता: 3 वर्षों** के लिए जारी , अगले **3 वर्षों** के लिए नवीनीकृत , जिससे अधिकतम **6 वर्ष का प्रवास संभव है** । कई धारक इस अवधि के दौरान **ग्रीन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं।**
- **पिछली नीतियाँ:** ट्रम्प प्रशासन ने नियोक्ताओं से किसी विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने से पहले यह साबित करने की अपेक्षा की थी कि कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है।

भारत की भूमिका और प्रभाव

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम का
सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है । मुख्य जानकारी:

- **भारतीय प्रभुत्व:** लगभग **70% एच-1बी वीज़ा** भारतीयों के पास हैं, उसके बाद चीनी पेशेवरों का स्थान है।
- **आर्थिक प्रभाव:** अमेरिका में भारतीय कामगार अपने घर बड़ी मात्रा में **धन भेजते हैं** , जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है तथा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मिलता है।
- **कुशल कार्यबल:** इस कार्यक्रम ने भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को वैश्विक अनुभव और अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिससे ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की छवि मजबूत हुई है।

शुल्क वृद्धि विवाद

एक बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार ने **एच-1बी वीज़ा शुल्क में भारी वृद्धि कर दी** ।
विवरण:

- **पिछला शुल्क:** $2,000–$5,000.
- **नया शुल्क:** प्रति श्रमिक **एकमुश्त भुगतान के रूप में $100,000 (₹90 लाख)** लागू किया गया ।
- **नियोक्ताओं पर बोझ:** विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अमेरिकी कंपनियों को इसका खर्च उठाना पड़ता है, तथा उन्हें तब तक नियुक्ति करने से हतोत्साहित किया जाता है जब तक कि उम्मीदवार असाधारण रूप से कुशल न हो।
- **भारतीयों पर प्रभाव:** इससे उच्च कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि नियोक्ता वित्तीय तनाव से बचने के लिए अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

सामरिक और आर्थिक निहितार्थ

एच-1बी वीज़ा पर बहस व्यक्तिगत कर्मचारियों और कंपनियों से आगे बढ़कर व्यापक आर्थिक और राजनीतिक चिंताओं तक पहुँच गई है।
मुख्य आयाम:

- **अमेरिका के लिए:** इसका उद्देश्य घरेलू नौकरियों और वेतनों की रक्षा करना है, लेकिन शीर्ष वैश्विक प्रतिभाओं तक पहुंच खोने का जोखिम भी है।
- **भारत के लिए: इससे प्रतिभा पलायन में** कमी आ सकती है, लेकिन देश में पर्याप्त नौकरियां, वेतन और अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- **वैश्विक प्रवासन रुझान:** प्रतिबंधों के कारण कुशल श्रमिक **यूरोप, कनाडा या पश्चिम एशिया में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित हो सकते हैं** , जिससे अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवाह में नया परिवर्तन आ सकता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

एच-1बी वीज़ा प्रणाली की कई हितधारकों ने आलोचना की है।
चिंताएँ:

- **शोषण जोखिम:** कुछ विदेशी श्रमिकों को वेतन में कमी और सीमित गतिशीलता का सामना करना पड़ता है।
- **इक्विटी संबंधी मुद्दे:** लॉटरी आधारित आवंटन से उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर बाहर हो सकते हैं।
- **आर्थिक निर्भरता:** एच-1बी कार्यक्रम पर भारत की भारी निर्भरता इसकी घरेलू रोजगार सृजन क्षमता की कमजोरियों को उजागर करती है।
- **नीतिगत अस्थिरता:** अमेरिकी वीज़ा नियमों में लगातार परिवर्तन आवेदकों और कंपनियों दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं।

निष्कर्ष

एच **-1बी वीज़ा विवाद** आर्थिक वैश्वीकरण और घरेलू श्रम संरक्षण के बीच तनाव को दर्शाता है। भारत के लिए, नीतिगत बदलाव अपने कुशल कार्यबल को बनाए रखने के लिए मज़बूत स्थानीय अवसर पैदा करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। अमेरिका के लिए, **घरेलू कामगारों की सुरक्षा** और **वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के बीच संतुलन बनाना** नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बहस आने वाले वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक कार्यबल गतिशीलता के केंद्र में बनी रहने की संभावना है।

यूरेनियम

प्रसंग

मेघालय में यूरेनियम खनन पर बहस भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वदेशी जनजातीय अधिकारों के विरुद्ध खड़ा कर रही है, तथा हाल ही में नीतिगत परिवर्तनों के कारण पर्यावरण

और संवैधानिक चिंताओं को लेकर खासी समुदाय में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है।

यूरेनियम: उपयोग और शोधन

यूरेनियम एक **दोहरे उपयोग वाला संसाधन है** , जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए परमाणु रिएक्टरों को ऊर्जा प्रदान करने या परमाणु हथियारों के लिए परिष्कृत करने में सक्षम है।
मुख्य बिंदु:

- **यूरेनियम के रूप:**
  - प्राकृतिक यूरेनियम **99% गैर-विखंडनीय यूरेनियम-238** और केवल **0.7% विखंडनीय यूरेनियम-235 से बना है** , जो श्रृंखला प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
- **संवर्धन स्तर:**
  - **3%–20% U-235:** परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए आवश्यक।
  - **~90% U-235:** परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक।
- **ऊर्जा संदर्भ:**
  - **भारत की 60%** से अधिक बिजली कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आती है, जो उच्च कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं।
  - यूरेनियम का उपयोग करने वाली परमाणु ऊर्जा को भारत के जलवायु लक्ष्यों और बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए एक **स्वच्छ विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।**

वैश्विक और भारतीय भंडार

यूरेनियम की उपलब्धता एक वैश्विक रणनीतिक चिंता का विषय है और भारत के पास अन्य देशों की तुलना में सीमित भंडार है।
मुख्य विवरण:

- **वैश्विक भंडार (2023):**
  1. कजाकिस्तान - सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा।
  2. नामीबिया.
  3. कनाडा - अथाबास्का बेसिन में उच्च श्रेणी के भंडार।
  4. ऑस्ट्रेलिया - सबसे बड़े रिज़र्व धारकों में से एक।
- **भारत के भंडार: झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान और मेघालय** में पाए जाते हैं , लेकिन सीमित हैं। भारत मुख्यतः कज़ाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रूस से **आयात पर निर्भर है ।**
- **मेघालय विशिष्ट स्थल: डोमियासियाट और वाहकाजी** में यूरेनियम भंडार की पहचान की गई है , जो खनन विकास के लिए प्रस्तावित है।

मेघालय में संघर्ष

मेघालय में यूरेनियम निष्कर्षण की योजना का **खासी जनजातीय समुदायों ने कड़ा विरोध किया है** ।
चिंताएँ:

- **विस्थापन और स्वास्थ्य जोखिम:** स्थानीय लोगों को विकिरण जोखिम, आजीविका की हानि और अपर्याप्त पुनर्वास उपायों का डर है।
- **ऐतिहासिक मिसाल:** झारखंड के सिंहभूम में यूरेनियम खनन के कारण विकिरण रिसाव, पर्यावरण क्षरण और दीर्घकालिक विरोध प्रदर्शन हुए।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:**
  - मेघालय **संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है** , जो खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) के माध्यम से **स्वायत्त शासन सुनिश्चित करता है।**
  - परामर्श का अभाव जनजातीय स्वायत्तता और अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।
- **विरोध प्रदर्शनों का उत्प्रेरक:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के **कार्यालय ज्ञापन (ओएम) ने** यूरेनियम खनन में सार्वजनिक परामर्श की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया, जिससे अशांति बढ़ गई।

सामरिक और विकासात्मक महत्व

विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार मेघालय में यूरेनियम खनन को भारत के ऊर्जा और सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण मानती है।
मुख्य पहलू:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** यूरेनियम खनन से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मजबूत हो सकता है।
- **सामरिक मूल्य:** भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत की परमाणु स्वतंत्रता को बढ़ाता है।
- **आर्थिक संभावना:** खनन से स्थानीय स्तर पर रोजगार और बुनियादी ढांचे का सृजन हो सकता है, हालांकि जनजातीय समूहों में इसके लाभों पर विवाद बना हुआ है।

पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ

यूरेनियम खनन की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक लागतें विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में हैं।
उठाए गए मुद्दे:

- **जैव विविधता की हानि:** खनन से मेघालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है, जो वनों और अद्वितीय प्रजातियों से समृद्ध है।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** खनिकों और आस-पास के समुदायों के लिए विकिरण जोखिम।

RACE IAS

- **जनजातीय अधिकार:** खासी विरोध प्रदर्शन इस बात पर जोर देते हैं कि खनन उनके भूमि स्वामित्व, सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करता है।
- **कानूनी मिसालें:** नियमगिरि **निर्णय (2013)** ने भूमि पर आदिवासी ग्राम सभा के अधिकारों को बरकरार रखा, जिसे मेघालय के मामले के लिए एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया गया।

आगे बढ़ने का रास्ता

ऊर्जा सुरक्षा को संवैधानिक और पारिस्थितिक ज़िम्मेदारियों के साथ संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।
सिफ़ारिशें:

- **ओएम को वापस लें:** खनन अनुमोदन के अनिवार्य भाग के रूप में सार्वजनिक परामर्श को पुनः लागू करें।
- **स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी):** सुनिश्चित करें कि परियोजना की मंजूरी से पहले जनजातीय समुदायों को पर्याप्त जानकारी दी जाए और उनसे परामर्श किया जाए।
- **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:** यूरेनियम पर निर्भरता कम करने के लिए सौर, पवन और जल विद्युत का विस्तार करें।
- **कानूनी निवारण:** प्रभावित समुदायों को पांचवीं और छठी अनुसूची के संरक्षण का उपयोग करते हुए न्यायालयों में जाने की अनुमति दी जाए।
- **पुनर्वास स्पष्टता:** विस्थापित समुदायों के लिए पारदर्शी, विस्तृत पुनर्वास और मुआवजा योजनाएं प्रदान करना।

निष्कर्ष

मेघालय में यूरेनियम विवाद भारत के परमाणु लक्ष्यों और स्वदेशी जनजातीय अधिकारों के बीच तनाव को रेखांकित करता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय सुरक्षा उपायों के साथ स्वच्छ ऊर्जा लाभों का संतुलन एक ज़िम्मेदार समाधान के लिए आवश्यक है।

घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापार

प्रसंग

भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियाँ वर्तमान में तीन महत्वपूर्ण आयामों से प्रभावित हैं: **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रुझान, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चुनौतियाँ।** ये सभी मिलकर भारत के आर्थिक विकास में वैश्विक एकीकरण, औद्योगिक विकास और कराधान संबंधी बाधाओं के परस्पर प्रभाव को उजागर करते हैं।

बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और कर पनाहगाह

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय निवेश **कर-मुक्त देशों (टैक्स हेवन)** के माध्यम से होने का चलन बढ़ रहा है ।
मुख्य जानकारी:

- **मुख्य निष्कर्ष: भारत का 60%** से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कर-मुक्त देशों में जाता है।
- **डेटा (2024-25): बाहरी एफडीआई ₹3,488 करोड़** रहा , जिसमें से **56% टैक्स हेवन के माध्यम से आया** ।
- **शीर्ष गंतव्य:**
  - **सिंगापुर:** 22%
  - **मॉरीशस:** 10%
  - **यूएई:** 9%
- **परिभाषा:** टैक्स **हेवन** वह देश है जहां **कर कम या नगण्य होता है** , जो इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है।
- **प्रेरणा:** भारतीय निवेशक भारत की जटिल कर संरचना से बचने के लिए कर राहत, आसान निधि हस्तांतरण और कम अनुपालन बोझ चाहते हैं।
- **तंत्र:** निवेश अक्सर **दोहरे कराधान परिहार समझौतों (डीटीएए) का उपयोग करके कर-मुक्त देशों के माध्यम से किया जाता है** , जो समग्र कर देयता को न्यूनतम कर देता है।
- **निवेश के प्रकार:**
  - **बाह्य एफडीआई:** भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में निवेश।
  - **आवक एफडीआई: भारत में विदेशी निवेश, आमतौर पर परिसंपत्तियों/कंपनियों में** कम से कम 10% स्वामित्व के साथ दीर्घकालिक ।
  - **एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश): 10% से कम स्वामित्व** वाले शेयरों में निवेश , जो आमतौर पर अल्पकालिक प्रकृति का होता है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

पीएलआई **योजना** भारत की आत्मनिर्भरता और विनिर्माण विकास की दिशा में केंद्रीय भूमिका में बनी हुई है।
प्रमुख पहलू:

- **हालिया घटनाक्रम:** सरकार ने **श्वेत वस्तुओं** (एल.ई.डी., एयर-कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन) के क्षेत्र में पी.एल.आई. के लिए **आवेदन पुनः खोल दिए हैं ।**
- **लॉन्च और उद्देश्य:** विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए **मार्च 2020** में शुरू किया गया ।

- **तंत्र:** कम्पनियों को पिछले वर्षों की तुलना में **वृद्धिशील बिक्री** के आधार पर **वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होता है।**
- **कवरेज:** अब इसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित **14 प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।**
- **फ़ायदे:**
    - घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
    - वैश्विक और स्थानीय कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना।
    - रोजगार पैदा करता है.
    - आयात निर्भरता कम हो जाती है।
- **सफलता की कहानी:** मोबाइल विनिर्माण में निर्यात **34 मिलियन डॉलर से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर हो गया** , जिसका श्रेय मुख्य रूप से पीएलआई योजना को जाता है।
- **पात्रता: भारत में कार्यरत घरेलू और विदेशी** दोनों **कंपनियां** प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

जीएसटी चुनौती और उलटा शुल्क ढांचा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत भारत का कर ढाँचा संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहा है।
मुख्य समस्या:

- **संदर्भ: 22 सितंबर** से प्रभावी परिवर्तनों के साथ , तैयार वस्त्रों पर **5% जीएसटी लगेगा, जबकि कच्चे माल (मानव निर्मित फाइबर के लिए पीटीए, एमईजी, पीईटी जैसे इनपुट) पर 18% जीएसटी** लगेगा ।
- **परिभाषा:** उलटा **शुल्क ढांचा (आईडीएस)** तब होता है जब इनपुट पर कर की दर तैयार उत्पाद पर कर की दर से **अधिक होती है।**
- **उद्योग पर प्रभाव:**
    - विनिर्माताओं को बढ़ी हुई इनपुट लागत का सामना करना पड़ रहा है।
    - लाभ मार्जिन कम हो जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता हतोत्साहित होती है।
    - निर्यातकों को रिफंड और कार्यशील पूंजी की रुकावटों से जूझना पड़ रहा है।
- **प्रभावित क्षेत्र: भारत के वस्त्र निर्यात के लिए महत्वपूर्ण मानव निर्मित फाइबर उद्योग को** इस कर विसंगति के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

निष्कर्ष

भारत की **घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापार की गतिशीलता** प्रगति और निरंतर चुनौतियों, दोनों को दर्शाती है। जहाँ **कर-मुक्त देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)** कराधान और नियामक अनुपालन में खामियों को उजागर करता है, वहीं **पीएलआई योजना** नीति-संचालित औद्योगिक परिवर्तन की क्षमता को प्रदर्शित करती है। हालाँकि, **जीएसटी में उलटे शुल्क ढांचे जैसे मुद्दे संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। विकास को बनाए रखने के लिए, भारत को निवेश प्रोत्साहन, निष्पक्ष कराधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता** के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा ।

स्वास्थ्य और कल्याण

प्रसंग

उभरते चिकित्सा खतरों और **दवा विकास** के मिश्रण को दर्शाती हैं । हाल की चर्चाओं में दो अहम मुद्दे प्रमुख रहे हैं: **एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर)** का उदय , जो एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की **आवश्यक चिकित्सा सूची में जीएलपी-1 दवाओं को** शामिल करना , जिसका उद्देश्य जीवन रक्षक और जीवन में सुधार लाने वाली दवाओं तक पहुँच में सुधार करना है।

एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर)

एएमआर 21वीं सदी की सबसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है।
मुख्य जानकारी:

- **परिभाषा:** एएमआर तब होता है जब **एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग या अधिक उपयोग किया जाता है** , जिससे बैक्टीरिया को अनुकूलन और प्रतिरोध विकसित करने का मौका मिलता है, जिससे मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं।
- **वैश्विक खतरा: डब्ल्यूएचओ ने एएमआर को 10 सबसे बड़े वैश्विक स्वास्थ्य खतरों** में शुमार किया है ।
- **प्रभाव:** प्रतिवर्ष, एएमआर **विश्व भर में 5 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है** ।
- **भारतीय संदर्भ:**
    - भारत में **प्रतिवर्ष 500 मिलियन से अधिक एंटीबायोटिक खुराकें निर्धारित की जाती हैं** ।
    - **बचपन में होने वाले दस्त के 70% मामलों** में एंटीबायोटिक्स अनुचित तरीके से दी जाती हैं, जबकि वायरल उत्पत्ति के लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती।
- **कारण:** भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के उचित उपयोग के संबंध में

ज्ञान और जागरूकता का महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है।

जीएलपी-1 दवाएं और डब्ल्यूएचओ आवश्यक दवा सूची

GLP-1 दवाओं को अपनी **आवश्यक औषधि सूची में** शामिल करने का निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की सुलभता के लिए एक मील का पत्थर है।
मुख्य पहलू:

- **सूचीबद्ध करने का उद्देश्य: इन दवाओं को सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध** कराना , विशेष रूप से भारत जैसे देशों में जहां ये वर्तमान में बहुत महंगी हैं।
- **दवाओं के उदाहरण:**
  - **सेमाग्लूटाइड**
  - **डुलाग्लूटाइड**
  - **लिराग्लूटाइड**
  - **तिरज़ेपाटाइड**
- **चिकित्सा उपयोग:**
  - टाइप 2 मधुमेह रोगियों में **रक्त शर्करा के स्तर को** नियंत्रित करें ।
  - **शरीर का वजन** कम करें .
  - **कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य में** सुधार करें .
- **कार्रवाई की प्रणाली:**
  - दो प्राकृतिक आंत हार्मोन की नकल करें: **जीएलपी-1 (ग्लूकागन-जैसे पेप्टाइड 1)** और **जीआईपी (ग्लूकोज-निर्भर इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड)** ।
  - ये हार्मोन **पाचन, रक्त शर्करा और भूख को नियंत्रित करते हैं** ।
  - ये दवाएं मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं **कि पेट भर गया है** , जिससे भोजन का सेवन कम हो जाता है, रक्त शर्करा के स्तर पर नियंत्रण होता है, और वजन कम करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष

भारत के **स्वास्थ्य एवं कल्याण क्षेत्र को** दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: **एएमआर जैसे जन स्वास्थ्य खतरों का प्रबंधन** , जिसके लिए सख्त एंटीबायोटिक प्रबंधन की आवश्यकता है, और जीएलपी-1 जैसी **अग्रणी दवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। इन मुद्दों से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियानों, नीतिगत हस्तक्षेपों और वैश्विक सहयोग के मिश्रण की आवश्यकता है** ताकि आबादी को रोके जा सकने वाली मौतों से बचाया जा सके और साथ ही उन्नत चिकित्सा उपचारों तक पहुँच का विस्तार किया जा सके।

राज्य वित्त प्रकाशन 2025

प्रसंग

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने *राज्य वित्त प्रकाशन 2025 जारी किया है*, जिसमें भारतीय राज्यों के प्रमुख राजकोषीय रुझानों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों का वेतन व्यय एक दशक में 2.5 गुना बढ़कर ₹16.6 लाख करोड़ हो गया है, जबकि सार्वजनिक ऋण 3.4 गुना बढ़कर ₹59.6 लाख करोड़ हो गया है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

सीएजी द्वारा राज्य वित्त प्रकाशन 2025 के बारे में

राज्य *वित्त प्रकाशन,* सभी 28 राज्यों की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए CAG द्वारा किया जाने वाला एक वार्षिक कार्य है। यह राजस्व, ऋण, व्यय प्राथमिकताओं और राजकोषीय उत्तरदायित्व मानदंडों के अनुपालन पर डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज के लिए राज्य-स्तरीय वित्त का समग्र मूल्यांकन प्रदान करता है।
- सार्वजनिक ऋण, सब्सिडी, प्रतिबद्ध व्यय और राजकोषीय प्रबंधन में रुझानों पर नज़र रखता है।
- यह राज्यों द्वारा टिकाऊ वित्त प्रथाओं के अनुपालन को मापने के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 148	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।
अनुच्छेद 149	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है।
अनुच्छेद 150	इसमें कहा गया है कि संघ और राज्य के खाते CAG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखे जाते हैं।
अनुच्छेद 151	सीएजी की संघीय रिपोर्ट संसद के लिए राष्ट्रपति को तथा राज्य विधानमंडल के लिए राज्य रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अनुच्छेद 279	इसमें प्रावधान है कि सीएजी "शुद्ध आय" की गणना को प्रमाणित करता है, और ऐसा

	प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
तीसरी अनुसूची	धारा IV में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG द्वारा पदभार ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है।
छठी अनुसूची	जिला या क्षेत्रीय परिषदों के खातों को सीएजी द्वारा निर्धारित तरीके से रखा जाता है और उनकी लेखापरीक्षा की जाती है, तथा परिषद के लिए रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

2025 की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

वेतन बिल

- 2013-14 और 2022-23 के बीच वेतन व्यय 2.5 गुना बढ़कर **₹16.6 लाख करोड़ हो गया** ।
- प्रतिबद्ध व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा वेतन पर खर्च होता है, जिससे विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय लचीलापन सीमित हो जाता है।

सब्सिडी का बोझ

- सब्सिडी बिल **तीन गुना बढ़कर** 3.09 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- पंजाब में सबसे अधिक निर्भरता दर्ज की गई, जहां कुल व्यय का 17% सब्सिडी पर खर्च किया गया।
- बढ़ती सब्सिडी लोकलुभावन उपायों के बीच बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देती है।

प्रतिबद्ध व्यय

- **राज्यों के राजस्व व्यय का** लगभग 43.5% प्रतिबद्ध देनदारियों (वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान) में फंसा हुआ था।
- **नागालैंड (74%)** और **केरल (63%)** में सबसे अधिक स्तर दर्ज किया गया , जिससे पूंजी निवेश के लिए सीमित स्थान बचा।

बढ़ता सार्वजनिक ऋण

- सार्वजनिक ऋण **3.4 गुना बढ़कर 59.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो संयुक्त जीएसडीपी का** लगभग 23% है ।
- यदि राजस्व वृद्धि इसी गति से नहीं होती है तो यह प्रक्षेप पथ मध्यम अवधि के राजकोषीय जोखिम का संकेत देता है।

संघीय कर हस्तांतरण

- औसतन, **केन्द्रीय करों का लगभग 27%** राज्यों को हस्तांतरित किया गया।
- पांच राज्यों - **उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र** - को संयुक्त रूप से हस्तांतरित संसाधनों का 50% प्राप्त हुआ।
- राजकोषीय हस्तांतरण गरीब राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा बनी हुई है।

रणनीतिक और नीतिगत प्रासंगिकता

- **राज्यों के लिए:** आंकड़े कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को राजकोषीय अनुशासन के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- **केंद्र के लिए:** वित्त आयोग के निर्णयों के अंतर्गत स्थिर एवं पूर्वानुमानित स्थानान्तरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- **निवेशकों एवं विश्लेषकों के लिए:** राज्यों की ऋण-योग्यता और राजकोषीय स्थिति का यथार्थवादी चित्र प्रदान करता है।

चुनौतियां

- **बढ़ता कर्ज:** बढ़ती देनदारियों के कारण विकास पर खर्च कम हो सकता है।
- **सीमित लचीलापन:** उच्च प्रतिबद्ध व्यय के कारण बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है।
- **सब्सिडी का दबाव:** लोकलुभावन उपायों से राजकोषीय स्थिरता को नुकसान पहुंचने का खतरा है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** संघीय कर हस्तांतरण पर निर्भरता असमान है, गरीब राज्य अधिक निर्भर हैं।

निष्कर्ष

राज्य *वित्त प्रकाशन 2025* इस बात की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है कि राजकोषीय विवेकशीलता कल्याणकारी व्यय जितनी ही महत्वपूर्ण है। राज्यों को वेतन, सब्सिडी और सामाजिक प्रतिबद्धताओं में निवेश करने के साथ-साथ राजस्व जुटाने, ऋण नियंत्रण और उत्पादक पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए सुधार भी अपनाने होंगे। आर्थिक विकास और अंतर-पीढ़ीगत समता सुनिश्चित करने के लिए सतत राजकोषीय प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (लीड्स) 2025

प्रसंग

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने *मेक इन इंडिया के दशक भर चलने वाले समारोह* के दौरान नई दिल्ली में *विभिन्न राज्यों में रसद सुगमता (LEADS) 2025 का शुभारंभ किया* । इस सूचकांक का

उद्देश्य प्रदर्शन, दक्षता और उद्योग की धारणा के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करके भारत के रसद पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।

लीड्स 2025 के बारे में

यह क्या है:
LEADS एक राष्ट्रीय सूचकांक और सर्वेक्षण है जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को मापता है। यह आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचे की कमियों, बाधाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने में मदद करता है।

जिम्मेदार मंत्रालय:
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)** के माध्यम से जारी किया गया ।

उद्देश्य:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन।
- नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे में निवेश और क्षमता निर्माण में सरकारों का मार्गदर्शन करना।
- रसद लागत कम करें और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता बढ़ाएं।

मूल्यांकन ढांचा

यह रैंकिंग बहुआयामी मूल्यांकन पर आधारित है:

- **बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता:** सड़कें, बहुविध परिवहन केन्द्र, भंडारण, शीत भंडारण और बंदरगाह तक पहुंच।
- **सेवाएँ:** लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं की उपलब्धता, सामर्थ्य और विश्वसनीयता।
- **दक्षता मेट्रिक्स:** ट्रक टर्नअराउंड समय, यात्रा की गति, निकासी प्रक्रिया और समयबद्धता।
- **नीति समर्थन:** अनुमोदन में आसानी, शिकायत निवारण, और रसद-अनुकूल नीतियां।
- **हितधारक धारणा:** लागत, विश्वसनीयता और समग्र रसद वातावरण पर उद्योग के हितधारकों से फीडबैक।

लीड्स 2025 की मुख्य विशेषताएं

- **कॉरिडोर प्रदर्शन ट्रैकिंग:** यात्रा समय, ट्रक की गति और देरी का उपयोग करके 5-7 प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडोर की दक्षता को मापता है।
- **एपीआई-सक्षम डेटा प्रणालियां:** बेहतर निर्णय लेने के लिए सड़क गलियारों पर गति और प्रतीक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी।
- **रैंकिंग श्रेणियाँ:** स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को *लीडर, अचीवर्स और एस्पायरर्स में वर्गीकृत किया गया है।*
- **नीतिगत सिफारिशें:** पहचानी गई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया।
- **डिजिटल डैशबोर्ड:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर प्रदर्शन निगरानी के लिए एक इंटरैक्टिव मंच।

सामरिक और आर्थिक महत्व

- **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:** लॉजिस्टिक्स योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और निजी निवेश आकर्षित करने में सहायता करता है।
- **उद्योग के लिए:** लागत कम करता है, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता में सुधार करता है, तथा घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है।
- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए:** लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के ~14% से घटाकर वैश्विक बेंचमार्क 8-9% के निकट लाने के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- **व्यापार सुविधा के लिए:** माल की तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय आवाजाही सुनिश्चित करके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना।

निष्कर्ष

लीड्स *2025 सूचकांक* भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए एक साक्ष्य-आधारित रोडमैप प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, कॉरिडोर के प्रदर्शन पर नज़र रखकर और राज्यों को बेंचमार्क करके, यह पहल लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और *मेक इन इंडिया के तहत वैश्विक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को मज़बूत करने में मदद करेगी*।

कुर्मी

प्रसंग

पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कुर्मी समुदाय ने **अनुसूचित जनजाति (एसटी) के रूप में मान्यता** और **संविधान की आठवीं अनुसूची** में **कुर्माली भाषा को शामिल करने** की मांग को लेकर अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है ।

कुर्मियों के बारे में

वे कौन हैं:

- कुर्मी **/कुड़मी समुदाय** ऐतिहासिक रूप से कृषि और किसान समूह है, जिसे वर्तमान में अधिकांश राज्यों में **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।**

- उनकी मांगों में **अनुसूचित जनजाति का दर्जा और उनके सरना (प्रकृति-पूजा) धर्म** को औपचारिक मान्यता देना शामिल है ।

बस्ती के क्षेत्र:

- **पश्चिम बंगाल:** झाड़ग्राम, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया (जंगलमहल क्षेत्र)।
- **झारखंड:** पलामू, कोल्हान, उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल।
- **ओडिशा:** मयूरभंज और आसपास के जिले।
- **बिहार:** पूर्णिया, कटिहार, अररिया जिले (कुर्मी ओबीसी के रूप में)।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **1931 की जनगणना:** कुर्मियों को "अनुसूचित जनजाति" के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- **स्वतंत्रता के बाद (1950):** औपचारिक अधिसूचना के बिना अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर कर दिया गया।
- **स्वतंत्रता संग्राम: चुआर विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन (रघुनाथ महतो** और **गोपाल महतो** जैसे नेता)
  जैसे विद्रोहों में महत्वपूर्ण भूमिका ।
- **ब्रिटिश मान्यता:** राजपत्र अधिसूचनाओं (1913 और 1931) ने उन्हें एक "अधिसूचित जनजाति" के रूप में पहचाना, जिसमें विशिष्ट विरासत और प्रथागत प्रथाओं को स्वीकार किया गया।

अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- संबंधित राज्य सरकार किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजती है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सिफारिश की जांच करता है।
- प्रस्ताव को जांच और अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को भेजा जाता है।
- इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।
- अंततः, केंद्रीय मंत्रिमंडल निर्णय लेता है और समावेशन को मंजूरी देता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति:

- 1931 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत/आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में *पिछड़ी जनजाति कहा गया था।*

- संविधान में मानदंड परिभाषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजाति के दर्जे को अनुच्छेद 342 से जोड़ता है।
- अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करता है।
- **पांचवीं अनुसूची:** अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर)।
- **छठी अनुसूची** : असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का शासन।
- **प्रमुख कानूनी संरक्षण:** पीसीआर अधिनियम 1955, एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम 1989, पीईएसए अधिनियम 1996, एफआरए 2006।
- **प्रमुख पहल:** ट्राइफेड, डिजिटल ट्राइबल स्कूल, पीवीटीजी विकास, पीएम वन धन योजना।
- **समितियाँ:** लोकुर समिति (1965), भूरिया आयोग (2002-04), ज़ाक्सा समिति (2013)।

समुदाय की मुख्य विशेषताएं

- **कृषि आधार: पारंपरिक रूप से कृषक और भूमि-साफ़ करने वाले, जिन्हें अक्सर कुशल बाज़ार माली** कहा जाता है ।
- **धार्मिक विश्वास: सरना का** अभ्यास करें , यह विश्वास प्रकृति पूजा, पहाड़ियों, पेड़ों और पेड़ों पर आधारित है, जो आदिवासी परंपराओं के साथ सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाता है।
- **टोटेमिक प्रथाएं:** कबीले-आधारित टोटेम और अनुष्ठानों का उपयोग करें और उन्हें जनजातीय पहचान से जोड़ें।
- **विशिष्ट पहचान:**
  - उत्तर भारत के **क्षत्रिय कुर्मियों** के साथ संबंध अस्वीकार करें।
  - मुख्यधारा की जातिगत वंशावली के बजाय **द्रविड़/आदिवासी जड़ों का** दावा करें ।

वर्तमान स्थिति

- **छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम, 1908** जैसे कानूनों के तहत **ओबीसी** के रूप में वर्गीकृत ।
- सक्रिय रूप से मांग करना:
  - **अनुसूचित जनजाति सूची में पुनः शामिल करना।**
  - संविधान की आठवीं अनुसूची में **कुरमाली भाषा को मान्यता ।**

RACE IAS

- सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए **सरना धर्म का संहिताकरण ।**

निष्कर्ष

कुर्मी समुदाय की **अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की लंबे समय से चली आ रही मांग** , उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जनजातीय पहचान के दावे को दर्शाती है। उनकी **भाषा और धर्म को मान्यता मिलने के साथ-साथ नीतिगत पुनर्वर्गीकरण का उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक गतिशीलता और कल्याणकारी अधिकारों** पर गहरा प्रभाव पड़ेगा , जिससे यह पूर्वी भारत की जनजातीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा।

भारत के ऊर्जा दक्षता लक्ष्य और COP 30

संदर्भ

भारत 10 नवंबर को ब्राजील के बेलेम में होने वाले 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 30) में अपनी अद्यतन जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है।

पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी 30)

COP, UNFCCC ढांचे के अंतर्गत वार्षिक जलवायु सम्मेलन है जहाँ देश ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। ब्राज़ील में होने वाला आगामी COP 30, विकासशील देशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और वित्तपोषण तंत्र की समीक्षा और संवर्धन पर केंद्रित होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)

- **परिभाषा** : एनडीसी प्रत्येक देश की जलवायु कार्य योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका उद्देश्य उत्सर्जन को कम करना और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होना है।
- **उत्पत्ति** : इस अवधारणा को 2015 के पेरिस समझौते के तहत औपचारिक रूप दिया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2°C से नीचे सीमित रखना था।
- **समयरेखा** : प्रगति और महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए एनडीसी की हर पांच साल में समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतन किया जाता है।
- **विकास** : प्रारंभ में इसे इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) कहा जाता था, लेकिन पेरिस समझौते को अपनाए जाने के बाद यह शब्द एनडीसी बन गया।

भारत की अद्यतन एनडीसी प्रतिबद्धताएँ (2030 लक्ष्य)

भारत ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं जो आर्थिक विकास और स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करेंगे।

प्रमुख प्रतिबद्धताएँ:

1. **उत्सर्जन तीव्रता में कमी**
   - लक्ष्य: 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
   - प्रगति: 2019 तक 33% की कमी हासिल की गई, जो कि महत्वपूर्ण प्रारंभिक लाभ दर्शाता है।
2. **गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता**
   - लक्ष्य: यह सुनिश्चित करना कि 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त हो।
   - प्रगति: भारत पहले ही सौर, पवन, जल और परमाणु स्रोतों से लगभग 50% स्थापित क्षमता तक पहुंच चुका है।
3. **कार्बन सिंक निर्माण**
   - लक्ष्य: अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए वन आवरण और वनरोपण प्रयासों का विस्तार करना।
   - विधि: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पुनर्स्थापन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य कार्बन पृथक्करण के माध्यम से उत्सर्जन को अवशोषित करना है।

यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन):

- यूएनएफसीसीसी पर 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किये गये थे, जिसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना और खतरनाक जलवायु प्रणाली हस्तक्षेप को रोकना है।
- इस सम्मेलन ने विकसित और विकासशील देशों के बीच "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
- इसने क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) जैसे प्रमुख समझौतों के लिए आधार प्रदान किया।
- लगभग हर देश इसका सदस्य है, तथा 2025 तक यूरोपीय संघ सहित 198 देश इसके सदस्य होंगे।
- यूएनएफसीसीसी सचिवालय का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में स्थित है, जो मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

वैश्विक संदर्भ और चुनौतियाँ

- **प्रमुख उत्सर्जक** : चीन, अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अग्रणी हैं।
- **असमान प्रतिबद्धताएँ** :

- अमेरिका अस्थायी रूप से पेरिस समझौते से बाहर हो गया।
- चीन ने अभी तक कोई ठोस अद्यतन योजना प्रस्तुत नहीं की है।
- यूरोपीय संघ ने 2050 तक दीर्घकालिक नेट जीरो की घोषणा की है, लेकिन मध्यम अवधि के 2035 लक्ष्यों पर स्पष्टता का अभाव है।

- **विकासशील देशों की चिंताएँ** :
  - ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों ने औद्योगिकीकरण के दौरान सबसे अधिक उत्सर्जन किया।
  - अब वे उम्मीद करते हैं कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं निरंतर विकास आवश्यकताओं के बावजूद उत्सर्जन में कमी लाएंगी।
  - जलवायु वित्त की मांग अभी तक काफी हद तक पूरी नहीं हुई है, जिससे विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी अपनाने की गति धीमी हो गई है।

भारत की साझेदारियां और कार्बन बाजार

- **भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम)** : कार्बन क्रेडिट का आदान-प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दोनों देश स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को वित्तपोषित करके अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकें।
- **कार्बन बाजार ढांचा** : भारत की योजना 2026 तक अपने कार्बन बाजार को चालू करने की है।
  - तंत्र: कंपनियों को उत्सर्जन अनुमतियाँ मिलती हैं। अगर वे कम प्रदूषण फैलाती हैं, तो वे अतिरिक्त क्रेडिट को सीमा से ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को दे सकती हैं।
  - लाभ: उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैदा करते हुए उद्योग को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत के लिए सामरिक महत्व

- विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद एक जिम्मेदार जलवायु कर्ता के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है।
- जलवायु वित्त संबंधी वादों को पूरा करने के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाना।
- ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है, तथा नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष

भारत के अद्यतन एनडीसी लक्ष्य सतत विकास और जलवायु उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उत्सर्जन तीव्रता में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में पहले से ही दिखाई दे रही प्रगति के साथ, भारत सीओपी 30 में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में प्रवेश कर रहा है। हालाँकि, वैश्विक सफलता समतामूलक उत्तरदायित्व, प्रमुख प्रदूषकों की मज़बूत प्रतिबद्धताओं और विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त प्रतिज्ञाओं की लंबे समय से प्रतीक्षित पूर्ति पर निर्भर करती है।

भारतीय चाय क्षेत्र

संदर्भ:

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और वैश्विक चाय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। हालाँकि घरेलू खपत मज़बूत बनी हुई है, लेकिन निर्यात प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता की चुनौतियाँ इस क्षेत्र की वैश्विक स्थिति को प्रभावित करती रहती हैं।

वैश्विक उत्पादन और निर्यात स्थिति

- **सबसे बड़ा उत्पादक** : चीन दुनिया में चाय का अग्रणी उत्पादक बना हुआ है।
- **भारत की स्थिति** : उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और शीर्ष निर्यातकों में भी शामिल है, हाल ही में श्रीलंका को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक (चीन और केन्या के बाद) बन गया है।
- **उपभोग पैटर्न** : भारत के चाय उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर खपत हो जाता है, जिससे निर्यात के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है।
- **निर्यात आंकड़े** : भारत ने हाल के वर्षों में लगभग 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है।
- **केन्या की भूमिका** : केन्या विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को उजागर करता है।

मूल्य और गुणवत्ता की चुनौतियाँ

- **राजस्व असमानता** : भारत ने अधिक मात्रा में निर्यात किया (255 मिलियन किग्रा) लेकिन केवल 800 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमाई की, जबकि श्रीलंका ने 245 मिलियन किग्रा से लगभग 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की कमाई की।
- **कारण** : भारत थोक निर्यात और मात्रा पर जोर देता है, जबकि श्रीलंका प्रीमियम गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **आगे की राह** : बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए भारत को निम्नलिखित करने की आवश्यकता है:

- ○विशेष चाय (दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि) की ब्रांडिंग को मजबूत करना।
- ○गुणवत्ता आश्वासन और विपणन में सुधार करें।
- ○कच्ची थोक चाय के बजाय मूल्यवर्धित निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें।

चाय की मूल बातें और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र

- **वानस्पतिक नाम** : *कैमेलिया साइनेंसिस*।
- **उत्पत्ति** : प्राचीन चीन, जहां चाय संस्कृति पहली बार विकसित हुई।
- **अंतर्राष्ट्रीय मान्यता** : अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है।

भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य:

1. **असम** : राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 55% का योगदान देता है, असम घाटी और कछार घाटी की मजबूत स्वाद वाली चाय के लिए जाना जाता है।
2. **पश्चिम बंगाल** : भारत के पहले भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पाद, दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध। इसकी किस्मों में दार्जिलिंग ग्रीन टी और व्हाइट टी शामिल हैं।
3. **दक्षिणी भारत** : तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में चाय की खेती से नीलगिरि और अन्नामलाई चाय का उत्पादन होता है।

भारतीय चाय बोर्ड

- **प्रकृति** : चाय अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- **मंत्रालय** : वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **संरचना** : इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष सहित 32 सदस्य होते हैं।
- **मुख्यालय** : भारत के चाय व्यापार के केंद्र कोलकाता में स्थित।
- **वैश्विक उपस्थिति** : निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दुबई और मास्को में दो विदेशी कार्यालय हैं।

क्षेत्र का महत्व

- यह दस लाख से अधिक श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- असम, पश्चिम बंगाल और नीलगिरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान करता है।
- विश्व स्तर पर दार्जिलिंग और असम चाय की सांस्कृतिक मान्यता के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जाएगा।

निष्कर्ष

भारत का चाय क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो घरेलू खपत को मज़बूत बनाने के साथ-साथ निर्यात क्षमता भी प्रदान करता है। हालाँकि, वैश्विक बाज़ार में हिस्सेदारी और राजस्व बढ़ाने के लिए, भारत को मात्रा-आधारित रणनीतियों से हटकर गुणवत्ता संवर्धन, प्रीमियम ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसा करके, भारतीय चाय विश्व बाज़ारों में उच्च मूल्य और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका को प्रीमियम चाय के क्षेत्र में सफलता मिली है।

प्रदूषित नदी स्थलों पर सीपीसीबी रिपोर्ट (2023)

संदर्भ:

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारत में प्रदूषित नदी स्थलों पर अपनी 2023 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्षों से मामूली सुधार का संकेत मिलता है, जिसमें प्रदूषित स्थलों की कुल संख्या 2022 में 815 से घटकर 2023 में 807 हो जाएगी। रिपोर्ट में सबसे गंभीर रूप से प्रदूषित "प्राथमिकता-1" खंडों में भी कमी दिखाई गई है, जो जल गुणवत्ता प्रबंधन में प्रगति का संकेत है।

सीपीसीबी रिपोर्ट के बारे में

- **रिपोर्ट की प्रकृति** : नदियों और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए सीपीसीबी द्वारा किया गया एक राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन।
- **प्रदूषण संकेतक** : जैविक प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए प्रमुख पैरामीटर के रूप में **जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) का उपयोग करता है।**
  - **BOD > 3 mg/L** : पानी नहाने के लिए अनुपयुक्त है।
  - **बीओडी > 30 मि.ग्रा./ली .:** *प्राथमिकता-1*, सर्वाधिक प्रदूषित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत ।
- **निगरानी नेटवर्क** : नदियों, झीलों, नहरों और नालों में 4,736 निगरानी स्थानों को कवर करता है।

2023 के निष्कर्षों में रुझान

1. **प्रदूषित स्थल**
   - 2022: 815 साइटें.
   - 2023: 807 साइटें (सीमांत सुधार)।
2. **प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस)**
   - 2022: 279 नदियों में 311 पीआरएस।
   - 2023: 271 नदियों में 296 पीआरएस।
3. **प्राथमिकता-1 स्ट्रेच**

- 2022 में 45 से घटकर 2023 में 37 हो जाएगा, जिससे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की संख्या कम हो जाएगी।

प्रदूषित क्षेत्रों का राज्यवार वितरण

- **महाराष्ट्र** : 54 खंड (देश में सर्वाधिक)।
- **केरल** : 31 खंड.
- **मध्य प्रदेश और मणिपुर** : प्रत्येक 18 खंड।
- **कर्नाटक** : 14 खंड.

ये राज्य शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और अपर्याप्त अपशिष्ट जल प्रबंधन के कारण जल गुणवत्ता पर गंभीर दबाव का सामना कर रहे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रिपोर्ट का महत्व

- **नीति प्रासंगिकता** : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और अन्य राज्य पहलों के अंतर्गत जल गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराता है।
- **पर्यावरणीय स्वास्थ्य** : उन हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद करता है जहां प्रदूषण जलीय जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है।
- **जवाबदेही उपकरण** : राज्यों को सुधारात्मक उपाय करने, सीवेज उपचार में सुधार करने और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए मानक प्रदान करता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे का विस्तार।
- औद्योगिक अपशिष्टों के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- नदी संरक्षण के लिए समुदाय के नेतृत्व में निगरानी और जागरूकता अभियान।
- सख्त अनुपालन और रिपोर्टिंग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत बनाना।

निष्कर्ष

सीपीसीबी के 2023 के आकलन में प्रदूषित नदी स्थलों और महत्वपूर्ण हिस्सों में मामूली गिरावट को दर्शाया गया है, जो जल प्रदूषण प्रबंधन में कुछ प्रगति को दर्शाता है। हालाँकि, 800 से अधिक प्रदूषित स्थलों की निरंतर उपस्थिति, भारत की नदियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए स्थायी नदी बेसिन प्रबंधन, प्रभावी सीवेज उपचार और सख्त प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

लद्दाख विरोध प्रदर्शन

प्रसंग

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख के लेह में हुए विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गए, जहाँ वाहनों में आग लगा दी गई और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया गया। लगभग 30 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि अधिकारियों ने वांगचुक पर वैश्विक विरोध आंदोलनों का आह्वान करने का आरोप लगाया।

लद्दाख विरोध प्रदर्शन

यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका तर्क है कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

प्रमुख ट्रिगर:

- क्षेत्रीय मांगों को उजागर करने के लिए सोनम वांगचुक द्वारा भूख हड़ताल।
- राजनीतिक पार्टी कार्यालयों और लद्दाख हिल काउंसिल को निशाना बनाने वाले युवाओं की भागीदारी।
- स्वायत्तता और स्थानीय अधिकारों के संरक्षण की कमी पर बढ़ता असंतोष।

लोगों की मुख्य मांगें

यह आंदोलन तीन प्रमुख मांगों पर आधारित है:

1. **लद्दाख को राज्य का दर्जा** - पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान करना तथा क्षेत्र को वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे से आगे भी सशक्त बनाना।
2. **छठी अनुसूची में शामिल करना** - स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करना, स्थानीय कानून बनाने और संस्कृति, भूमि और संसाधनों की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करना।
3. **नौकरी की सुरक्षा** - लद्दाख निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों की गारंटी देना और स्थानीय कार्यबल में बाहरी लोगों के बड़े पैमाने पर प्रवेश को रोकना।

राजनीतिक पृष्ठभूमि: राज्य से केंद्र शासित प्रदेश तक

- **2019 के घटनाक्रम:** अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ, जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपना विशेष दर्जा खो दिया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
- **शासन अंतराल:** जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के विपरीत, जहां विधानसभाएं हैं, लद्दाख को बिना विधानसभा के बनाया गया, जिससे यह सीधे उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन हो गया।
- **स्थानीय चिंताएँ:**

- अन्य क्षेत्रों से प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तन का भय।
- भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का नुकसान।
- सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और जनजातीय विरासत के लिए खतरा।

सरकारी कार्य: जून 2025 के सुधार

जनता के असंतोष को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2025 के मध्य में कई नियम पेश किए:

1. **नौकरी सुरक्षा उपाय** - अधिवास-आधारित भर्ती के लिए लद्दाख में 15 वर्षों का निवास या उस क्षेत्र की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। लद्दाख में एक दशक से अधिक समय से तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है।
2. **शिक्षा और आरक्षण** - संशोधनों ने व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 85% कर दिया (ईडब्ल्यूएस कोटा सहित लगभग 95%)।
3. **भाषा मान्यता** - लद्दाख राजभाषा विनियमन, 2025 में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरीगी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, साथ ही शाइना, बाल्टी और लद्दाखी जैसी अन्य भाषाओं को भी संरक्षित किया गया है।

छठी अनुसूची और इसकी चुनौतियाँ

- **यह क्या है:** एक संवैधानिक प्रावधान जिसका उद्देश्य एडीसी और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण को सक्षम करके असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जनजातीय आबादी की रक्षा करना है।
- **एडीसी की शक्तियाँ:** भूमि, वन, उत्तराधिकार, कराधान, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे पर अधिकार। परिषदें निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से बनी होती हैं।
- **ऐतिहासिक आधार:** पूर्वोत्तर में जनजातीय हितों की रक्षा के लिए बोरदोलोई समिति की सिफारिशों के बाद छठी अनुसूची लागू की गई थी।
- **लद्दाख की चुनौती:** चूँकि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों तक ही सीमित है, इसलिए इसे लद्दाख तक विस्तारित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। पाँचवीं अनुसूची, जो भारत के अन्य हिस्सों में अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करती है, को एक विकल्प माना जाता है, लेकिन लद्दाखियों का तर्क है कि यह पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं करती है।

लद्दाख का सामरिक और सांस्कृतिक महत्व

- **भू-राजनीतिक महत्व:** चीन और पाकिस्तान के साथ एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के नाते, लद्दाख भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है।
- **सांस्कृतिक पहचान:** मुख्यतः जनजातीय आबादी का घर, लद्दाख की अनूठी परंपराएं, भाषाएं और बौद्ध विरासत इसकी अधिक स्वायत्तता की मांग के केंद्र में हैं।
- **जनसांख्यिकीय चिंताएं:** स्थानीय लोगों को डर है कि सुरक्षात्मक उपायों के बिना, गैर-निवासियों के आगमन से उनका सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा।

निष्कर्ष

लद्दाख में विरोध प्रदर्शन 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से राजनीतिक अशक्तिकरण और सांस्कृतिक भय के कारण उपजे असंतोष को उजागर करते हैं। नौकरियों, आरक्षण और भाषा में सुधारों के बावजूद, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की अनसुलझी मांगों के लिए सुरक्षा, संवैधानिक सीमाओं और जनजातीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

वैश्विक दक्षिण सहयोग

प्रसंग

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में, एस. जयशंकर ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों—जो मानवता का 85% हिस्सा हैं—का प्रतिनिधित्व करते हुए, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं पर ज़ोर दिया। 1969 में गढ़े गए इस शब्द ने अपमानजनक "तीसरी दुनिया" की जगह ले ली। ब्रांट रेखा वैश्विक उत्तर-दक्षिण असमानताओं का प्रतीक है।

वैश्विक उत्तर और दक्षिण को परिभाषित करना

- **वैश्विक उत्तर** : संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, जो विश्व व्यापार, वित्त और शासन पर हावी हैं।
- **वैश्विक दक्षिण** : मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में स्थित विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्थाएं, जो ग्रह के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक बहुमत का प्रतिनिधित्व करती हैं।

यह विरोधाभास वैश्विक शासन में निष्पक्षता, प्रतिनिधित्व और समानता के बारे में बहस का केंद्र बना हुआ है।

वैश्विक शासन और शक्ति असंतुलन के मुद्दे

1. **विकसित राष्ट्रों का प्रभुत्व**
   अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओ) विकसित देशों से अत्यधिक प्रभावित हैं, जिससे निर्णय लेने में असंतुलन पैदा होता है।
2. **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व:**
   दुनिया की अधिकांश आबादी का घर होने के बावजूद,

वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व का अभाव है। अफ्रीका जैसे संपूर्ण क्षेत्र और भारत व ब्राज़ील जैसी उभरती शक्तियाँ स्थायी सदस्यता से वंचित हैं।

3. **जलवायु परिवर्तन का बोझ**
विकसित राष्ट्र, जो ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, अब विकासशील देशों पर उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समर्थन दिए बिना प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

4. **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं**
को धन की कमी, विश्वसनीयता के संकट और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी अवरोधों ने डब्ल्यूटीओ के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को रोक दिया है, जिससे विवाद समाधान प्रणाली कमजोर हो गई है।

5. **वैश्विक संकटों का असमान प्रभाव**
   - **COVID-19 महामारी** : विकासशील देशों में बाधित अर्थव्यवस्थाएं और उजागर स्वास्थ्य देखभाल अंतराल।
   - **युद्ध** : रूस-यूक्रेन संघर्ष और गाजा युद्ध ने वैश्विक दक्षिण में खाद्य सुरक्षा, ईंधन की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया।
   - **जलवायु परिवर्तन** : वैश्विक उत्सर्जन में कम योगदान के बावजूद, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाएं विकासशील देशों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं।

वैश्विक दक्षिण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका

भारत ने खुद को **वैश्विक दक्षिण की आवाज़ और सेतु के रूप में स्थापित किया है** , जिसे अक्सर "विश्व मित्र" (विश्व का मित्र) कहा जाता है। इसकी कूटनीतिक पहल विकासशील देशों के बीच एकजुटता को उजागर करती है और वैश्विक संस्थाओं में अधिक समानता की माँग करती है।

महत्वपूर्ण पहल:

- **वैश्विक दक्षिण मंच की आवाज** : भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की जरूरतों की वकालत करता है, तथा जलवायु वित्त, व्यापार समानता और प्रतिनिधित्व के बारे में उनकी चिंताओं को बढ़ाता है।
- **ग्लोबल साउथ समिट** : भारत ने 2023 और 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ प्रमुख शिखर सम्मेलनों की मेजबानी की, जिसमें समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के नेताओं को साझा चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया।

ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व

शिखर सम्मेलन में विभिन्न महाद्वीपों की एकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें निम्नलिखित लोगों ने भाग लिया:

- **एशिया (9 राष्ट्र):** बहरीन, इंडोनेशिया, कतर, सिंगापुर, वियतनाम, और अन्य।
- **अफ्रीका (6 राष्ट्र):** नाइजीरिया, घाना, मोरक्को, चाड, लेसोथो और सोमालिया।
- **लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (5 राष्ट्र):** क्यूबा, जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, और सेंट लूसिया।

इस विविध प्रतिनिधित्व ने एक अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की साझा आकांक्षा को रेखांकित किया।

वैश्विक दक्षिण सहयोग का रणनीतिक महत्व

- **आर्थिक एकजुटता:** व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सामूहिक सौदेबाजी शक्ति।
- **राजनीतिक प्रभाव:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य वैश्विक शासन प्रणालियों में सुधारों के लिए दबाव।
- **जलवायु न्याय:** जलवायु वित्त, अनुकूलन प्रौद्योगिकियों और ऐतिहासिक उत्सर्जन जिम्मेदारी की मान्यता के लिए समन्वित प्रयास।
- **सांस्कृतिक सेतु:** लोगों के बीच संबंधों, भाषाई विविधता और स्थानीय परंपराओं में निहित साझा विकास मॉडल को मजबूत करना।

निष्कर्ष

वैश्विक दक्षिण सहयोग वैश्विक राजनीति में समानता और साझा विकास की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। एक अग्रणी पैरोकार के रूप में, भारत शासन और जलवायु सुधारों के लिए विकासशील देशों की आवाज़ को मज़बूत करता है, और विश्व मामलों में मान्यता और समान भागीदारी की मांग करता है।

गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का नमक और बोझ

प्रसंग

नमक शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन भारत के स्वास्थ्य संकट में यह एक छिपा हुआ ख़तरा बन गया है। चीनी और वसा के विपरीत, ज़्यादा नमक के सेवन को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। भारतीय रोज़ाना 8 से 11 ग्राम नमक खाते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 5 ग्राम से ज़्यादा है, जिससे गैर-संचारी रोगों का ख़तरा बढ़ जाता है।

अतिरिक्त नमक के स्रोत

- **घर में पका हुआ खाना** : अचार, पापड़, चटनी, और करी में नमक का भरपूर प्रयोग।

- **रेस्तरां भोजन** : मक्खन, तेल और अतिरिक्त नमक के साथ बढ़ाया स्वाद।
- **पैकेज्ड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ** : ब्रेड, बिस्कुट, सॉस, केक और रेडी-टू-ईट वस्तुएं, जिनमें बड़ी मात्रा में **छिपा हुआ या अदृश्य नमक होता है** ।
- **आम गलत धारणा** : सेंधा नमक, गुलाबी नमक और काला नमक जैसे विकल्प बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं, क्योंकि उनमें सोडियम का स्तर समान होता है।

स्वास्थ्य प्रभाव: गैर-संचारी रोगों से संबंध

अत्यधिक नमक का सेवन **गैर-संचारी रोगों का एक प्रमुख कारण है** , जो **भारत में होने वाली कुल मौतों का 60% है** ।

प्रमुख शर्तों में शामिल हैं:

1. **उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर)** - लगभग **28% भारतीय वयस्कों को प्रभावित करता है** और इसका सीधा संबंध अत्यधिक सोडियम सेवन से है।
2. **हृदय रोग (सीवीडी)** - भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण, जो उच्च नमक वाले आहार से बढ़ जाता है।
3. **असामयिक मृत्यु** - उच्च रक्तचाप और हृदय रोग असामयिक मृत्यु के प्रमुख कारण हैं।
4. **बच्चों पर प्रभाव** - पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत से उच्च नमक वाले आहार पर प्रारंभिक निर्भरता पैदा हो रही है, जिससे भविष्य में दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बढ़ रहा है।

आर्थिक लागत और संभावित लाभ

गैर-संचारी रोगों के वित्तीय परिणाम बहुत बड़े हैं, जो परिवारों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दोनों पर भारी पड़ते हैं। हालाँकि, नमक कम करने से स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है।

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान** : **नमक कम करने के प्रयासों में निवेश किए गए प्रत्येक 1 डॉलर से** भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल लागत में 10 डॉलर की बचत होती है।
- **बचत प्रभाव** : अस्पताल में भर्ती होने का बोझ कम होना, जेब से होने वाला खर्च कम होना, तथा दीर्घकालिक बीमारियों के लिए उपचार में कमी आना।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

1. **सांस्कृतिक प्रथाएँ** - अचार, पापड़ और भोजन में अधिक नमक खाने की गहरी आदतें।
2. **खाद्य उद्योग प्रतिरोध** - उत्पादों को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए उच्च नमक, चीनी और वसा पर निर्भरता।
3. **जागरूकता का अंतर** - सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश में चीनी और वसा को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नमक से संबंधित जोखिम नजरअंदाज हो जाते हैं।

सुझाए गए समाधान और रणनीतियाँ

इस छिपे हुए स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीतियों की आवश्यकता है:

1. वसा, नमक और चीनी की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू करें।
2. कम नमक के उपयोग तथा जड़ी-बूटियों और मसालों जैसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करें।
3. उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प प्रदान करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पैकेज के सामने चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य करें।
4. रेस्तरां में सुधार लाने के लिए टेबलों से नमक रखने की सामग्री हटा दी जाए तथा केवल मांग पर ही नमक उपलब्ध कराया जाए।

निष्कर्ष

नमक में कमी भारत के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अत्यधिक सेवन से गैर-संचारी रोग बढ़ते हैं। विनियमन, उद्योग की ज़िम्मेदारी, सांस्कृतिक परिवर्तन, पारदर्शी लेबलिंग और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के ज़रिए समन्वित कार्रवाई से नमक की अधिकता को कम किया जा सकता है और जन स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है।

विकासशील भारत बिल्डथॉन 2025

प्रसंग

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्रों के लिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी हैकाथॉन पहल, **विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया** । इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को नवाचार के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे रचनात्मकता, समस्या-समाधान और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा मिले।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के बारे में

यह क्या है:
विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 एक **राष्ट्रव्यापी स्कूल-स्तरीय नवाचार आंदोलन है** , जिसे शिक्षा मंत्रालय के तहत **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) , अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग** और **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है** ।

मुख्य उद्देश्य:

- स्कूली छात्रों के बीच जमीनी स्तर पर नवाचार और डिजाइन सोच को प्रेरित करना।

- चार केंद्रीय विषयों पर छात्र-नेतृत्व वाले समाधानों को बढ़ावा देना:
    1. **वोकल फॉर लोकल**
    2. **आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत)**
    3. **स्वदेशी (स्वदेशी समाधान)**
    4. **समृद्धि (समृद्धि और विकास)**
- **छात्र-नेतृत्व वाले नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र** के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना ।

बिल्डथॉन की मुख्य विशेषताएं

- **समयरेखा: सितंबर 2025** से **जनवरी 2026 तक** ।
- **पैमाना:** भारत का **सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन** , जिसमें देश भर से
  लाखों छात्र भाग ले रहे हैं।
- **मान्यता और प्रोत्साहन: 1,000** से ज़्यादा विजेताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। मान्यता के मार्ग इस प्रकार हैं:
    - पेटेंट सुविधा.
    - स्टार्टअप इन्क्यूबेशन.
    - उद्यमिता मार्गदर्शन और कार्यक्रम।

महत्त्व

- **जमीनी स्तर पर नवाचार:** स्कूल स्तर से ही समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करना, शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक स्तर पर रचनात्मकता को शामिल करना।
- **राष्ट्र निर्माण विषयवस्तु:** छात्रों के नवाचार प्रयासों को भारत के **आत्मनिर्भरता, समृद्धि और स्वदेशी समाधानों के विकासात्मक दृष्टिकोण से सीधे जोड़ता है** ।
- **भावी कार्यबल विकास:** छात्रों को न केवल शिक्षार्थी के रूप में बल्कि **भविष्य के उद्यमी, नवप्रवर्तक और परिवर्तनकर्ता के रूप में तैयार करता है** ।

निष्कर्ष

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 सिर्फ़ एक हैकाथॉन नहीं है, बल्कि यह **स्कूल स्तर पर रचनात्मकता को पोषित करने और स्थानीय व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** समाधानों को प्रेरित करने का एक राष्ट्रीय आंदोलन है। नवाचार को भारत के विकासात्मक दृष्टिकोण से जोड़कर, यह छात्रों को **विकसित भारत** की ओर देश की यात्रा में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करता है ।

व्यायाम कोल्ड स्टार्ट

प्रसंग

"कोल्ड स्टार्ट" अभ्यास करेगा , जो **ऑपरेशन सिंदूर के** बाद से अब तक का सबसे बड़ा त्रि-सेवा ड्रोन और काउंटर-ड्रोन अभ्यास होगा । इस अभ्यास का उद्देश्य उभरते हवाई खतरों के विरुद्ध देश की तैयारियों का परीक्षण करना और आधुनिक युद्ध में अंतर-सेवा सहयोग को मज़बूत करना है।

व्यायाम कोल्ड स्टार्ट के बारे में

यह क्या है:

- यह **त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास ड्रोन, यूएवी और काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकियों** के उपयोग पर केंद्रित था ।
- भविष्योन्मुखी युद्धक्षेत्र वातावरण में **हवाई खतरों और रक्षा प्रतिक्रियाओं का** अनुकरण करता है ।
- **अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह** में **मध्य प्रदेश** में आयोजित किया जाएगा ।

शामिल संगठन:

- **भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना** (संयुक्त भागीदारी)।
- प्रौद्योगिकी इनपुट के लिए **उद्योग भागीदारों, अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों के** साथ सहयोग ।

प्रमुख विशेषताऐं

- ड्रोन और काउंटर-ड्रोन प्रणालियों के साथ **लाइव परिचालन अभ्यास ।**
- **जीपीएस जैमिंग, निगरानी प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों** का एकीकरण ।
- **सुदर्शन चक्र अवधारणा** से प्रेरित होकर , इसे ड्रोन, यूएवी, हाइपरसोनिक मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों के खिलाफ एकीकृत रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उद्योग और शिक्षा जगत के साथ संयुक्त रूप से विकसित **स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों** का परीक्षण ।

भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण सुविधा

प्रसंग

भारत के **पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र का** उद्घाटन 2025 में **मोरक्को के बेरेकिड में भारत के रक्षा मंत्री और उनके मोरक्को समकक्ष अब्देलतीफ लौदी ने किया। डीआरडीओ** के सहयोग से **टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड**

(टीएएसएल) द्वारा स्थापित यह संयंत्र रॉयल मोरक्को आर्मी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित **व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (व्हीएपी) का** निर्माण करेगा ।

यह क्या है?

- 20,000 **वर्ग मीटर का अत्याधुनिक रक्षा संयंत्र** ।
- **डीआरडीओ (सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास एजेंसी)** के साथ साझेदारी में **टीएएसएल (भारतीय निजी क्षेत्र)** द्वारा स्थापित ।
- **अफ्रीका** में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा स्थापित पहली **विदेशी रक्षा सुविधा** ।
- स्थान: **बेरेचिड, मोरक्को** ।

उद्देश्य

1. भारत के **आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मित्रों के साथ बनाएं, विश्व के लिए बनाएं** ।
2. **भारत-मोरक्को रक्षा संबंधों** और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को
   मजबूत करना ।
3. **रक्षा निर्यात को** बढ़ाना तथा भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में प्रस्तुत करना।

विशेषताएँ

- **उत्पादन फोकस:** WhAP 8×8 मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म।
- **प्रकार:** पैदल सेना लड़ाकू वाहन, बख्तरबंद कार्मिक वाहक, टोही वाहन, कमांड पोस्ट, मोर्टार वाहक और एम्बुलेंस।
- **प्रौद्योगिकी:** उन्नत गतिशीलता, उच्च सुरक्षा मानक, दूरस्थ हथियार स्टेशन और टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल विकल्प।
- **स्थानीय सोर्सिंग:**
  - प्रारंभ में एक तिहाई घटक मोरक्को से प्राप्त किये गये।
  - भविष्य में
    स्थानीयकरण को 50% तक बढ़ाना ।

महत्त्व

रणनीतिक:

- अफ्रीका और यूरोप के लिए
  एक **निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना।**
- **वैश्विक दक्षिण-दक्षिण रक्षा सहयोग** में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है ।

कूटनीतिक:

- भारत-मोरक्को **द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करता है** और भारत की **रक्षा कूटनीति को प्रदर्शित करता है** ।

आर्थिक:

- मोरक्को में
  स्थानीय रोजगार सृजित करता है ।
- **आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र का** निर्माण होगा और **भारत की रक्षा निर्यात प्रोफ़ाइल मजबूत होगी** ।

निष्कर्ष

मोरक्को में रक्षा विनिर्माण सुविधा **भारत की रक्षा औद्योगिक पहुँच में एक मील का पत्थर है। यह न केवल WhAP जैसे उन्नत प्लेटफ़ॉर्म बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि एक प्रमुख रक्षा आयातक से एक उभरते वैश्विक निर्यातक और सहयोगी** के रूप में देश के बदलाव को भी रेखांकित करता है ।

केरल तेल रिसाव मामला

प्रसंग

25 मई, 2025 को केरल तट पर एक बड़ी तेल रिसाव की घटना घटी, जब भूमध्यसागरीय शिपिंग कंपनी (MSC) का एक कंटेनर जहाज पलट गया, जिससे बड़ी मात्रा में तेल और प्लास्टिक के छर्रे समुद्र में गिर गए। इस आपदा के कारण व्यापक पर्यावरणीय क्षति, आर्थिक नुकसान हुआ और मुआवज़े को लेकर कानूनी कार्यवाही हुई।

घटना

कंटेनर जहाज **एमएससी एल्सा 3** समुद्र में पलट गया, जिससे दो प्रकार का प्रदूषण हुआ:

- **तेल रिसाव** - तटीय जल में बड़ी मात्रा में तेल का रिसाव हुआ।
- **प्लास्टिक प्रदूषण** - जहाज द्वारा ले जाए गए नोड्यूल और अन्य प्लास्टिक को समुद्री पर्यावरण में छोड़ दिया गया।

बढ़ती सफाई लागत का सामना कर रही केरल सरकार ने रिसाव को रोकने और प्रदूषकों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया। केरल के नाज़ुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पकड़ने व पर्यटन पर निर्भरता को देखते हुए, इस घटना ने व्यापक पारिस्थितिक चिंताएँ पैदा कर दीं।

रिसाव का प्रभाव और लागत

तेल रिसाव के परिणाम दूरगामी थे:

- **पर्यावरणीय क्षति** - रिसाव से जलीय जीवन, प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री पक्षियों को नुकसान पहुंचा, जबकि प्लास्टिक ने समुद्री प्रदूषण की एक दीर्घकालिक परत बना दी।

- **उच्च सफाई व्यय** - राज्य सरकार को तेल के प्रबंधन और प्रसार को रोकने में भारी व्यय करना पड़ा।
- **जारी प्रक्रिया** - मई की घटना के महीनों बाद भी सफाई अभियान जारी रहा, जिससे आपदा की भयावहता उजागर हुई।

कानूनी कार्यवाही और मुआवजा विवाद

इस दुर्घटना के बाद, केरल सरकार ने शिपिंग कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की:

- **केरल का दावा** - राज्य ने सफाई और पर्यावरणीय नुकसान के लिए **9,531 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की।**
- **पोत की जब्ती** - अपने दावे को लागू करने के लिए, केरल ने एक अन्य एमएससी पोत, **एमएससी अकिक्ता 2 को जब्त कर लिया** और उसे अपने कब्जे में ले लिया।
- **उच्च न्यायालय का फैसला** –
  - केरल उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य मुआवजे का हकदार है, लेकिन उसने कहा कि **9,531 करोड़ रुपये के दावे में पर्याप्त सबूतों का अभाव है** और यह अत्यधिक है।
  - अदालत ने कंपनी को **1,227 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया** , तथा जब्त जहाज को छोड़ने के लिए यह शर्त रखी।

इस फैसले ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति मामलों में साक्ष्य की न्यायिक जांच के साथ राज्य के दावों को संतुलित करने में एक मिसाल कायम की।

तेल रिसाव: कारण और जोखिम

तेल रिसाव की घटनाएं विश्व भर में होती हैं, तथा उनकी पुनरावृत्ति के कारण पर्यावरण कानून और सिविल सेवा परीक्षाओं में इन्हें बार-बार शामिल किया जाता है।

प्रमुख कारण

- **नौवहन दुर्घटनाएँ** - जहाजों का टकराना, फंस जाना, या पलट जाना।
- **अपतटीय ड्रिलिंग और पाइपलाइन** - रिसाव और ब्लोआउट।
- **अवैध निर्वहन** - समुद्र में तेल अपशिष्ट का जानबूझकर डंपिंग।
- **प्राकृतिक आपदाएँ** - तूफान या सुनामी से जहाजों या रिगों को नुकसान पहुँचता है।

पर्यावरण और मानवीय प्रभाव

1. **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान** - तेल एक सतह परत बनाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है, जिससे जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है।
2. **समुद्री पशु मृत्यु दर** - मछली, कछुए, समुद्री पक्षी और स्तनधारी जीव घुटन या हाइपोथर्मिया से पीड़ित होते हैं क्योंकि तेल उनके शरीर पर जम जाता है।
3. **मानव स्वास्थ्य जोखिम** - दूषित जल के संपर्क में आने से श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं; समुद्री भोजन का सेवन अतिरिक्त खतरे पैदा करता है।
4. **आर्थिक नुकसान** - मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, पर्यटन में कमी, तथा महंगे सफाई प्रयासों से स्थानीय आजीविका और सरकारी संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

तेल रिसाव की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय एजेंसियों और वैश्विक सम्मेलनों दोनों द्वारा निर्देशित होती है:

- **भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी)** - भारतीय जल में तेल रिसाव रोकथाम और बचाव कार्यों के लिए प्राथमिक प्राधिकरण।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** –
  - **मार्पोल कन्वेंशन (अनुलग्नक I)** - जहाजों से तेल प्रदूषण की रोकथाम को नियंत्रित करता है।
  - **तेल प्रदूषण तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग (ओपीआरसी) कन्वेंशन** - प्रमुख रिसाव के दौरान वैश्विक सहयोग को अनिवार्य बनाता है।
  - **नागरिक दायित्व अभिसमय एवं बंकर अभिसमय** - मुआवजे के लिए कानूनी तंत्र प्रदान करते हैं।
- **तैयारी अभ्यास** - *नेट पोलरेक्स*, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की आपात स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करता है।

सफाई और शमन रणनीतियाँ

जल में तेल प्रदूषण को हटाने या बेअसर करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है:

तकनीक	विवरण	प्रमुख विशेषताऐं
बूम्स	तैरते अवरोध तेल को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रखते हैं।	इसके बाद प्रायः पुनर्प्राप्ति या नियंत्रित जलन होती है।
स्किमर्स	जहाजों पर लगी मशीनें जो तेल या तेल-पानी के मिश्रण को एकत्रित	सतह पर फैलने वाले पदार्थों के लिए प्रभावी।

	करती हैं।	
सोरबेंट्स	तेल को अवशोषित करने वाली सामग्री.	उदाहरण: ज्वालामुखीय राख, सिंथेटिक पैड।
डिस्पर्सेंट	रसायन जो तेल को छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं।	प्राकृतिक जैव-निम्नीकरण को बढ़ावा देना।
जैविक उपचार	सूक्ष्मजीव हाइड्रोकार्बन का उपभोग और अपघटन करते हैं।	उदाहरण: *ओलिजेपर का* विकास टेरी और ओएनजीसी द्वारा किया गया।
एमओफ कॉटन	आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित।	एक लागत प्रभावी अवशोषक जो तेल को सोख लेता है।

ये समाधान प्रभावी सफाई के लिए यांत्रिक, रासायनिक और जैविक दृष्टिकोणों के संयोजन पर प्रकाश डालते हैं।

निष्कर्ष

केरल में तेल रिसाव तटीय क्षेत्र की नाज़ुकता, सफ़ाई के बोझ और उच्च न्यायालय के मुआवज़े संबंधी फ़ैसले में साक्ष्यों पर ज़ोर देने को उजागर करता है। भारत के संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की जवाबदेही और सुरक्षा के लिए रोकथाम, तैयारी, पारिस्थितिक तकनीक और सख्त समुद्री मानदंडों को मज़बूत करना बेहद ज़रूरी है।

तेजस हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए)

प्रसंग

भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी एलसीए तेजस एमके1ए के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आत्मनिर्भरता और वायु सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला।

अनुबंध

यह समझौता स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बड़ी रक्षा खरीद परियोजनाओं में से एक है:

- **शामिल पक्ष** - रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने सरकारी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।**
- **विमानों की संख्या - एचएएल 97 तेजस एमके1ए जेट का** निर्माण करेगा , जिसमें शामिल हैं:
  - 68 एकल सीटर लड़ाकू संस्करण।
  - 29 ट्विन-सीटर ट्रेनर वेरिएंट।
- **डिलीवरी शेड्यूल - डिलीवरी 2027-2028** के आसपास शुरू होगी और ऑर्डर पूरा होने तक छह साल तक जारी रहेगी।
- **आर्थिक प्रभाव** - इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **11,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है** , जिससे भारत का एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।

तेजस एमके1ए की विशेषताएं और क्षमताएं

तेजस एमके1ए **4.5वीं पीढ़ी का हल्का बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है** , जिसे भारतीय वायुसेना में पुराने प्लेटफार्मों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- **पीढ़ी वर्गीकरण** - **4.5वीं पीढ़ी** श्रेणी के अंतर्गत आता है।
  - भारत के पास अभी तक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है।
  - भारत की योजनाबद्ध 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी **उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) 2035 के बाद ही आने की उम्मीद है** ।
- **भूमिका - मिग-21** और **मिग-29 लड़ाकू विमानों** जैसे पुराने सोवियत मूल के विमानों को प्रतिस्थापित करना , जिससे भारतीय वायुसेना के बेड़े का आधुनिकीकरण सुनिश्चित हो सके।
- **स्वदेशी सामग्री** - तेजस में स्वदेशी घटकों को **50% से बढ़ाकर 64% कर दिया गया है** , जिससे *आत्मनिर्भर भारत* पहल को बढ़ावा मिला है।
- **प्रमुख नई विशेषताएं (67 उन्नयन)** –
  - **उत्तम एईएसए रडार** (स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत रडार)।
  - **स्वयं रक्षा कवच** (जीवित रहने के लिए स्वदेशी आत्म-सुरक्षा प्रणाली)।
  - उन्नत वैमानिकी, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, और उन्नत हथियार एकीकरण।

महत्व

- **भारतीय वायुसेना को मजबूत करना** - अप्रचलित बेड़े को बदलने के लिए आधुनिक, चुस्त और युद्ध के लिए तैयार विमान प्रदान करना।
- **स्वदेशीकरण को बढ़ावा** - विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास

को बढ़ावा मिलेगा, तथा घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी।

- **आर्थिक लाभ** - रोजगार सृजन, कौशल विकास और रक्षा निर्यात को समर्थन।
- **दीर्घकालिक दृष्टि** - एएमसीए जैसे भविष्य के स्वदेशी प्लेटफार्मों के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है और भारत के वैश्विक एयरोस्पेस केंद्र के रूप में उभरने में सहायता करता है।

निष्कर्ष

तेजस एलसीए एमके1ए सौदा भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, पुराने जेट विमानों को उन्नत स्वदेशी प्लेटफार्मों से प्रतिस्थापित करता है, भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाता है, और स्थानीय उद्योग और रोजगार का समर्थन करता है, जिससे भारत एक प्रमुख रक्षा उत्पादक बन जाता है।

पीली मटर (पीज़)

प्रसंग

केंद्र सरकार द्वारा **पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने के हालिया फैसले** से भारतीय किसानों में असंतोष फैल गया है। पीली मटर, जो आमतौर पर छोले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली रबी की फसल है, कानूनी और आर्थिक बहस का विषय बन गई है:

- **सरकारी निर्णय** - बिना सीमा शुल्क के पीली मटर का आयात।
- **किसानों की चिंताएं** - किसानों को डर है कि सस्ते आयात से घरेलू बाजार में कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे स्थानीय उत्पादकों को नुकसान होगा।
- **कानूनी कार्रवाई** - किसान समूह **किसान महापंचायत** ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप** - न्यायालय ने नीतिगत निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

यह विवाद आयात के माध्यम से उपभोक्ता मांग को पूरा करने और किसानों के हितों की रक्षा के बीच तनाव को दर्शाता है।

कृषि और पोषण संबंधी विवरण

- **फसल का प्रकार** - पीली मटर एक **रबी फसल है** ।
  - **बुवाई अवधि** – अक्टूबर से नवंबर तक।
  - **कटाई का मौसम** - मार्च से अप्रैल तक।
- **मृदा संवर्धन** - पीली मटर **नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करती है** , मृदा की उर्वरता में सुधार करती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है।
- **पोषण का महत्व** -
  - **प्रोटीन (20-25%)** , कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भरपूर ।
  - इसमें आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं।
  - अक्सर इसे **चने के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है** , खासकर जब चने की कीमतें बढ़ जाती हैं।

वैश्विक व्यापार और भारतीय मांग

- **सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक** - **कनाडा** पीली मटर का विश्व का शीर्ष उत्पादक एवं निर्यातक है।
- **अन्य निर्यातक** - **रूस** , **यूक्रेन** , **संयुक्त राज्य अमेरिका** और **ऑस्ट्रेलिया** (ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र) भी प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
- **भारत की स्थिति** –
  - भारत में पीली मटर का उत्पादन होता है, लेकिन **घरेलू उत्पादन न्यूनतम है** ।
  - उच्च घरेलू मांग के कारण भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - **2023 और 2024** के बीच भारत का पीली मटर का आयात कथित तौर पर **दोगुना हो जाएगा** , जो विदेशी आपूर्ति पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

पीली मटर के आयात विवाद से किसानों की सुरक्षा करते हुए किफ़ायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने की चुनौती उजागर होती है, क्योंकि सस्ते आयात से उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता है, लेकिन घरेलू दाल उत्पादकों को नुकसान होता है। सर्वोच्च न्यायालय की जाँच भारत की खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और व्यापार प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन तय करेगी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

प्रसंग

सर्वोच्च न्यायालय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा है, जिसमें महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों को पारंपरिक हिंदू सामाजिक संरचना के संरक्षण के साथ संतुलित करने के साथ-साथ सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अधिनियम के बारे में

- **कानून की प्रकृति** - एक ऐसा कानून जो उत्तराधिकार से संबंधित **हिंदू पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध और संशोधित करता है,** उन मामलों में जहां कोई वसीयत नहीं बनाई गई है (बिना वसीयत उत्तराधिकार)।
- **प्रवर्तन की तिथि - 17 जून 1956** को प्रभावी हुआ ।
- **प्रादेशिक विस्तार** - जम्मू और कश्मीर (उस समय) को छोड़कर पूरे भारत में लागू।
- **उद्देश्य** -
    - हिंदुओं में उत्तराधिकार नियमों में एकरूपता लाना।
    - उत्तराधिकार में लिंग भेदभाव को कम करना।
    - **महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को** उत्तरोत्तर बढ़ाना ।

कवरेज

- **शामिल समुदाय** – हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख।
- **बहिष्कृत समूह** - मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी (जब तक कि अधिनियम से पहले हिंदू कानून द्वारा शासित न हों)।
- **अनुसूचित जनजातियाँ** - छूट प्राप्त जब तक कि उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से इसके दायरे में नहीं लाया जाता।

प्रमुख प्रावधान

- 2005 के संशोधन के बाद से बेटियां जन्म से ही सहदायिक होती हैं, तथा पैतृक संपत्ति के अधिकार और दायित्वों में बेटों के समान होती हैं।
- बिना वसीयत वाले हिंदू पुरुषों की संपत्ति पहले वर्ग। के उत्तराधिकारियों को, फिर वर्ग॥ के उत्तराधिकारियों, तथा सजातीयों को मिलती है।
- महिलाएं अपनी संपत्ति की पूर्णतः मालिक हैं, जो पहले के सीमित स्वामित्व नियमों को दरकिनार कर देती है; वे इसका स्वतंत्र रूप से प्रबंधन और निपटान कर सकती हैं।
- बिना वसीयत वाली हिंदू महिलाओं की संपत्ति उनके बच्चों, पति और पति, पिता और माता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है।
- उत्तराधिकार के सिद्धांत: पूर्ण रक्त को प्राथमिकता दी जाएगी; अजन्मे बच्चे के अधिकारों को मान्यता दी जाएगी; हत्यारों और धर्मांतरित लोगों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- यदि कोई उत्तराधिकारी न हो, तो संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है, जो संबंधित संपत्ति दायित्वों को वहन करती है।

महत्व

- हिंदू उत्तराधिकार कानूनों में **कानूनी स्पष्टता और एकरूपता** स्थापित की गई ।
- **महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को** मजबूत किया गया , विशेष रूप से **2005 के संशोधन के बाद** ।
- हिंदू समुदायों में बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामलों में अस्पष्टता कम हुई।
- **प्रगतिशील लैंगिक समानता** सुधारों के साथ **पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को** संतुलित करना ।

निष्कर्ष

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 उत्तराधिकार अधिकारों को आकार देने वाला एक ऐतिहासिक सुधार है, फिर भी महिलाओं के उत्तराधिकार पर बहस जारी है। सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा लैंगिक समानता और पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के बीच संतुलन को पुनर्परिभाषित कर सकती है, जिससे भारतीय उत्तराधिकार कानून का विकास हो सकता है।

महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ

प्रसंग

ओडिशा की महेंद्रगिरि पहाड़ियों में **तेज़ी से हो रहे पर्यटन विस्तार और निर्माण परियोजनाओं** पर चिंता जताई है। **2022 में इसे जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किए जाने के बावजूद** ।

महेंद्रगिरि पहाड़ियों के बारे में

यह क्या है?

- **पूर्वी घाट** में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला , जो अपने **पौराणिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है** ।
- अपनी समृद्ध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के कारण इसे जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

जगह

- **यह मंदिर ओडिशा के गजपति जिले** में समुद्र तल से **1,501 मीटर (4,925 फीट)** की ऊंचाई पर स्थित है।
- **ब्रह्मपुर से** लगभग 175 किमी दूर , पूर्वी घाट के हृदय में स्थित है।

प्रमुख विशेषताऐं

1. यहाँ 1,348 पादप प्रजातियाँ और 388 पशु पाए जाते हैं, जिनमें से कई स्थानिक या संकटग्रस्त हैं; हाथियों और

ऐतिहासिक रूप से बाघों के लिए यह महत्वपूर्ण आवास है।

2. महाकाव्यों में महेंद्र पर्वत के नाम से प्रसिद्ध; रामायण, महाभारत में महत्वपूर्ण; भगवान परशुराम की तपस्थली।
3. पंचपांडव मंदिरों और भगवान शिव के तीर्थस्थलों का घर; प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान।
4. यहाँ साओरा और कोंध जनजातियाँ निवास करती हैं जो पारंपरिक आजीविका और जीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं।
5. वनों की कटाई, अनियमित पर्यटन, हाथी गलियारों को प्रभावित करने वाले आवास की क्षति, शिकारियों के कारण नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है।
6. क्षेत्र के जलवायु नियंत्रण के लिए पारिस्थितिक संतुलन महत्वपूर्ण है; प्राचीन मंदिरों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।

महत्व

- **पारिस्थितिकीय** - पूर्वी घाट का एक जैव विविधता हॉटस्पॉट।
- **सांस्कृतिक** - भारत की महाकाव्य परंपराओं में अंतर्निहित एक पवित्र परिदृश्य।
- **जनजातीय आजीविका** - पारंपरिक वन-आश्रित समुदायों को बनाए रखती है।
- **पर्यटन क्षमता** - पारिस्थितिकी पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए एक गंतव्य, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विनियमन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

महेंद्रगिरि पहाड़ियाँ सांस्कृतिक श्रद्धा और जैव विविधता का प्रतीक हैं। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित होने के बावजूद, ये पहाड़ियाँ अनियंत्रित पर्यटन के खतरों का सामना कर रही हैं। इस अद्वितीय, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सतत प्रबंधन को पारिस्थितिक पर्यटन, वन संरक्षण और जनजातीय भागीदारी पर केंद्रित होना चाहिए।

मृदाकरण प्रौद्योगिकी

प्रसंग

भारत में, खासकर राजस्थान के थार रेगिस्तान में, मरुस्थलीकरण एक बड़ी चिंता का विषय है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को खतरा है। इससे निपटने के लिए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मृदाकरण तकनीक विकसित की है, जिससे रेगिस्तान की रेत को खेती योग्य मिट्टी में बदला जा सकता है।

थार रेगिस्तान विस्तार:

थार **रेगिस्तान** , प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारणों से लगातार बढ़ रहा है। उपजाऊ क्षेत्रों की ओर इसके विस्तार से कृषि, आजीविका और पारिस्थितिक संतुलन को खतरा है।

विस्तार के प्रमुख कारण:

- **अरावली पहाड़ियों** का क्षरण , जो रेगिस्तानी हवाओं और रेत की आवाजाही के लिए एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती हैं।
- **वनों की कटाई** , जहां वृक्षों की कटाई की दर वनीकरण प्रयासों से अधिक है।
- **वर्षा के पैटर्न में बदलाव** के कारण अनियमित मानसून और लम्बे समय तक सूखा पड़ता है।
- **रेत के टीलों का फैलाव** , जो कभी उत्पादक भूमि को ढक लेते हैं।

नतीजे:

- उपजाऊ भूमि का नुकसान, खेती में कमी और खाद्य सुरक्षा को खतरा।
- भूजल पुनर्भरण में कमी और जल की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है।
- पारिस्थितिक असंतुलन, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों को प्रभावित करता है।
- धूल भरी आंधी और चरम जलवायु परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशीलता।

सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि रेगिस्तानी रेत में पानी को बनाए रखने की क्षमता का अभाव होता है। उपजाऊ मिट्टी के विपरीत, जो नमी को जमा करके धीरे-धीरे पौधों की जड़ों तक पहुँचाती है, रेगिस्तानी रेत पानी को तेज़ी से वाष्पित या बह जाने देती है, जिससे खेती लगभग असंभव हो जाती है।

नवाचार: मृदाकरण प्रौद्योगिकी

परिभाषा: मृदाकरण प्रौद्योगिकी एक नवीन विधि है जिसे रेगिस्तानी रेत को संशोधित करने के लिए विकसित किया गया है ताकि यह उपजाऊ मिट्टी की तरह व्यवहार करे, जो कृषि को सहारा देने में सक्षम हो।

विकासकर्ता: राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक का बीड़ा उठाया।

मुख्य घटक:

- **पॉलिमर उपचार:** ढीली रेत को बांधता है, स्पंज की तरह जल धारण क्षमता में सुधार करता है, सिंचाई की आवश्यकता को आधे से कम कर देता है, तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाता है।
- **सूक्ष्मजीवों के साथ जैव-सूत्रीकरण:** नाइट्रोजन-फिक्सिंग सूक्ष्मजीवों को जोड़ता है, मजबूत पौधों की

वृद्धि के लिए मिट्टी को प्राकृतिक रूप से समृद्ध करता है।

परीक्षण और प्रारंभिक परिणाम

बाजरा , **ग्वार गम** और **चना** जैसी फसलें उगाई गई हैं।

परीक्षणों का प्रभाव:

- मिट्टी जैसी संरचना से फसल की उपज में सुधार हुआ।
- पानी की कम खपत ने खेती को अधिक टिकाऊ बना दिया।
- रेगिस्तान-प्रवण क्षेत्रों के किसान संभवतः बंजर भूमि को कृषि के लिए पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

सामरिक और आर्थिक महत्व

यदि व्यापक रूप से क्रियान्वित किया जाए तो मृदाकरण प्रौद्योगिकी भारत के कृषि परिदृश्य और अर्थव्यवस्था के लिए **क्रांतिकारी परिवर्तनकारी साबित हो सकती है।**

संभावित लाभ:

- यह रेगिस्तान को एनसीआर जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में फैलने से रोकता है।
- अनुत्पादक रेगिस्तानी भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा।
- शुष्क क्षेत्रों में खेती को सक्षम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।
- अत्यधिक सिंचाई पर निर्भरता कम होती है, भूजल का संरक्षण होता है।
- **जलवायु लचीलेपन और टिकाऊ कृषि लक्ष्यों के** अनुरूप है ।

पर्यावरणीय और सामाजिक विचार

यद्यपि यह प्रौद्योगिकी आशाजनक है, लेकिन विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इसका क्रियान्वयन जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

पर्यावरणीय चिंता:

- पॉलिमर का बड़े पैमाने पर उपयोग पर्यावरण अनुकूल और गैर विषैला होना चाहिए।
- सूक्ष्मजीवों के प्रवेश से मौजूदा रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र बाधित नहीं होना चाहिए।
- जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है।

सामाजिक निहितार्थ:

- सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को आजीविका पुनर्जीवित करने के अवसर प्रदान करता है।
- अनुत्पादक भूमि और जल की कमी के कारण होने वाले पलायन को कम करता है।
- मरुस्थलीकरण से निपटने में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

थार रेगिस्तान के बारे में

- थार रेगिस्तान राजस्थान से होते हुए हरियाणा, गुजरात और पंजाब तक फैला हुआ है।
- इसकी सीमा उत्तर-पूर्व में **अरावली पहाड़ियों और** दक्षिण-पश्चिम में **कच्छ के रण से लगती है।**
- अत्यधिक तापमान, कम वर्षा और बदलते टीलों के लिए जाना जाता है।
- कठोर परिस्थितियों के बावजूद, यह अद्वितीय जैव विविधता और मानव बस्तियों को सहारा देता है।

निष्कर्ष

मृदाकरण तकनीक रेत को बांधकर, जल धारण क्षमता में सुधार करके और पोषक तत्वों को समृद्ध करके कृषि भूमि के लिए मरुस्थलीकरण का मुकाबला करती है। इसकी सफलता पारिस्थितिक सुरक्षा, सामर्थ्य और सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA)

प्रसंग

पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद से निपटने के लिए 1958 में लागू किया गया सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) विवादास्पद बना हुआ है। सितंबर 2025 में, सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को छह महीने के लिए—अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक—बढ़ा दिया। समर्थक अशांत क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसके महत्व का हवाला देते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि इसकी व्यापक शक्तियों और सशस्त्र बलों को मिली छूट के कारण यह मानवाधिकारों का हनन करता है।

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

- **परिभाषा: AFSPA एक ऐसा कानून है जो आधिकारिक तौर पर** *अशांत क्षेत्रों* के रूप में नामित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है ।
- **उद्देश्य:** जहां सामान्य कानून और व्यवस्था के उपाय अपर्याप्त हैं, वहां उग्रवाद, उग्रवाद और सशस्त्र विद्रोह का मुकाबला करने में सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना।

- **अधिनियम:** पूर्वोत्तर में संघर्षों को संबोधित करने के लिए इसे पहली बार **1958** में लागू किया गया था ।
- **प्राधिकरण:** अधिनियम की धारा 3 के तहत, **केंद्र सरकार** किसी भी क्षेत्र को "अशांत" घोषित कर सकती है।
- **समीक्षा तंत्र:** अफस्पा की हर छह महीने में समीक्षा की जाती है ताकि यह तय किया जा सके कि अशांत क्षेत्र का दर्जा जारी रहना चाहिए या नहीं।

वर्तमान कवरेज (अक्टूबर 2025 तक):

- **मणिपुर:** 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू।
- **नागालैंड:** नौ जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों में लागू।
- **अरुणाचल प्रदेश:** असम की सीमा से लगे विशिष्ट जिलों में लागू।

वे क्षेत्र जहां से AFSPA हटा लिया गया है:

- **त्रिपुरा (2015)** – पूर्णतः वापस ले लिया गया।
- **मेघालय (2018)** – पूरी तरह से उठा लिया गया।

सशस्त्र बलों को दी गई विशेष शक्तियाँ

अफस्पा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है:

1. **गोली मारकर हत्या करने का अधिकार:** सुरक्षाकर्मी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बल प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें घातक बल भी शामिल है।
2. **बिना वारंट के गिरफ्तारी:** सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, जिस पर संज्ञेय अपराध करने या करने का संदेह हो।
3. **बिना वारंट के तलाशी:** मकान, भवन या परिसर की तलाशी बिना पूर्व न्यायिक अनुमति के ली जा सकती है।
4. **अभियोजन से उन्मुक्ति:** कार्मिकों को केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अभियोजन से बचाया जाता है, जिससे व्यापक कानूनी संरक्षण सुनिश्चित होता है।

आलोचना और विवाद

अफस्पा को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है।

प्रमुख चिंताएं:

- **मानवाधिकार उल्लंघन:** न्यायेतर हत्याएं, फर्जी मुठभेड़ें, हिरासत में मौतें और गलत पहचान के आरोप।
- **अत्यधिक शक्तियां: आलोचकों का तर्क है कि धारा 4 (खण्ड ए एवं सी)** और **धारा 6** के अंतर्गत प्रावधान लगभग पूर्ण दंड मुक्ति प्रदान करते हैं।
- **सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन:** उल्लेखनीय दीर्घकालिक विरोध प्रदर्शनों में मणिपुर में **इरोम शर्मिला की 16 साल पुरानी भूख हड़ताल शामिल है, जिसमें उन्होंने AFSPA को हटाने की मांग की थी।**

सुधार सिफारिशें

कई समितियों और आयोगों ने AFSPA की समीक्षा की है और सुधार सुझाए हैं:

- **न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005): AFSPA को निरस्त करने की** सिफ़ारिश की , और कहा कि आधुनिक लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) में आवश्यक प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007):** सुरक्षा चिंताओं और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए AFSPA को अधिक मानवीय कानूनी ढांचे से प्रतिस्थापित करने की वकालत की गई।
- **सर्वोच्च न्यायालय (2016 और बाद के फैसले):** अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने सख्त जांच का आदेश दिया, तथा निर्देश दिया कि बल का प्रत्येक प्रयोग न्यायिक जांच के अधीन होना चाहिए, और राज्यों के परामर्श से हर छह महीने में AFSPA की समीक्षा की जानी चाहिए।

AFSPA के पक्ष में तर्क

आलोचना के बावजूद, समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि AFSPA आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

- **अशांत क्षेत्रों में आवश्यक:** जहां उग्रवाद और उग्रवाद राज्य पुलिस पर हावी हो जाते हैं, वहां AFSPA यह सुनिश्चित करता है कि सशस्त्र बल तेजी से कार्रवाई कर सकें।
- **अस्थायी उपाय:** अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कानून स्थायी नहीं है, बल्कि केवल अधिसूचित अशांत क्षेत्रों में ही लागू है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यता:** सेना को नागालैंड और मणिपुर जैसे सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षित रखने में मदद करना, जो सीमा पार से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रवण हैं।
- **परिचालन स्वतंत्रता:** सशस्त्र बलों को प्रतिकूल एवं अनिश्चित परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक कानूनी समर्थन प्रदान करती है।

निष्कर्ष

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बल प्रयोग, बिना वारंट के गिरफ्तारी और परिसरों की तलाशी लेने का अधिकार देता है, साथ ही कानूनी छूट भी देता है। भारत में सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए इस पर बहस होती है।

MoSPI व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025

प्रसंग

भारत ने स्कूल में बने रहने में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, और केवल दो वर्षों में स्कूल छोड़ने की दर आधी हो गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किए गए **व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025 के अनुसार** , यह उपलब्धि सरकारी योजनाओं, नीतिगत सुधारों और सामुदायिक भागीदारी के संयुक्त प्रभाव को दर्शाती है। यदि ये उपलब्धियाँ निरंतर जारी रहीं, तो देश एक दशक के भीतर सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य के और करीब पहुँच सकता है।

सर्वेक्षण के बारे में

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) **द्वारा आयोजित ।**
- **समयरेखा:** अप्रैल-जून 2025.
- **रूपरेखा: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 80वें दौर** का हिस्सा ।
- **उद्देश्य:** स्कूल में नामांकन, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या, व्यय और शिक्षा में समानता के रुझान का आकलन करना।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

1. स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी

- **माध्यमिक स्तर: 13.8% (2022-23)** से घटकर **8.2% (2024-25) हो गया** ।
- **मध्य स्तर: 8.1%** से घटकर **3.5% हो गया** ।
- **प्रारंभिक चरण: 8.7%** से घटकर **2.3% हो गया** । यह तीव्र बदलाव आधारभूत और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप का संकेत देता है।

2. संरचनात्मक बदलाव

इस प्रगति का श्रेय कई प्रमुख कार्यक्रमों और नीतिगत उपायों को दिया जाता है:

- **समग्र शिक्षा अभियान:** स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत दृष्टिकोण।
- **मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण):** बेहतर पोषण और उपस्थिति।
- **छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन:** कमजोर समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
- **एनईपी 2020 लचीलापन:** कई प्रवेश-निकास बिंदुओं और कौशल-आधारित शिक्षा की अनुमति दी गई, जिससे शैक्षणिक दबाव कम हुआ।

3. वहनीयता चुनौती

शिक्षा पर घरेलू व्यय में वृद्धि जारी है:

- **सरकारी स्कूल:** ₹2,639 (ग्रामीण) और ₹4,128 (शहरी)।
- **निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल:** ₹19,554 (ग्रामीण) और ₹31,782 (शहरी)।
  यह बड़ा अंतर सामर्थ्य और समानता की बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

4. द्वितीयक कमजोरी

सुधारों के बावजूद, किशोरों में स्कूल छोड़ने का जोखिम अभी भी उच्च बना हुआ है, क्योंकि:

- पारिवारिक आय का दबाव और कार्यबल में शीघ्र प्रवेश।
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित पहुंच, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- बाल विवाह और लिंग भेदभाव जैसी सामाजिक बाधाएं।

5. दीर्घकालिक दृष्टिकोण

यदि सामर्थ्य और पहुंच संबंधी चुनौतियों का समाधान कर लिया जाए, तो भारत **अगले दशक के भीतर सार्वभौमिक स्कूल पूर्णता प्राप्त कर सकता है** , जिससे मानव पूंजी विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा।

व्यापक महत्व

सामाजिक न्याय के लिए:

- समग्र शिक्षा अभियान और एनईपी 2020 जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।
- समानता में जारी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समूहों के लिए।

भारतीय समाज के लिए:

- साक्षरता वृद्धि सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करती है।
- कमजोर समूहों में स्कूल छोड़ने की दर में कमी आने से अंतर-पीढ़ीगत अवसरों में बदलाव आ सकता है।

आर्थिक विकास के लिए:

- बेहतर प्रतिधारण **मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है** ।
- भारत के **जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के प्रयास का समर्थन करता है** ।

- बेहतर शिक्षित युवा उच्च उत्पादकता और नवाचार में योगदान दे सकते हैं।

निष्कर्ष

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा 2025, लक्षित योजनाओं, नीतिगत नवाचारों और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने में भारत की प्रगति को रेखांकित करता है। हालाँकि, शिक्षा की बढ़ती लागत और माध्यमिक शिक्षा में निरंतर कमज़ोरियों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। **पहुँच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में संतुलन बनाए रखना** इस गति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि भारत आने वाले दशक में सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़े।

एक सींग वाला गैंडा

प्रसंग

विशाल एक सींग वाला गैंडा, जिसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है, दक्षिण एशिया की सबसे प्रतिष्ठित महाजीव प्रजातियों में से एक है। कभी गंगा के मैदानों में व्यापक रूप से फैला हुआ, शिकार और आवास के नुकसान के कारण इसकी आबादी में भारी गिरावट आई। हालाँकि, भारत और नेपाल में कड़े संरक्षण उपायों के माध्यम से, इस प्रजाति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हालाँकि इसे अभी भी अवैध शिकार और आवास क्षरण के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रजातियाँ और उनका वितरण

प्रमुख विशेषताऐं:

- भारत और नेपाल के बाढ़ के मैदानों और घास के मैदानों में पाया जाता है।
- भारत 3,000-4,000 व्यक्तियों की मेजबानी करता है, मुख्य रूप से असम (काजीरंगा, पोबितोरा, ओरंग) और पश्चिम बंगाल (जलदापारा, गोरुमारा) में।
- छोटी आबादी नेपाल के चितवन और बर्दिया में रहती है।
- विश्व स्तर पर, यह सफेद, काले, जावन और सुमात्रा गैंडों के साथ पांच गैंडा प्रजातियों में से एक है।

सुरक्षा स्थिति

इस प्रजाति को कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त माना गया है, तथा इसके संरक्षण के लिए कड़े उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।

स्थिति पर प्रकाश डाला गया:

- **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** संवेदनशील, निरंतर संरक्षण के बिना खतरे की ओर बढ़ने का जोखिम दर्शाता है।
- **सीआईटीईएस (लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय):** परिशिष्ट। के अंतर्गत सूचीबद्ध, वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (भारत): अनुसूची I** में शामिल , शिकार और अवैध शिकार के विरुद्ध उच्चतम कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

संरक्षण पहल

भारत और नेपाल ने गैंडों की आबादी की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए कई लक्षित कार्यक्रम चलाए हैं।

प्रमुख प्रयास:

- **प्रोजेक्ट राइनो (असम):** असम के गैंडा-बहुल क्षेत्रों में अवैध शिकार विरोधी अभियान और आवास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **भारतीय गैंडा विजन (आईआरवी 2020):** 2005 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य असम की गैंडों की आबादी को बढ़ाना और उनकी संवेदनशीलता को कम करने के लिए उन्हें सात संरक्षित क्षेत्रों में फैलाना था।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिकी पर्यटन, जागरूकता अभियान और आवास पुनर्स्थापन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पारिस्थितिक महत्व

एक सींग वाला गैंडा, एक महाशाकाहारी प्राणी होने के नाते, चराई और बीज फैलाव के माध्यम से घास के मैदानों को बनाए रखता है।

प्रमुख भूमिकाओं:

- पक्षियों, हिरणों और कीड़ों के लिए आवासों का आकार तैयार करना।
- यह एक छत्र प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तथा इसके संरक्षण से कई अन्य प्रजातियों को सहायता मिलती है।

खतरे और चुनौतियाँ

बढ़ती आबादी के बावजूद, इस प्रजाति को अभी भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

- **अवैध शिकार:** सींगों की मांग अवैध व्यापार के लिए होती है, जिसे अक्सर औषधीय और सजावटी मूल्य के मिथकों से जोड़ा जाता है।
- **आवास की हानि:** अतिक्रमण, कृषि और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चरागाह क्षेत्रों को कम करती हैं और प्रवास गलियारों को अवरुद्ध करती हैं।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** गैंडों द्वारा फसलों पर हमला करने से अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष होता है।

- **जलवायु संवेदनशीलता:** असम में बाढ़ और वर्षा के बदलते पैटर्न से गैंडों के आवास प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष

एक समय विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुका विशाल एक सींग वाला गैंडा, भारत की संरक्षण चुनौतियों और उपलब्धियों, दोनों का प्रतीक है। कानूनी संरक्षण, आवास संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के तहत निरंतर प्रयासों ने इसकी आबादी को पुनर्जीवित किया है। हालाँकि, इस प्रजाति को अवैध शिकार, आवास संबंधी दबावों और जलवायु जोखिमों से बचाने के लिए निरंतर सतर्कता ज़रूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि "एशिया का यह बख्तरबंद विशालकाय" आने वाली पीढ़ियों तक फलता-फूलता रहे।

भारतीय युवाओं में बढ़ती हृदय रोग (सीवीडी)

प्रसंग

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश खतरे में है, क्योंकि 20-40 वर्ष की आयु के युवा वयस्कों में हृदय रोग (सीवीडी) बढ़ रहा है।

मुख्य बिंदु:

- भारत में हृदयाघात के लगभग 50% रोगी अब 20-40 वर्ष की आयु के हैं, जो एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं।

कारण और जोखिम कारक

चिकित्सा विशेषज्ञ **जीवनशैली के विकल्पों को** हृदय रोगों की शुरुआत का मुख्य कारण मानते हैं, और आनुवंशिक प्रवृत्ति जोखिम को और बढ़ा देती है। जब खराब जीवनशैली की आदतें वंशानुगत कमज़ोरियों के साथ मिल जाती हैं, तो हृदय रोग विकसित होने की संभावना **70% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है** ।

प्रमुख जोखिम कारक:

युवा भारतीयों को अस्वस्थ जीवनशैली के कारण हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है, जिसमें गतिहीन दिनचर्या, जंक फूड पर निर्भरता, धूम्रपान और शराब शामिल हैं।

प्रमुख कारक:

- काम और शहरी जीवन से उत्पन्न दीर्घकालिक तनाव।
- नींद संबंधी विकार, जो अक्सर देर तक डिजिटल उपयोग के कारण होता है; हृदय के स्वास्थ्य के लिए 7-8 घंटे की अच्छी नींद आवश्यक है।
- शारीरिक निष्क्रियता से मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है।

प्रारंभिक चेतावनी संकेत

- व्यायाम के दौरान सीने में दर्द होना।
- अस्पष्टीकृत सीने में बेचैनी।
- सांस लेने में कठिनाई।
- बिना परिश्रम के अत्यधिक पसीना आना।
- दैनिक कार्यों में लगातार थकान रहना।

समाधान और निवारक उपाय

इस संकट से निपटने के लिए **व्यक्तिगत जिम्मेदारी** और **प्रणालीगत हस्तक्षेप दोनों की आवश्यकता है** ।

व्यक्तिगत स्तर पर:

- फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार अपनाना।
- प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहना।
- पर्याप्त और सुसंगत नींद की दिनचर्या सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू, शराब और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें।
- नियमित स्वास्थ्य जांच और हृदय संबंधी जांच कराना।

नीतिगत स्तर पर:

- **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस)** और **आयुष्मान भारत** जैसे सरकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य जागरूकता, जांच और उपचार तक पहुंच में सुधार करना है।
- हालांकि, 2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल **25% भारतीयों ने ही हृदय संबंधी समस्याओं की सही पहचान की है और उनका समाधान किया है** , जिससे अधिक गहन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ

युवा भारतीयों में हृदय रोग की बढ़ती घटनाएं एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक बाधा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

- **कार्यबल की हानि:** 20-40 आयु वर्ग में हृदय संबंधी बीमारियों के कारण जीवन के सर्वाधिक उत्पादक वर्ष कम हो जाते हैं, जिससे भारत की आर्थिक क्षमता कमजोर हो जाती है।
- **वित्तीय तनाव:** चिकित्सा लागत और आय की हानि परिवारों पर भारी बोझ डालती है, विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर।
- **राष्ट्रीय प्रभाव:** यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो युवा आबादी के बढ़ते हिस्से के खतरे के साथ भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय दायित्व बन सकता है।

निष्कर्ष

भारत के युवाओं में हृदय रोगों का बढ़ना एक गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक चिंता का विषय है। जीवनशैली में बदलाव, समय पर पहचान और मज़बूत सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों से इस प्रवृत्ति को उलटा जा सकता है। हृदय स्वास्थ्य की रक्षा व्यक्तिगत स्वास्थ्य और राष्ट्र के विकास एवं उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एस्ट्रोसैट मिशन: भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला

प्रसंग

भारत की पहली बहु-तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला, एस्ट्रोसैट ने हाल ही में अपने **सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे किए** । 2015 में प्रक्षेपित, इसे मूल रूप से 5 वर्ष की अवधि के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन यह मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा प्रदान करना जारी रखे हुए है। इसकी सफलता ने भारत को अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है।

मिशन अवलोकन

एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष अनुसंधान और खगोल भौतिकी में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है।

मुख्य विवरण:

- **नाम एवं स्थिति:** एस्ट्रोसैट - भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला।
- **उद्देश्य:** विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंगदैर्ध्य में खगोलीय घटनाओं का अवलोकन और विश्लेषण करना।
- **प्रक्षेपण सूचना:**
  - दिनांक: **28 सितंबर, 2015**
  - स्थान: **सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा**
  - वाहन: **पीएसएलवी-सी30 (पीएसएलवी श्रृंखला की 31वीं उड़ान)**
  - द्रव्यमान: लगभग **1500 किलोग्राम** (2000 किलोग्राम नहीं, जैसा कि यूपीएससी 2016 के प्रश्न में बताया गया है)।
- **जीवनकाल:** 5 वर्षों के लिए डिज़ाइन किया गया था लेकिन अब परिचालन में **10 वर्ष से अधिक हो गया है।**
- **वैश्विक मान्यता: भारत को** परिचालन अंतरिक्ष वेधशालाओं वाले देशों, **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान** के साथ रखा गया ।
- **सहयोग:**
  - राष्ट्रीय साझेदार: इसरो और भारतीय अनुसंधान संस्थान।
  - अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: **कनाडा और यू.के.** ने उपकरण और विशेषज्ञता प्रदान की।

प्रमुख उपलब्धियाँ और खोजें

एस्ट्रोसैट ने विविध अवलोकनों के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को काफी उन्नत किया है।

- **ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और आकाशगंगाओं** पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया ।
- सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे **प्रॉक्सिमा सेंटॉरी का** अध्ययन किया गया ।
- **9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित** एक आकाशगंगा से **सुदूर पराबैंगनी (एफयूवी) फोटॉनों का** पता लगाया गया ।
- विभिन्न ब्रह्मांडीय क्षेत्रों से **विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम** का उन्नत ज्ञान ।
- **गामा किरण विस्फोट, बाइनरी स्टार सिस्टम और सुपरनोवा** पर अनुसंधान में योगदान दिया ।

ऑनबोर्ड उपकरण

एस्ट्रोसैट **पांच प्रमुख उपकरणों से सुसज्जित था** , जिनमें से प्रत्येक विशेष अवलोकन उद्देश्यों के लिए काम करता था:

1. पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (यूवीआईटी): तारों, आकाशगंगाओं और तारा-निर्माण क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए दृश्य और पराबैंगनी प्रकाश में चित्र कैप्चर करता है।
2. वृहद क्षेत्र एक्स-रे आनुपातिक काउंटर (LAXPC): द्विआधारी तारों और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए कम ऊर्जा वाले एक्स-रे का अवलोकन करता है।
3. कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर (सीजेडटीआई): गामा किरण विस्फोटों का पता लगाता है और कठोर एक्स-रे का विश्लेषण करता है।
4. सॉफ्ट एक्स-रे टेलीस्कोप (एसएक्सटी): सॉफ्ट एक्स-रे पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आकाशगंगाओं में सुपरनोवा अवशेषों और गर्म गैस के लिए महत्वपूर्ण है।
5. स्कैनिंग स्काई मॉनिटर (एसएसएम): तारों के विस्फोट जैसे अचानक एक्स-रे विस्फोटों के लिए आकाश को लगातार स्कैन करता है।

सामरिक और वैज्ञानिक महत्व

- **बहु-तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशालाओं** वाले देशों की वैश्विक श्रेणी में भारत का प्रवेश चिह्नित हुआ ।
- भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशी वेधशालाओं पर निर्भर हुए बिना निरंतर, उच्च गुणवत्ता वाले खगोलीय डेटा तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया।
- **खगोल भौतिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** में भारत की भूमिका को मजबूत किया ।

RACE IAS

- अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और खगोलविदों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और प्रेरित करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया।

निष्कर्ष

एस्ट्रोसैट मिशन **भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान यात्रा में एक मील का पत्थर है** , जो उन्नत तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयोजन करता है। इसकी दशक भर की सफलता, परिष्कृत अंतरिक्ष वेधशालाओं के संचालन और वैश्विक खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने की भारत की क्षमता को दर्शाती है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा, एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, और भविष्य के गहन अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखता है।

भारत में मातृत्व पुनः एकीकरण

प्रसंग

एक हालिया संपादकीय इस बात पर ज़ोर देता है कि भारत में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर वास्तविक समावेशन **मातृत्व अवकाश से कहीं आगे तक जाता है** । असली चुनौती **मातृत्व पुनर्मिलन** , यानी प्रसव के बाद महिला कर्मचारियों की अपनी पेशेवर भूमिकाओं में निर्बाध वापसी में है। हालाँकि वैधानिक अवकाश अस्थायी राहत प्रदान करता है, लेकिन समावेशन की दीर्घकालिक परीक्षा यह है कि क्या कार्यस्थल महिलाओं को देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों और करियर में प्रगति के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं।

मातृत्व पुनर्एकीकरण क्या है?

नई माताओं को कार्यबल में वापस शामिल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है । मातृत्व अवकाश के विपरीत, जो **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है** , पुनर्मिलन में सहायक नीतियों, कार्यस्थल संस्कृति और करियर निरंतरता तंत्रों का संयोजन शामिल होता है।

इसमें शामिल हैं:

- लचीली कार्य व्यवस्था.
- साइट पर बाल देखभाल और सहायता प्रणालियाँ।
- प्रबंधकीय सहानुभूति और संरचित पुनःप्रवेश कार्यक्रम।
- महिलाओं को हाशिये पर जाने से बचाने के लिए दीर्घकालिक कैरियर समर्थन।

नई माताओं द्वारा सामना किए जाने वाले दबाव

भारत में मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिलाओं को अक्सर बहुस्तरीय दबावों का सामना करना पड़ता है:

1. पारिवारिक अपेक्षाएँ:

- देखभाल करना सामाजिक रूप से महिलाओं का कर्तव्य माना जाता है, जिससे रूढ़िवादिता को बल मिलता है।
- *उदाहरण:* **एनएसएसओ 2019** के अनुसार , भारतीय महिलाएं अवैतनिक देखभाल कार्य पर प्रतिदिन लगभग 7 घंटे खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 2.5 घंटे खर्च करते हैं।

2. सामाजिक मानदंड:

- माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे काम की अपेक्षा परिवार को प्राथमिकता दें, जिसके कारण उनमें अपराध बोध और निर्णय की भावना उत्पन्न होती है।
- *उदाहरण:* सांस्कृतिक धारणा बनी हुई है कि "एक अच्छी माँ अपने करियर का त्याग करती है।"

3. आंतरिक संघर्ष:

- थकान, आत्म-संदेह और मातृत्व-पश्चात इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी भावनात्मक चुनौतियाँ।
- *उदाहरण:* कॉर्पोरेट सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पुनः प्रवेश के बाद महिलाओं में आत्म-संदेह के मामले बढ़ रहे हैं।

4. संगठनात्मक प्रणालियाँ:

- कठोर भूमिकाएं, बच्चों की देखभाल में सहायता का अभाव, तथा प्रबंधकीय उदासीनता अक्सर महिलाओं को बाहर धकेल देती है।
- *उदाहरण:* **डेलॉइट (2022) ने** भारतीय कॉरपोरेट्स में मातृत्व अवकाश के बाद महिलाओं में सबसे अधिक गिरावट की सूचना दी।

स्कूल छोड़ने के प्रभाव

संगठनों पर:

- **प्रतिभा ह्रास:** अनुभवी महिला पेशेवरों का नुकसान। डेलॉइट (2022) का अनुमान है कि ह्रास से कंपनियों को कर्मचारी के वार्षिक वेतन का 150-200% नुकसान होता है।
- **पाइपलाइन में व्यवधान:** नेतृत्व पाइपलाइन कमज़ोर होती है, क्योंकि कई महिलाएँ वरिष्ठ पदों तक पहुँचने से पहले ही नौकरी छोड़ देती हैं। *मार्चिंग शीप इंक्लूज़न इंडेक्स (2025)* के अनुसार, 63% सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की कमी है।
- **सांस्कृतिक बाधा:** महिलाओं के नौकरी छोड़ने से कार्यस्थलों में असमर्थता की धारणा बनती है, मनोबल गिरता है और विविधता के लक्ष्यों को चोट पहुँचती है। *नैसकॉम (2023) ने* पाया कि समावेशिता कर्मचारियों को बनाए रखने का एक प्रमुख कारक है।

अर्थव्यवस्था पर:

- **कम भागीदारी दर:** भारत में महिला श्रम बल भागीदारी लगभग 37% (पीएलएफएस 2024) है, जो जी20 में सबसे कम है।

- **जीडीपी हानि:** *मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का* अनुमान है कि समान भागीदारी से सकल घरेलू उत्पाद में 27% (लगभग 770 बिलियन डॉलर) की वृद्धि हो सकती है।
- **नवाचार की कमी:** STEM और R&D में महिलाओं की कम संख्या विचारों की विविधता को कम करती है। *विश्व बैंक (2022) ने* पाया कि लिंग-विविधता वाली फर्मों का नवाचार राजस्व 20% अधिक होता है।

समाज पर:

- **रूढ़िवादिता को बल मिलता है:** हर ड्रॉपआउट इस पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है कि महिलाएं करियर और परिवार को संभाल नहीं सकतीं। *प्यू (2021)* के अनुसार, 70% भारतीय मानते हैं कि पुरुष वेतनभोगी काम के लिए "बेहतर" हैं।
- **लैंगिक समानता में देरी:** निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, जिससे **SDG-5 (लैंगिक समानता) की प्रगति धीमी हो रही है।** वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 में भारत **127/146वें स्थान पर है।**
- **रोल मॉडल की कमी:** नेतृत्व में महिलाओं की कम उपस्थिति युवा महिलाओं के लिए आकांक्षाओं के मार्ग को कमजोर करती है। *सेबी (2023) के* आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी-500 फर्मों में केवल 18% निदेशक महिलाएं हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **नीति संरेखण:** मातृत्व लाभ अधिनियम का विस्तार करके उसमें औपचारिक मातृत्व पुनर्एकीकरण मानदंड शामिल करना।
- **संस्थागत समर्थन:** कार्यस्थल पर शिशु-गृह, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी प्रदान करना, तथा साझा देखभाल के लिए पितृत्व अवकाश को बढ़ावा देना।
- **जागरूकता अभियान:** मातृत्व और कार्य भूमिकाओं के बीच संतुलन को सामान्य बनाने के लिए सीएसआर और मीडिया का उपयोग करें।
- **डेटा निगरानी:** प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर लिंग संतुलन रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना।
- **वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास:** प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के साथ "रिटर्नशिप" कार्यक्रम शुरू करें, जैसा कि यूके और यूएस में किया जाता है।

निष्कर्ष

मातृत्व पुनः एकीकरण कोई परोपकार का कार्य नहीं, बल्कि **मानव पूँजी में एक रणनीतिक निवेश है** । भारत के लिए, जहाँ महिलाओं की कार्यबल भागीदारी विश्व स्तर पर सबसे कम है, कुशल माताओं को बनाए रखना आर्थिक विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक सच्चा समावेशी कार्यस्थल वह है जहाँ मातृत्व को एक निकास बिंदु के रूप में नहीं, बल्कि **एक फलते-फूलते करियर के एक स्वाभाविक चरण के रूप में माना जाता है**।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

संदर्भ:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत के अल्पकालिक औद्योगिक प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसमें खनन, विनिर्माण और बिजली शामिल हैं। जुलाई के 3.5% के बाद, अगस्त 2025 में 4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो स्थिर औद्योगिक गति का संकेत है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

आईआईपी एक समग्र सूचकांक है जो देश के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन पर नज़र रखता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **उद्देश्य:** यह उद्योगों के उत्पादन को दर्शाता है तथा औद्योगिक चक्रों और आर्थिक प्रगति को समझने में मदद करता है।
- **मापन:** मासिक उत्पादन की तुलना करके, यह इंगित करता है कि उत्पादन बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है।
- **महत्व:** औद्योगिक स्वास्थ्य के बैरोमीटर के रूप में, यह सीधे तौर पर जीडीपी वृद्धि आकलन और नीति-निर्माण को प्रभावित करता है।

हालिया डेटा और रुझान

भारत में औद्योगिक उत्पादन में स्थिर लेकिन मध्यम सुधार हुआ है।

- **अगस्त 2025 वृद्धि: 4%** दर्ज की गई , जो उत्पादन में मामूली वृद्धि को दर्शाती है।
- **जुलाई 2025 वृद्धि: 3.5%** दर्ज की गई , जो वृद्धि में स्थिरता दर्शाती है लेकिन अभी भी उच्च विस्तार स्तर से नीचे है।
- **रिपोर्टिंग चक्र:** मासिक डेटा एक महीने के अंतराल पर जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगस्त के आंकड़े सितंबर में प्रकाशित होते हैं, जबकि सितंबर के आंकड़े अक्टूबर में जारी किए जाएँगे।
  यह पैटर्न नीति निर्माताओं, विश्लेषकों और व्यवसायों को लगभग वास्तविक समय में औद्योगिक गतिशीलता पर नज़र रखने और उस पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है।

गणना और कवरेज

आईआईपी **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा तैयार और जारी किया जाता है** ।

गणना विधियाँ:

- **क्वांटम सूचकांक:** उत्पादन को मौद्रिक मूल्यों के बजाय भौतिक शब्दों जैसे टन, किलोवाट-घंटे या इकाइयों में मापा जाता है।
- **उत्पादन सापेक्ष:** सरल भारित अंकगणितीय माध्य का उपयोग करके गणना की जाती है।
- **लासपेयरस सूत्र:** आईआईपी गणना के लिए प्रयुक्त मुख्य सूत्र, जो एक निश्चित आधार वर्ष के साथ तुलना करने में सक्षम बनाता है।

कवर किए गए क्षेत्र:

1. **खनन** - खनिजों और कच्चे माल का उत्पादन।
2. **विनिर्माण** - कारखानों और उद्योगों का योगदान, जो आईआईपी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
3. **बिजली** - उत्पादन और वितरण, जो बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है।

आधार वर्ष और सांख्यिकीय संशोधन

- **वर्तमान आधार वर्ष:** आईआईपी की गणना वर्तमान में **2011-12 को** आधार वर्ष मानकर की जाती है।
- **आगामी परिवर्तन: 2026** से , आधार वर्ष को **2022-23 तक संशोधित किया जाएगा** , बेहतर सटीकता के लिए आईआईपी को अद्यतन जीडीपी और सीपीआई श्रृंखला के साथ संरेखित किया जाएगा।
- **संशोधन का उद्देश्य:** आधार वर्ष बदलने से यह सुनिश्चित होता है कि सूचकांक वर्तमान औद्योगिक संरचनाओं, प्रौद्योगिकियों और उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करता है।

MoSPI की भूमिका

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) आधिकारिक सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रबंधन और प्रसार में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

- आईआईपी, जीडीपी, मुद्रास्फीति, उपभोग, बचत और राष्ट्रीय आय पर डेटा एकत्र करना और जारी करना।
- मुद्रास्फीति विश्लेषण के लिए आईआईपी के साथ **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)** प्रकाशित करना ।
- **संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस)** जैसी योजनाओं की देखरेख करना तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से **20 सूत्री कार्यक्रम की निगरानी करना।**

आर्थिक महत्व

आईआईपी केवल एक सांख्यिकीय उपकरण नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है।

- **आर्थिक संकेतक:** यह औद्योगिक स्वास्थ्य का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, तथा मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का मार्गदर्शन करता है।
- **व्यावसायिक निर्णय:** उद्योग और निवेशक उत्पादन की योजना बनाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रबंधन करने और मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए आईआईपी डेटा का उपयोग करते हैं।
- **नीतिगत उपयोग:** सरकारी निकाय इसका उपयोग क्षेत्रीय हस्तक्षेप, बुनियादी ढांचे की योजना और विकास रणनीतियों के लिए करते हैं।

निष्कर्ष

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों पर नज़र रखता है। आगामी आधार वर्ष संशोधनों के साथ, यह नीति, व्यावसायिक रणनीतियों और भारत की आर्थिक गति को मापने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (एसएसटीसी)

संदर्भ

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (एसएसटीसी) विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से आपसी विकास, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए सहयोग करने में सक्षम बनाता है; 12 सितंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

परिभाषा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग में सहयोग की दो पूरक धाराएँ शामिल हैं:

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग (एसएससी):** पारस्परिक लाभ के लिए ज्ञान, संसाधन और प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु विकासशील देशों के बीच साझेदारी।
- **त्रिकोणीय सहयोग (TrC): इसमें** SSC प्रयासों का समर्थन करने के लिए विकसित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या **विश्व खाद्य कार्यक्रम** जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की भागीदारी शामिल है ।

इस सहयोग की नींव ब्यूनस **आयर्स कार्य योजना (बीएपीए), 1978 में देखी जा सकती है** , जिसमें विकासशील देशों के बीच एकजुटता, आपसी सम्मान, समानता और क्षमता निर्माण के सिद्धांतों पर जोर दिया गया था।

एसएसटीसी की प्रासंगिकता और लक्ष्य

वैश्विक विकास की गतिशीलता में बदलाव के कारण एसएसटीसी को प्रमुखता मिली है।

प्रासंगिकता के प्रमुख कारक:

- **उत्तरी सहायता में कमी:** अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों द्वारा अपने सहायता बजट में कटौती किए जाने के कारण, एसएसटीसी सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से इस कमी को पूरा कर रहा है।
- **वैश्विक चुनौतियों का समाधान: यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)** के साथ संरेखित करते हुए **जलवायु परिवर्तन, असमानता, कुपोषण, गरीबी और खाद्य असुरक्षा** जैसे ज्वलंत मुद्दों से निपटने पर केंद्रित है ।
- **दार्शनिक संरेखण: यह रूपरेखा भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम** ("विश्व एक परिवार है") के अनुरूप है , तथा समावेशिता और साझा प्रगति पर बल देती है।

एसएसटीसी में भारत की भूमिका

वैश्विक दक्षिण का अग्रणी समर्थक बनकर उभरा है तथा दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग में सक्रिय योगदान दे रहा है।

प्रमुख योगदान:

- **जी20 प्रेसीडेंसी (2023): भारत ने जी20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता** सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई , जिससे विकासशील देशों की आवाज बुलंद हुई।
- **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी):** एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्थापित, आईटीईसी **160 से अधिक साझेदार देशों के साथ जुड़ता है** , जो तकनीकी प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि:** सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए शुरू की गई इस निधि ने **75 से अधिक पहलों को वित्तपोषित किया है, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों (एलडीसी)** और **लघु द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस)** में ।
- **डिजिटल नवाचार:** भारत ने **आधार (डिजिटल पहचान)** और **यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) प्रणाली** सहित अपने **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक स्तर पर साझा किया है** , जिससे वित्तीय समावेशन और शासन सुधार संभव हो सके।
- **खाद्य सुरक्षा: भारत ने छह दशकों** से अधिक समय से **विश्व खाद्य कार्यक्रम** के साथ साझेदारी बनाए रखी है , तथा भूख और पोषण चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों में योगदान दिया है।

एसएसटीसी का रणनीतिक महत्व

- **वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना:** यह विकासशील देशों को वैश्विक शासन में सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करता है।
- **विकास का वैकल्पिक मॉडल:** दाता-प्राप्तकर्ता मॉडल के विपरीत, एसएसटीसी साझेदारी, समानता और पारस्परिक शिक्षा पर आधारित है।
- **भू-राजनीतिक प्रासंगिकता:** बढ़ती बहुध्रुवीयता के साथ, एसएसटीसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एकतरफा या संरक्षणवादी दृष्टिकोण के खिलाफ दक्षिण-दक्षिण एकजुटता को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (एसएसटीसी) भारत के नेतृत्व लक्ष्यों और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप, विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देता है। पारंपरिक सहायता में कमी के बीच, एसएसटीसी 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक स्थायी मार्ग प्रदान करता है।

भारत में भगदड़

संदर्भ

तमिलनाडु में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में करूर में हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई, जिससे भारत में ऐसी आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रभावी निवारक उपायों और शासन सुधारों की निरंतर कमी उजागर हुई।

संवैधानिक और कानूनी आयाम

- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** सार्वजनिक समारोहों के दौरान जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** भगदड़ को *मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत करता है*, तथा निवारक और शमन ढांचे को अनिवार्य बनाता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (2009):** *सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों के विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले* में न्यायालय ने प्राधिकारियों को बड़ी भीड़ से निपटने में जवाबदेही और बेहतर योजना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

भारत में भगदड़ के कारण

- **क्षमता से अधिक भीड़:** धार्मिक, राजनीतिक और खेल आयोजनों में उपस्थिति का खराब अनुमान।
  - *उदाहरण:* कुंभ मेला भगदड़, प्रयागराज (2013)।
- **दहशत पैदा करने वाली घटनाएं:** गिरने, अफवाहों या संरचनाओं के ढहने से अचानक लहरें उठती हैं।
  - *उदाहरण:* करूर रैली (2025), जहां पेड़ों से गिरने वाले लोगों के कारण दहशत फैल गई।

- **कमजोर बुनियादी ढांचा और बाधाएं:** संकीर्ण द्वार, खराब बैरिकेडिंग, फैलाव मार्गों का अभाव।
    - *उदाहरण:* नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एफओबी भगदड़ (फरवरी 2025)।
- **प्रशासनिक चूक:** समन्वय की कमी, विलंबित प्रतिक्रिया और अपर्याप्त चेतावनी प्रणाली।
    - *उदाहरण:* बेंगलुरु में आरसीबी आईपीएल विजय परेड (2025)।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** धार्मिक उत्साह, यात्राओं में भावुक भीड़, तथा राजनीतिक आयोजन प्रायः विनियमन की अवहेलना करते हैं।

भगदड़ के परिणाम

- **मानवीय लागत:** बड़े पैमाने पर मौतें, कुचलने से होने वाली चोटें, और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात।
- **शासन घाटा:** बार-बार होने वाली त्रासदियाँ राज्य की कमजोर क्षमता को उजागर करती हैं और जनता के विश्वास को कम करती हैं।
- **आर्थिक बोझ:** चिकित्सा उपचार, बचाव, पुनर्वास और मुआवजा राज्य के संसाधनों पर दबाव डालते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय छवि:** भीड़ के कारण बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं से भारत को सामूहिक समारोहों के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार दिखाया जाता है, जिससे वैश्विक विश्वसनीयता को ठेस पहुंचती है।

तुलनात्मक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- **दक्षिण कोरिया (हैलोवीन, 2022)** और **जर्मनी (लव परेड, 2010):** दुखद भगदड़ जिसके कारण प्रणालीगत सुधार हुए।
- **भारत:** वैश्विक समकक्षों के विपरीत, यहां भगदड़ की घटनाएं बार-बार होती हैं, जो कमजोर संस्थागत स्मृति और सुधार कार्यान्वयन की कमी को दर्शाती हैं।

रोकथाम में चुनौतियाँ

- **आयोजन का पैमाना और अप्रत्याशितता:** तीर्थयात्रा, रैलियां और खेल में जीत के कारण भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे सटीक नियंत्रण कठिन हो जाता है।
- **सुरक्षा मानदंडों का खराब कार्यान्वयन:** भीड़ के प्रवाह और निकास मार्गों पर एनडीएमए के 2014 के दिशानिर्देशों को शायद ही कभी लागू किया जाता है।
- **समन्वय अंतराल:** पुलिस, नागरिक एजेंसियां और आयोजक अक्सर अलग-अलग काम करते हैं।
- **सीमित प्रौद्योगिकी उपयोग:** एआई, ड्रोन, जीआईएस मैपिंग और वास्तविक समय निगरानी का अभी भी कम उपयोग हो रहा है।
- **सार्वजनिक व्यवहार:** घबराहट, अफवाहों से प्रेरित उछाल, तथा सलाह की अवहेलना जोखिम को बढ़ा देती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन:**
    - एआई-आधारित पूर्वानुमान मॉडलिंग, ड्रोन निगरानी, वास्तविक समय घनत्व निगरानी।
    - राज्य पुलिस बलों में समर्पित **भीड़ प्रबंधन इकाइयाँ ।**
- **बुनियादी ढांचे का पुनः डिजाइन:**
    - व्यापक प्रवेश और निकास मार्ग, दुर्घटना अवरोधक, निकासी गलियारे और ऊपरी निगरानी प्लेटफार्म।
- **सख्त जवाबदेही:**
    - लापरवाह आयोजकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
    - आयोजनों का अनिवार्य वास्तविक समय सुरक्षा ऑडिट।
- **सामुदायिक जागरूकता:**
    - सुरक्षित भीड़ व्यवहार पर सार्वजनिक अभियान।
    - प्राथमिक चिकित्सा और निकासी अभ्यास में स्वयंसेवक प्रशिक्षण।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:**
    - मोबाइल आधारित अलर्ट, जियो-फेंसिंग, एसएमएस सलाह।
    - *उदाहरण:* **कुंभ मेले (2019)** में जीआईएस-आधारित भीड़ फैलाव का उपयोग किया गया।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:**
    - *हज मॉडल (सऊदी अरब):* एकतरफा भीड़ प्रवाह डिजाइन।
    - खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वास्तविक समय डिजिटल टिकटिंग, ताकि अधिक आवेदन को रोका जा सके।

निष्कर्ष

भगदड़ **ऐसी त्रासदियाँ हैं जिन्हें रोका जा सकता है** , और ये अक्सर खराब योजना, कमज़ोर प्रशासन और भीड़ के अप्रत्याशित व्यवहार के कारण होती हैं। भारत में बड़े-बड़े जमावड़ों की सामाजिक-राजनीतिक संस्कृति को देखते हुए, एक **तकनीक-संचालित, जवाबदेह और समुदाय-उन्मुख भीड़ प्रबंधन प्रणाली अपनाना** बेहद ज़रूरी है। चूँकि देश **2047 के विकास की आकांक्षा रखता है** , इसलिए सामूहिक समारोहों में नागरिकों

की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन और जीवन के संवैधानिक अधिकार का केंद्रबिंदु होना चाहिए।

शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व

संदर्भ:

37वें ICC-MAB सत्र (2025) में, हिमाचल प्रदेश स्थित भारत के शीत मरुस्थल जैवमंडल रिज़र्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिज़र्व नेटवर्क (WNBR) में शामिल कर लिया गया। इससे यह यूनेस्को के संरक्षण ढाँचे के अंतर्गत वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला उच्च-ऊँचाई वाला शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।

यह क्या है?

शीत **मरुस्थल जैवमंडल रिज़र्व** हिमाचल प्रदेश के **ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में 7,770 वर्ग किलोमीटर** में फैला एक उच्च-ऊंचाई वाला संरक्षण क्षेत्र है । इसमें कई पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्य शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान**
- **किब्बर वन्यजीव अभयारण्य**
- **चंद्रताल आर्द्रभूमि** और आसपास के आवास

मुख्य क्षेत्रीकरण:

- **कोर ज़ोन:** 2,665 वर्ग किमी (सख्त संरक्षण)
- **बफर जोन:** 3,977 वर्ग किमी (पारिस्थितिक अनुसंधान, नियंत्रित पर्यटन)
- **संक्रमण क्षेत्र:** 1,128 वर्ग किमी (स्थायी सामुदायिक आजीविका)

स्थान और परिदृश्य

- **राज्य/जिला:** लाहौल-स्पीति, हिमाचल प्रदेश
- **ऊँचाई:** समुद्र तल से 3,300–6,600 मीटर
- **भूभाग:** ऊबड़-खाबड़ पठार, हिमनद घाटियाँ, अल्पाइन झीलें, और हवा से बहने वाले ठंडे रेगिस्तानी आवास
- **जलवायु:** अत्यंत ठंडी और शुष्क, यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित नेटवर्क में सबसे कठोर पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक

इतिहास और मान्यता

- **2009:** भारत द्वारा शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया
- **2025:** यूनेस्को के **विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व (WNBR) में शामिल किया गया** , जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का संकेत मिलता है
- **महत्व:** वैश्विक नेटवर्क में भारत का पहला *उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान स्थल*

जैव विविधता विशेषताएँ

- **फ्लोरा:**
  - 655 जड़ी-बूटियाँ, 41 झाड़ियाँ, 17 वृक्ष प्रजातियाँ
  - 14 स्थानिक प्रजातियाँ
  - पारंपरिक **सोवा रिग्पा/आमची चिकित्सा प्रणाली से जुड़े 47 औषधीय पौधे**
- **जीव-जंतु:**
  - स्तनधारियों की 17 प्रजातियाँ और पक्षियों की 119 प्रजातियाँ
  - प्रमुख प्रजातियाँ: **हिम तेंदुआ, हिमालयी भेड़िया, तिब्बती मृग, हिमालयी आइबेक्स**

समुदाय और आजीविका

- **जनसंख्या:** लगभग **12,000 निवासी**
- **आजीविका:** पशुपालन, याक और बकरी पालन, जौ और मटर की खेती
- **सांस्कृतिक विरासत** : संरक्षण प्रथाओं में एकीकृत तिब्बती चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का उपयोग

भारत और यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क

- **भारत के** कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें से **13 अब यूनेस्को के WNBR का हिस्सा हैं**
- **वैश्विक संदर्भ:** WNBR की **142 देशों में 785 साइटें हैं**
- **2025 में वृद्धि: यूनेस्को ने नेटवर्क में 26 नए स्थल** जोड़े - दो दशकों में सर्वाधिक समावेशन

मान्यता का महत्व

- **वैश्विक मान्यता:** पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है
- **वैज्ञानिक मूल्य:** ठंडे रेगिस्तान पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ आजीविका पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के लिए एक *"जीवित प्रयोगशाला" के रूप में कार्य करता है*
- **सामुदायिक लाभ:** स्थानीय आबादी के लिए पारिस्थितिक पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा, और संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है

निष्कर्ष

शीत मरुस्थल जैवमंडल रिज़र्व का समावेश भारत की संरक्षण यात्रा में एक मील का पत्थर है। यह ट्रांस-हिमालयी शीत मरुस्थल की पारिस्थितिक विशिष्टता को उजागर करता है, वैश्विक वैज्ञानिक

सहयोग को मज़बूत करता है, और जैव विविधता संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण के बीच संतुलन को सुदृढ़ करता है।

बिहार में दो नए रामसर स्थल

संदर्भ

भारत ने बिहार में दो नए रामसर स्थल, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को जोड़ा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की राष्ट्रीय संख्या बढ़कर 93 हो गई है। इसके साथ ही भारत ने रामसर स्थलों में अग्रणी एशियाई राष्ट्र और विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

गोकुल जलाशय (बक्सर)

- प्रकार: गंगा के दक्षिणी किनारे पर ऑक्सबो झील
- पारिस्थितिक भूमिका: आस-पास के गांवों के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक
- जैव विविधता: 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों का आवास
- सामुदायिक भूमिका: मछली पकड़ने, खेती, सिंचाई में सहयोग करना; वार्षिक सफाई उत्सव का आयोजन करना

उदयपुर झील (पश्चिम चंपारण)

- प्रकार: एक गाँव के चारों ओर ऑक्सबो झील
- पुष्प विविधता: 280+ पादप प्रजातियाँ, जिनमें स्थानिक एलिसिकार्पस रॉक्सबर्गियानस भी शामिल है
- पक्षी-जीवन: लगभग 35 प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन निवास स्थल, जिनमें संवेदनशील कॉमन पोचार्ड भी शामिल है
- आजीविका: स्थानीय लोगों के लिए मछली पकड़ने, खेती और जल संसाधन उपलब्ध कराता है।

रामसर स्थल: वे क्या हैं?

- **परिभाषा: रामसर कन्वेंशन (1971)** के तहत मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि ।
- **उद्देश्य:** जैव विविधता, जल सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आर्द्रभूमि के **संरक्षण और सतत उपयोग को** बढ़ावा देना ।
- **उत्पत्ति: रामसर, ईरान** में अपनाया गया (1971); यूनेस्को के ढांचे के तहत **1975** में लागू हुआ ।
- **प्रमुख विशेषताऐं:**
  - **राष्ट्रीय कार्रवाई** और **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है
  - **प्रवासी पक्षियों, लुप्तप्राय प्रजातियों, मत्स्य पालन, जल विज्ञान स्थिरता** और बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक आर्द्रभूमि को प्राथमिकता दी जाती है

भारत और रामसर स्थल

- **वर्तमान कुल (सितंबर 2025): 93 आर्द्रभूमि** , **13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई**
- **वृद्धि: 26 साइटों (2012)** से **93 साइटों (2025)** तक , **2020 से 51 अतिरिक्त साइटों के साथ**
- **वैश्विक स्थिति:**
  - **विश्व भर में तीसरा स्थान** (यूके के बाद - 176 स्थल, मेक्सिको - 144 स्थल)
  - रामसर स्थलों की संख्या के मामले में **एशिया में प्रथम**
- **बिहार:** अब **5 रामसर स्थल हैं** , जो आर्द्रभूमि संरक्षण में इसकी भूमिका को मजबूत कर रहे हैं

नए परिवर्धन का महत्व

- **जैव विविधता संरक्षण:** स्थानिक पौधों और कमजोर प्रवासी पक्षियों के आवासों की रक्षा करता है
- **आपदा न्यूनीकरण:** गंगा के बाढ़ क्षेत्र में **प्राकृतिक बाढ़ नियामक** के रूप में कार्य करता है
- **आजीविका सहायता:** स्थानीय समुदायों के लिए टिकाऊ मछली पकड़ने, खेती और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है
- **वैश्विक मान्यता:** अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्रशासन और संरक्षण प्रयासों में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि

निष्कर्ष

गोकुल जलाशय और **उदयपुर झील** को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता देना आर्द्रभूमि संरक्षण, पारिस्थितिक लचीलेपन और सामुदायिक आजीविका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अपने रामसर क्षेत्र का विस्तार करके, भारत न केवल जैव विविधता की रक्षा करता है, बल्कि आपदा प्रतिरोधक क्षमता को भी मज़बूत करता है और आर्द्रभूमि संरक्षण में अपने वैश्विक नेतृत्व को सुदृढ़ करता है।

RACE IAS

RACE IAS

A Leading Institute for Civil Services Examination

PRACTICE IS THE KEY TO SUCCESS

UP PCS

प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज

ENROLL NOW

OFFLINE / ONLINE BATCH | **English / Hindi Medium**

सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

RO/ARO Mains Batch

ADMISSION OPEN

मेंटरशिप प्रोग्राम

- मेन्स PYQ
- Focus on Answer writting skill
- Current Affairs

Special Mentorship Programme for Mains Examination

Online Live Classes through RACE Mobile App

Our Centers

Aliganj	Indira Nagar	Alambagh	Ashok Nagar
Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Kanpur (U.P.)
Mob.: 7388114444	Mob.: 9044137462	Mob.: 8917851448	Mob.: 9044327779

अभी डाउनलोड करें - RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com

RACE IAS®

Since 2010

सत्यमेव जयते

FOUNDATION BATCH IAS/PCS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group

With Complete Study Material, Library Facility & Test Series

1 Year Batch for Graduate Students

3 Years Batch for 12th Passed Students

OFFLINE / ONLINE BATCH
English / Hindi Medium

OUR TOPPERS IN IAS

HIMANSHU GUPTA
UPSC (IAS), AIR 27

ANIMESH VERMA
UPSC (IAS), AIR 38

SHIVAKSHI DIXIT
UPSC (IAS), AIR 64

CHINTAN DOBARIYA
UPSC (IAS), AIR 376

PARICHAY KUMAR
UPSC (IAS), AIR 410

AJAY KUMAR GAUTAM
UPSC (IAS), AIR 415

PARMANAND PRAVIN
UPSC (IAS), AIR 439

VIVEK RAJPOOT
UPSC (IAS), AIR 588

YASHLOK K DUTT
UPSC (IAS), AIR 680

PRABAL GARG
UPSC (IAS), AIR 703

and many more----

OUR TOPPERS IN UPPCS

SATWIK SRIVASTAVA
DEPUTY COLLECTOR

PURNENDU MISHRA
DEPUTY COLLECTOR

SUNISHTHA SINGH
DEPUTY COLLECTOR

SHUSHANT SANWAREY
DEPUTY COLLECTOR

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY SP

SHAMBHAVI TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

KAUSTUBH TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

VISHAL GUPTA
DEPUTY SP, 2022

RISHIKA SINGH
DEPUTY SP, 2022

JUHI PRASAD
Deputy Collector
RANK 41, UPPCS 2021

SHIVAKSHI DIXIT
DEPUTY COLLECTOR, RANK 2, UPPCS 2020

SANT RANJAN
DEPUTY COLLECTOR, RANK 32, UPPCS 2019

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY COLLECTOR, RANK 68, UPPCS 2018

SUPRIYA GUPTA
DEPUTY COLLECTOR, RANK 78, UPPCS 2018

NEHA
ASSTT. COMMISSIONER
UPPCS 2020

and many more----

CALL : 7388114444, 8917851448, 9044241755

LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH

KANPUR : COCA COLA CROSSING, G.T. ROAD, CALL : 9044327779

अभी डाउनलोड करें -
RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com